

MASTER COPY

HARYANA VIDHAN SABHA

MASTER COPY
Report

OF THE

Committee on Government Assurances

1994-95

TWENTY SIXTH REPORT



Presented to the House on 24th March, 1995

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT, CHANDIGARH

1995

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee	(iii)
Introduction	(v)
Report	(vii)
Appendix-I	(ix)
Appendix-II	(xi)

Statement showing the number of Assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House upto the Session held in the Month of August/September, 1993 which are pending for implementation.

Dropped 56.
outstanding Ass-125
(iii)

**COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT
ASSURANCES 1994-95**

CHAIRMAN

1. Sh. Dhirpal Singh

MEMBERS

2. Sh. Birender Singh
3. Sh. Phusa Ram
4. Mohd. Aslam Khan
5. Sh. Krishan Lal
6. Sh. Zile Singh
7. Smt. Janki Devi Mann
8. Sh. Zakir Hussain
9. Sh. Surjeet Kumar

SECRETARIAT

1. Sh. Sumit Kumar, Secretary.
2. Sh. Kuldip Singh, Deputy Secretary.

Total Assurances = 184
Dropped ——— 56
outstanding Ass = 28

(v)

INTRODUCTION

1. The Chairman of the Committee on Government Assurances for year 1994-95 having been authorised by the Committee in his behalf, present the 26th Report of the Committee.
2. The work done by the Committee after the presentation of the 25th Report on 17th March, 1994 is set forth in this Report.
3. A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee for the year 1994-95 has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.
4. The Committee is grateful to the representatives of various Departments who appeared before it for oral examination and rendered useful help in its work.
5. The Committee places on record its thanks and high appreciation of the whole hearted co-operation and assistance rendered by the Secretary/ Deputy Secretary/Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat in its deliberations.

Chandigarh :
The 28th February, 1995

Sd/-
DHIRPAL SINGH
Chairman

REPORT

The Committee on Government assurances for the year 1994-95 consisting of nine Members was nominated by the Hon. Speaker, Haryana Vidhan Sabha on 27th April, 1994. Shri Dhirpal Singh, M.L.A. a Member of the Committee, was nominated as Chairman of the Committee by the Hon. Speaker.

SITTINGS OF THE COMMITTEE

2. The Committee held 52 sittings during the year 1994-95 (till finalisation of the Report).

3. The Committee scrutinised the statements made by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the Month of February/March, 1993 and August/September, 1993. The statements which in the opinion of the Committee constituted assurances were sent to the Administrative Secretaries concerned for intimation the manner in which and extent to which the Government has implemented the same.

4. The Committee scrutinised the replies received from the Government from time to time in regard to the implementation of the assurances shown as outstanding in Appendix-I to the 25th Report. A Statement showing the total number of assurances dropped and the number of pending assurances is at Appendix-II. The Committee noted that in many cases the Government has taken under long time for implementation. The Committee have made certain observations in respect of some of the replies scrutinised by it in order to elicit further information from the Government and dropped the rest.

5. The statement showing the number of assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House upto the Session held in the Month of August/September, 1993 department wise, which are pending implementation is given in Appendix-I to the Report.

ORAL EXAMINATION

6. With a view to expedite action and ensure prompt implementation of the outstanding assurances, the Committee orally examined the representative of the Co-operation, Irrigation and Power, Transport, P.W. (Public Health), Excise and Taxation and Local Government Departments. During the course of oral examination of the representatives of the above said Departments, the Committee felt that some of the Departments were unable to implement certain assurances given by the Ministers on the floor of the House because as per version of the representatives of the Government, it become difficult to implement these assurances for certain reasons which are beyond the control of the Government.

7. The assurances which has outlived their utility due to passage of time or in respect of which Committee felt satisfied with the action taken by the Government to implement them have been dropped.

The Government departments are not required to send replies in respect of those assurances which do not find place in this Reports.

GENERAL OBSERVATION IN REGARD TO IMPLEMENTATION
OF ASSURANCES

8. The Committee recommended that normally the assurances should be implemented by the Government within three months from the date on which the assurances are given. In case it is not possible to implement an assurance within this period, the cause of delay should be communicated to the Committee so that it may judge whether the reasons given for the delay are justified or not.

The Committee further urge the Government to issue strict instruction in this behalf.

9. The Committee invite the attention to para of Annexure-I of U. O. No. 638. P. 60, dated the 29th November, 1960 issued by the Chief Secretary to Government Punjab, and circulated by the Chief Secretary to Government Haryana, vide U.O. No. 1914-(6)-73, dated the 4th/8th October, 1973 to all the Administrative Secretaries where in it was impressed upon.

"That if an assurance is received by the Administrative Secretary who is not concerned with the particular assurance, it should be transferred demi-officially to the Administrative Secretary concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat who will then pursue the matter with the Administrative Secretary concerned".

In spite of the instructions issued vide U.O. mentioned above and subsequent reminders thereof some of the Department simply informed Haryana Vidhan Sabha Secretariat that particular assurance did not relate to them. The Committee again recommend that if an assurance do not relate to a particular Department, the same should be transferred to the Department to which it relates within a fortnight positively on the receipt of the assurance under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat and Chief Secretary to Government, Haryana. This will obviate unnecessary delay and correspondence.

10. The Committee have come to the irresistible conclusion that some of the assurances given several years back have not been implemented by the Government so far. However, the Committee realised that there may be some genuine case where the implementation of assurance is bound to take a long time because of various factors involved but that cannot be true in all cases. The Committee, therefore recommended that the Government should take necessary steps so that these may be implemented as far as practicable within the period of three months from the date of presentation of the Report.

APPENDIX—I

Sr. No.	Name of Department	Sr. No. of outstanding assurances	Pages
1	2	3	4
1.	General Administration	1—2	1—4
2.	Home	3—6	5—10
3.	Agriculture	7—17	11—16
4.	Co-operation	18—22	17—24
5.	Revenue	23—35	25—38
6.	Industries	36—41	39—46
7.	Transport	42—57	47—58
8.	Irrigation	58—86	59—86
9.	Electricity	87—99	87—98
10.	P.W.D. (B & R)	100—115	99—114
11.	P.W.D. (Public Health)	116—137	115—142
12.	Education	138—150	143—154
13.	Health	151—156	155—162
14.	Local Government	157—165	163—170
15.	Town and Country Planning	166—	171—172
16.	Social Welfare	167—168	173—176
17.	Excise and Taxation	169—172	177—196
18.	Technical Education	173—174	197—200
19.	Wakf Board	175—	201—202
20.	Development and Panchayat	176—177	203—206
21.	Environment	178—182	207—214
22.	Dairy Development	183—184	215—217

(x)

APPENDIX—II

Statement showing the number of assurances and replies received from the Government in respect of pending assurances of 25th report and the Session held in the month of February/March, 1993 and August/September, 1993

Total number of Assurances send to the Government during the 1994-95

25th Report 190
Session February/..... 164
March, 1993

Session August/.. 77
September, 1993

Total 431

Assurances dropped by the Committee

25th Report..... 105
Session February/..... 84
March, 1993

Session August/..... 58
September, 1993

Total 247

Outstanding Assurances in the 26th Report..... 184

APPENDIX
OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमांक	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

4.3.93

1. तारकित प्रश्न संख्या 440 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न- "श्रद्धा मंदिर, क्या मुख्य मंत्री मंदिर, बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस केस (एच 0सी 0एस 0 अधिकारियों के विरुद्ध महिला के साथ छेड़-छाड़ करने वाले) की इन्वेस्टिगेशन अब तक कम्प्लीट हो जाएगी? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस अधिकारी के खिलाफ इससे पहले भी कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में आया है और अगर आया है तो वह बताने की कृपा करें?

श्रद्धा मंदिर, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का तात्पर्य है इस अधिकारी संस्था कर दिया है और संशोधन जज की कोर्ट से इसकी बेल हो गई है इस केस में तब आदमी और थे। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तफरीफ जारी है। तफरीफ के बाद जो कुछ निष्कर्ष उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

इस आशवासन के संदर्भ में श्री कमेटी इस बारे में लेटेस्ट पोसिबल वलवीर सिंह, एच 0सी 0एस 0 शन जानना तत्कालीन नगराधीश, हिसार के विरुद्ध पुलिस स्टेशन हिसार में भारतीय दंड संहिता की (30-1-95)

अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट नं 0 5, दिनांक 5.1.93 दर्ज करने वाले सूचना सरकार के पत्र क्रमांक 40/3/93-एस (1), दिनांक 25.10.94 द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। तत्पश्चात यह मामला सरकारी आवासनों की कमेटी द्वारा दिनांक 21.11.94 की बैठक में विचार गया था तथा कमेटी ने इस बारे में वर्तमान स्थिति जाननी चाही थी।

F.19-7-95

F.0
15-11-95

F.0
25-1-96

उक्त केस की वर्तमान स्थिति के बारे में उपायुक्त हिसार द्वारा सूचित किया गया है कि इस अधिकारी के किन्हीं आरोपों की सूची तैयार करने हेतु मामला चोफ़ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट, हिसार को अदालत में निम्नित हुआ था, परन्तु दोषी अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत न्यायधीश, हिसार के न्यायालय में आरोपों को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया है, जिस पर निर्णय होने के उपरान्त, मामले में सम्बन्धित अदालत द्वारा आगे कार्यवाही की जाएगी।

(20-1-95)

पब्लिक प्रॉटेक्शन कमेटी के अवीन कोआपरेटिव फेडरेशन आदि को सम्मिलित करता तथा सर्वजेंट कमेटीज को गठित करने सम्बन्धी उपाध्यक्ष श्री सुमेरचन्द भठूर का प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, बिन्दों स्पीकर साहब को बोलने का कभी कभी हो मौका मिलता है और इन्होंने बहुत हो आवा सुझाव दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विधान सभा में पी. ए. सी. कमेटी बनी हुई है।

क्र० सं०	संक्षेप	प्रश्नोत्तर	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
1	2	3	4	5

उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसके
लिए सको फिर से एंजामिन करना पड़ेगा।
अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने कहा है इसको
चँक करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है या
क्या मुनासिब होगा, और जो मुनासिब
होगा, इसको भी हम करने की कोशिश
करेंगे।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

HOME DEPARTMENT

*Note :—*In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमिक	संदर्भ	दिनांक/आपवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
	2	3	4	5

25-3-1992

3. ताराकित प्रश्न संख्या 195 के संदर्भ में चौ० अजमत खां द्वारा पूछा गया अनु-पूरक प्रश्न—“अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम पलवल और बलभगद के नाम हमें दिए जाएं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन-कौन आदमी है जो बाहर के आदमियों के लाईसेंस वनवा रहे हैं ताकि उसकी रोकथाम की जा सके।”

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि बाहर के लोगों को लाई-सेंस दिए गए हैं * * * * * फरीदाबाद जिले के पलवल, बलभगद के एरिये में और सीनोपत में ऐसे लोगों को लाईसेंस दिए जाँके वहाँ के रहने वाले नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम जाँच करवा रहे हैं और जाँच करके हम उनके लाईसेंस कैसिल करके जा रहे हैं।

13-7-82

“... फिर आपने (प्र० सम्पत सिंह) एक बात कहाँ दी कि बिना हथियारों के पुलिस के ज़ार नौजवान मारे गए। अध्यक्ष महोदय ये 13 पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने जा करके रेड किया था उनके पास बाकायदा स्टेनगन, ए. के.

महियमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के उत्तर में।

34

47 राईफल यानी पूरा असला था लेकिन उनसे गलती यह हो गई थी कि उनके पास जो बड़ा असला था उसको अपनी गाड़ी में ही छोड़ कर रेड के लिए चले गए और केवल पिस्तौल अपने साथ ले गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पूरा असला नहीं था। उनके पास पूरा असला था, लेकिन उनसे यही गलती हो गई कि वे वह बड़ा असला अपनी गाड़ी में छोड़ गए और अपने साथ केवल पिस्तौल लेकर चले गए जिसके कारण 13 पुलिस अधिकारियों को केवल एक ही आदमी मार कर चला गया। यह बड़ी भारी भ्रष्टाचार की बात है कि एक ही आदमी उन को मारकर चला गया। लेकिन हमारे बहादुर नौजवानों ने उसका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वे मारे गये उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनको हमने वाकफ़िदा एक-एक लाख रुपये दिए हैं और परिवारों के एक-एक आदमी को नौकरी भी देंगे।" * * * अध्यक्ष महोदय, पहले यदि दो-दो लाख रुपये दिए गए थे तो इतको भी दो-दो

क्र०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की	टिप्पणी
सं०			गई कार्यवाही	
1	2	3	4	5

लाख रुपये ही दिए होंगे इस समय मुझे ध्यान नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इनको भी दो-दो लाख रुपये ही हमारे नाम के अनुसार दिये जायेंगे।

21-12-1992

5. तारकित प्रश्न सं० 332 के संदर्भ में श्री पीरवंद द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

“अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी रिप्लाय में लिख दिया है कि रतिया के पुलिस स्टेशन के नये भवन का निर्माण अगले वर्ष धन राशि उपलब्ध होने पर होगा। अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस स्टेशन काफी जर्जर हालत में है जिसके कारण वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को दुर्घटना का खतरा है। यह भी हम

अब हमने ऐसे पुलिस स्टेशन और अस्पताल जिनकी हालत खस्ता है, ठीक नहीं है, को अगले साल बनाने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, साधनों की कमी होने के कारण सब काम एक साथ नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, 29 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो बनने पड़ेंगे। मैं समझे नाम भी बता देता लेकिन समय ज्यादा लगेगा। इसलिए जहाँ तक रतिया पुलिस स्टेशन का ताल्लुक है, वह हम अगले साल में बना देंगे।

पुलिस थाना रतिया के नये भवन के निर्माण हेतु विभाग के पास 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसका कच्चा बिनोक है। 15.12.87 से पुलिस विभाग के पास है। इसका निर्माण वारे 1993-94 को वरिष्ठता सूची में शामिल की गई थी; परन्तु धन अभाव के कारण निर्माण इस वर्ष न किया जा सका। वर्ष 1994-95 में उक्त पुलिस स्टेशन का निर्माण

(21-9-94)

15-11-95

तो आखिरकार सरकार के ही आदिमी है, इसलिए सरकार को इस बात का अन्दाजा होना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पुलिस स्टेशन के निर्माण में कितने रुपए लगेंगे तथा क्या अगले साल के बजट के एक या दो महीने के अन्दर ही पुलिस स्टेशन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

31.8.93

6. श्री राजेन्द्र सिंह विसला द्वारा पूछे गए तारीकित प्रश्न सं० 616 के भाग (ख) के उत्तर में—
 (ख) क्या जिला फरीदाबाद में नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है और यदि ऐसा सम्भव न हुआ तो वर्ष 1995-96 में इसका निर्माण पहले तौर पर करा दिया जाएगा।

(18-8-94)

मामला अभी सरकार के कैबिनेट इस बारे में विचाराधीन है।

(31-10-94)

जानना चाहती है
 (21-11-94)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
AGRICULTURE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमांक सं०	संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

21-12-92

7. तारकित प्रश्न सं० 348 (के संदर्भ में श्री रामकुमार कटवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :

“अध्यक्ष महोदय, मेरे टोहाना में मेरा कितना बड़ा जलसा हुआ था कहीं इसकी वजह से तो इस अनाज मंडी का निर्माण नहीं किया जा रहा है । क्या मंडी जो बताएंगे कि राजौंद में अनाज मंडी कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ।”

अध्यक्ष महोदय, * * * * * राजौंद खरीद केन्द्र को सब-कडीशन के अनुसार एक लाख विक्टल से याई उन्नत करने का निर्णय लिया गया है । इस सम्बन्ध में उचित पत्र उठाए जा रहे हैं ।

(12-1-95)

12-1-95

23-12-92

8. तारकित प्रश्न संख्या 329 के संदर्भ में चौधरी श्राम प्रकाश बेरो द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि टाउन में या सिटीज में ड्रैमंड रोडज को बनाने का क्या आइडेरिया है ? अध्यक्ष महोदय मेरी कंस्ट्रिक्शनी हैं नेरी एक

अध्यक्ष महोदय, हमने चालू साल में एक नयी पोलिबी बनायी है । इस पोलिबी के तहत जो सड़के शहर के अन्दर मण्डी को मिलाती हैं, वह सारी की सारी सड़के मार्किटिंग बोर्ड बनाएगा । मार्किटिंग बोर्ड ने इस बारे में काम करना चालू की कर दिया है और बहुत से

से शहरों में सड़क बनकर चालू भी हो गयी है। जैसे बेरी साहब ने कहा, बेरी और झज्जर की सड़कें भी ठीक नहीं हैं, मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से उनको भी बनाने की कोशिश करेंगे।

24-2-93

जी हाँ, मण्डी के 1994-95 में पूरा होने की सम्भावना है।

9-3-93

जी ! उपयुक्त स्थल का चयन किया जा रहा है और मण्डी का निर्माण स्थल अर्जन के पश्चात् किया जायेगा। इस समय यह कहना बल्लभ है कि कितने निर्धारित समय में मण्डी का निर्माण हो सकता है।

11.3.93

वर्ष 1994 में अनाज मण्डी झज्जर को कार्यरत करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

टटा-फटा शहर है, इनके बार-बार कहने के बावजूद वहाँ पर रोडज की रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई नयी रोड बनाने का काम शुरू हुआ है क्या मन्त्री महोदय वहाँ के लिए कोई स्पेशल ग्रांट देने का प्रावधान करेंगे।

9. कोसली अनाज मण्डी कब तक निर्मित हो जाएगी से संबंधित चौधरी जिले सिंह जाखड़ का तारकित प्रश्न सं0 423

10. सरदार जसविन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 89 क्या कृषि मन्त्री कृपया बताएँगे कि क्या पिहोवा में सब्जी मंडी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि ऐसा है, तो उक्त मंडी का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

11. श्री दरियाव सिंह राजौरा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 547: क्या कृषि मन्त्री बताएँगे कि अनाज मण्डी, झज्जर के कब तक काम आरम्भ कर देने की संभावना है ?

सं० संदर्भ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणी

5

4

3

2

1

12.3.93

12. तारकित प्रश्न सं० 548 पर श्री दरियाब सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री, महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वहाँ पर (अज्जर में) सब्जी मंडी तो बनी हुई है और थड़े आदि भी बने हुए हैं। इसके अलावा वहाँ से रिवाड़ी, गुडगांव और दिल्ली के लिए रोडज भी निकले हुए हैं लेकिन सब्जी, सब्जी मंडी में बिकने की बजाय बाहर बेची जा रही है। क्या मंत्री महोदय सब्जी मंडी के अन्दर सब्जी बेचे जाने की व्यवस्था कराएंगे ?

12.3.93

13. तारकित प्रश्न सं० 548 पर चौधरी फूल चंद मुलाना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, इस समय हाऊस में सब्जी मंडियों की चर्चा चल रही है। हमारा पंचशूला बहुत ही प्रौद्योगिक्य

अध्यक्ष महोदय, इस (अज्जर) सब्जी मण्डी की बाउंडरी-वाल तो बना दी गई है। एक बाउंडरी वाल बनाई जानी रहती है, वह इस लिए रहती है कि उस पर एन्क्रोचमेंट है और कोर्ट में केस है। ज्यों ही कोर्ट से फैसला हो जाएगा, इस बाउंडरी वाल को भी इस अगले साल में बना दिया जाएगा। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि अगले साल इस मंडी पर 11 लाख रुपये खर्च करके इसे पूरा कर देंगे।

12.3.93

स्पीकर साहब, यह वैजिटेबल मार्किट का सवाल है, ग्रेन मार्किट का नहीं है। मैं हाऊस में सारे मेम्बरों को बताना चाहता हूँ कि सब्जियों के बारे में हरियाणा सरकार का एग प्लान ही पब्लिशिंग पोस्ट है।

और डिप्लॉमिंग स्टार्ट है। पंचकूला में आसपास के किसान अपनी सखियाँ बेचने के लिए लाते हैं। पंचकूला में न तो कोई अनाज मंडी है और न ही कोई सब्जी मंडी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहाँ पर अनाज मंडी और सब्जी मंडी कब तक बना देंगे?

14. सार्वजनिक प्रश्न सं० 540 पर सरदार जसविन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-स्वीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछली सरकार के वक्त में पिहोवा में सब्जी मंडी बनाने की बात चली थी। क्या मंत्री जी बताएँगे कि सब्जी मंडी बनाने का क्या काइटेरिया है और क्या पिहोवा उस काइटेरिया में आता है या नहीं।

15. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों के निर्माण से संबंधित प्र० सम्पत्ति-सिद्द द्वारा सार्वजनिक प्रश्न सं० 62

16. श्री लहरो सिंह द्वारा पूछा गया सार्वजनिक प्रश्न सं० 630-
क) क्या बरौन अनाज मंडी से वर्षा का पानी, जो वर्षा ऋतु के दौरान वहाँ

कुण्डली में हम नेशनल लैवल की एक वैजिटेबल और फ्रूट मंडी बनाने जा रहे हैं। जिसके बारे में बहुत कुछ निर्णय लिया जा चुका है और उस पर काम भी चल रहा है। इससे हिमाचल प्रदेश और पंजाब से दिल्ली में जो वैजिटेबल और फ्रूट जाते हैं उनको वहाँ पर रोकेगे। वहाँ पर प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज का भी पूरा इन्तजाम होगा।

12.3.93

पिहोवा में सब्जी मंडी बनाने का निर्णय लिया जा चुका है और साइट भी तलाश कर रहे हैं। साइट मिलने पर काम शुरू हो जाएगा।

24.2.93

इस सार्वजनिक विधान सभा प्रश्न के लिए छुपया तीन सप्ताह का समय बढ़ाया जाए।

30.8.93

तीन माकट कमेटियाँ अर्थात् लाडवा, बरौन तथा रादौर के पुराने रिकार्ड से परामर्श करने के पश्चात् फ्रीहड से सूचना प्राप्त की जाती है। इसलिए निवेदन है-

16

क्र० सं०	संदर्भ	प्राश्नवासन	सरकार की द्वारा गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

झकड़ठा हो जाता है, निकालने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; यदि ऐसा है, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी; तथा

(ख) क्या राहौर तथा बर्न में सब्जी मंडी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो इनका निर्माण कब तक किया जाएगा ?

31-8-93

17. श्री जय प्रकाश ढांग पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-552--

(क) क्या राज्य में फसल बीमा योजना अरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उसका व्योग क्या है तथा पूर्वोक्त योजना के कब तक अरम्भ किए जाने की संभावना है ?

(क) तथा (ख) राज्य में फसल बीमा योजना अरम्भ करने संबंधी मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार प्राप्त योजना होने के बाद इसे राज्य में लागू करने वाले विचार किया जाएगा।

The Govt. of India has not yet finalised the modalities of implement atom of the Pilot Crop Insurance Scheme. The State Govt. has requested Joint Secretary (C&C) Govt. of India, Ministry of Agriculture, New Delhi through its D.O. No. 6011 dated 16th August, 1994 to look into the matter and implement the said scheme at the earliest. (17-11-94)

कमेटी इस बारे में लेटेस्ट पो-जिशन जानना चाहती है। (17-11-94)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
CO-OPERATION DEPARTMENT

*Note:—*In the case assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

17

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

आश्वासन

संदर्भ

क्र० सं०

5

4

3

2

17-3-1992

भारत सरकार ने दिनांक 7-12-93 को सहकारी क्षेत्र में गोहाना के स्थान पर 2500 टी.सी.डी. क्षमता वाली एक नई चीनी मिल लगाने के लिए आश्व पत्र जारी कर दिया है। इस आश्व पत्र की शर्तों के अनुसार नई सहकारी चीनी मिल लगाने के लिए आश्व पत्र जारी कर दिया है। कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार ने दिनांक 7-12-93 को सहकारी क्षेत्र में गोहाना के स्थान पर 2500 टी.सी.डी. क्षमता वाली एक नई चीनी मिल लगाने के लिए आश्व पत्र जारी कर दिया है। इस आश्व पत्र की शर्तों के अनुसार नई सहकारी चीनी मिल लगाने के लिए आश्व पत्र जारी कर दिया है। कार्यवाही की जा रही है।

18. तारीकित प्रश्न संख्या 176 के संदर्भ में प्रो. सम्यंत सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
 “ * * *
 मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में सोचियस है ?
 ये 4 मिलें जिन के साथ हंगियाणा में फार्मिङ्ग का फ्यूचर जुड़ा हुआ है क्या इनके बारे में इन्होंने गर्बनेसैंट ऑफ इंडिया से, जहाँ इनकी पार्टी की सरकार है प्राईम मिनिस्टर से या कन्सर्ड मिनिस्टर से मामला टेक्नॉप किया है कि कब तक मिलें लगने का लाईसेंस मिल जाएगा ?
 स्प्रीकर साहब दूसरी बात में यह पुछना चाहता हूँ कि जिस प्राईवेट ब्रादमी को नारायणगढ़ में लाईसेंस दिया गया है वह कौन है और गर्बनेसैंट ऑफ इंडिया ने उनको किस डेट को लाईसेंस दिया ।”

राज्य सरकार ने स्थान (साईट) के चयन के लिए पहले ही एक चयन समिति का गठन कर दिया हुआ है तथा पानीपत-गोहाना रोड पर गाँव बलाना के पास भूमि का चयन कर लिया गया है तथा उसके निमार्जन के लिए डायरेक्टर एग्रीकल्चर

18

हरियाणा को लिखा गया है एवं हिस्सा पूंजी एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

भारत सरकार ने तारायणगढ़ में एक प्राइवेट पोर्टी मैसर्ज युनाईटेड बनासर्ति, लि० चण्डीगढ़ को नई चीनी मिल लगाने हेतु दिनांक 13-2-91 की लाईसेंस जारी किया था।
(23-12-94)

16-3-1992

* * * गुड़गांव, हिसार, रोहतक तथा करनाल जिलों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए सहकारी बैंक खोले जाएंगे ताकि उन्हें बचत करने का बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं को आसानी से ऋण देने का काम पूरा किया जा सके। * * *

गुड़गांव, हिसार, रोहतक तथा करनाल में एक-एक महिला अरबन बैंक स्थापित करने वाले सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रार के प्रस्ताव प्राप्त करके भारतीय रिजर्व बैंक, माहुरी बैंक विभाग के चण्डीगढ़ कार्यालय को उनकी पूर्ण अनुमति हेतु भेजे गए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक के चण्डीगढ़ कार्यालय द्वारा

19. वजेट भाषण

18

क्र० सं०	संदर्भ	आशवासन	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उपरोक्त में से एक करनाल महिला अखन बैंक का केस बम्बई मुख्यालय को पूर्व अनु-मति हेतु भेजा गया था जो वहां से वापिस प्राप्त हुआ है और यह चाहा गया है कि इस को भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा उनके पत्र क्रमांक एनबीएल-8/जे-21/92-93/दिनांक 25-5-93 के अनुसार निर्धारित की गई शर्तों के अनु-रूप बनाकर पुनः भेजा जाए। अब महिला अर्बन बैंकों के सभी केस 25-5-93 की निति अनुसार पुनः बनाने के लिए सम्बन्धित सहायक रजि-स्ट्रारों को लिखा जा रहा है। केस प्राप्त होते ही औद्योगिक भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिए जाएंगे।

(4-8-94)

19

2-3-93

20/ तारांकित प्रश्न संख्या 430 के संदर्भ में श्री 0 समस्त सिंह द्वारा पूछा गया प्रश्न—“अध्यक्ष महोदय, श्री मंत्री महोदय ने बताया है कि 17-3-91 को गौहाना का शूगर मिल लगाने वाले प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया था। मैं इनको बताता चाहूंगा कि यह हमारे समय का भेजा हुआ पत्र है। (विष्णु) मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस बिल के लाईसेंस को सँकशन करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि मोरारदा सरकार ने आने के बाद कहीं और शूगर मिल लगाने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, यदि भेजा है तो कृपया मंत्री महोदय उनके नाम और तिथि बताने की कृपा करें।”

कमेंटी इस बारे में तैटैस्ट पोजिशन जानना चाहतो है।

(24-10-94)

अध्यक्ष महोदय, गौहाना, सिरसा, असंध, मुरतजापुर और नारायणगढ़ में शूगर मिल लगाने के बारे में प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार के पास भेजे हैं, जो उसके पास लम्बित पड़े है।

हरियाणा राज्य में सिरसा, गौहाना, असंध तथा मुरतजापुर में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाईसेंस जारी करने हेतु मामला भारत सरकार के स्तर पर लम्बित था, इस सम्बन्ध में दिनांक 22-6-93 को कृषि भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा गठित स्क्रूनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा राज्य में उपरोक्त नई मिलें स्थापित करने के लिए मामला विस्तृत रूप से विचारित गया स्क्रूनिंग कमेटी ने गौहाना में 2500 टो.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल स्थापित करने बारे में सहमति दे दी है लेकिन इस कमेटी द्वारा सिरसा तथा असंध में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए सहमति नहीं दी।

क्र० सं०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

क्योंकि सिरसा क्षेत्र में गन्ना
 उत्पादन क्षेत्र कम ही नहीं
 बल्कि नहीं के बराबर है।
 इसी प्रकार यदि असंध में
 चीनी मिल स्थापित कर दी
 जाती है तो इससे सहकारी
 चीनी मिल पानीपत एवं कैथल
 को गन्ना उपलब्ध करवाने में
 कुप्रभाव पड़ेगा। इसके
 अतिरिक्त मुर्तजापुर में नई
 चीनी मिल स्थापित करने का
 मामला गन्ने की घटती हुई
 पैदावार को मदेनजर रखते
 हुए, भारत सरकार द्वारा
 लम्बित रख लिया गया है।
 जब भी गन्ने के उत्पादन में
 इस क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ
 तो यहाँ पर नई चीनी मिल

स्थापित करने का मामला
पुनः विचार लिया जायेगा।

भारत सरकार ने दिनांक
7-12-1993 को सहकारी
क्षेत्र में गौहत्या के स्थान पर
2500 टी.डी.डी. सी. क्षमता
वाली एक नई चीनी मिल
लगाने के लिए ग्राण्ट पत्र पत्र
जारी कर दिया है। इस
आश्रय पत्र की शर्तों के अनुसार
नई सहकारी चीनी मिल लगाने
के लिए कार्यवाही शुरू की जा
चुकी है।

(17-10-94)

5-3-93

(ख) यमुनानगर में केन्द्रीय सहकारी
सहकारी बैंक खोलने का प्रस्ताव सरकार के
विचावधीन है।

* * * * *

(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्थापना
संबंधी प्रस्ताव को औपचारिकताएं पूरी

21. साथी लहरी सिंह द्वारा पूछा गया तारीकित
प्रश्न संख्या--521 के भाग (ख) तथा (ग)
के उत्तर में--

क्या यमुनानगर में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक
तथा जिजा यमुनानगर के खेड़ी लका सिंह
में सहकारी बैंक की एक शाखा खोलने का

30

90

00

क्र० सं०	संदर्भ	भाषाभाषन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है, होने पर शीघ्र कार्यान्वित होने की सम्भावना तथा यदि ऐसा है, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

22. शूगर मिलों की मशीनरीज की खरीद में दिये गये कमिशन के बारे में श्री धीर पाल सिंह द्वारा दिये गये वैयक्तिक स्पष्टीकरण के संबंध में मैं फिर आफर करता हूँ कि हमारे समय में जो तीन शूगर मिल लगी थीं उनकी मुख्य मंत्री इन्कवायरी करा ले और जो भी दोषी हों, उसकी सजा दी जाये। मैं कुले भान से एक बाग फिर आफर देता हूँ।

1-9-93

अध्यक्ष महोदय, * * * * * मेरा इतना कहना है कि यह बड़ा ही सनसनी खेज मामला हाउस के सामने आया है जैसा कि धीर पाल जी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं हाउस को विषवास दिलाता हूँ कि हम बहुत सीनियर अफसरों की एक कमेटी बना कर तीनों चीनी मिलों के इस मामले की जांच कराएंगे और अगले सेशन से पहले उसकी रिपोर्ट आ जाएगी।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the REVENUE DEPARTMENT

*Note :—*In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

4-3-1991

23. श्रीलावृष्टि से हुए नुकसान संबंधी ध्यान-
आकर्षण सूचना सं० 2 पर दो गई स्टेट-
मेंट पर श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा
गया अनुप्रासक प्रश्न —
“***क्या मन्त्री महोदय बताने की
छुपया करेंगे कि जिस वक्त यह
रकम (श्रीलावृष्टि के नुकसान के राहत देने
के लिए) आघारित की गई उस समय
क्या प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखना
ठीक नहीं समझा गया और क्या आज
सरकार ने ठीक समझा है कि कम्पन-
सेशन के अमाउंट को बढ़ाया जाएगा ?”

अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर सोच
रही है और जसी आवश्यकता समझी
जाएगी उस पर विचार कर लिया
जाएगा।

सरकार ने दिनांक 24-10-91
को राजस्व मंत्री की अध्यक्षता
में एक उच्च अधिकार प्राप्त
समिति का गठन किया है
जो किसानों को जिनकी खड़ी
फसलों की बाढ़, सूखा,
श्रीलावृष्टि तथा आग आदि
जैसी प्राकृतिक आपदाओं से
से कोई नुकसान होता है तो
उन्हें अनुदान देने के मामले
को पुनरीक्षण करेगी।

2. उच्च अधिकार प्राप्त
समिति की दिनांक 21-12-91
को एक बैठक हुई थी और सभी
पहुँचों पर विचार करने के

24. तारांकित प्रश्न संख्या 1350 के संदर्भ में चौधरी सतबीर सिंह कादियां द्वारा पूछा गया अनुत्तरक प्रश्न—

“सोकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि पानीपत जिले के ग्रन्थर मिनी सन्टेनिएट काम कब शुरू होगा और कब तक नए सन्टेनिएट काम शुरू होंगे।”

Not Dependent
 22/10/95
 22

15-3-91

साहब, पानीपत में 66 एकड़ जमीन कैम्पिंग ग्राउंड की है उसका डिस्पूट है। केन्द्रीय सरकार तो यह कहती है कि यह जमीन उसकी है और हरियाणा सरकार कहती है कि यह जमीन हमारी है। इसका फसला होते ही वहां पर काम शुरू करवा देंगे।

पानीपत में लघु सचिवालय भवन तथा रिहायशी भवनों के निर्माण हेतु हुड्डा से सैक्टर-6, पानीपत में 20 एकड़ भूमि लेने का निर्णय किया गया है। धन की कमी के कारण इस कार्य के लिये कोई राशि वर्ष 1994-95 में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। वर्ष 1995-96 में धन की उपलब्धता के मध्यमजर इस कार्य को शुरू करने पर विचार किया जायेगा।

(7-10-94)

उपरान्त समिति ने कुछ बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करने के आदेश दिये। समिति को आगामी बैठक बुलाने हेतु मामला अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(16-6-94)

कमेटी इस बारे में लेटर पोस्ट जन जानना चाहती है। (10-1-95)

26-6-95
 26-6-95
 22

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

25. श्री हरि सिंह, सेनी द्वारा पूछे गए सार्वजनिक प्रश्न सं० 1346 का भाग

- (क) क्या कपड़ा मिल, हिसार की भूमि का कब्जा लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

5-3-1991

(क) जी हाँ, प्रस्ताव है परन्तु मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है।

This assurance does not pertain HUDA rather it relates to the Deputy Commissioner Hissar under the Revenue Department, Haryana. The District Town Planner Hissar has intimated that the unutilised land of Hissar Textile Mill was resumed by the Collector, Hissar Against the management order passed by the Collector, Hissar the management of Delhi Cloth-Mill, Hissar has filed a write petition No. 6237 of 1989 (D.C.M. Ltd. Vs. State of Haryana etc.) in the Hon'ble Punjab & Haryana High Court This case is being pursued by the D.C. Hissar.

(24-11-92)

10-3-1992

26. श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछे गए अंतरांगिक प्रश्न सं० 11 के उत्तर में —

(क) ग्राम हाणा रामपुरा में भूतपूर्व महाराजा फरीदकोट की भूमि से संबंधित केवल एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है * * * * *

The Committee would like to know the latest position. (23-8-93)

C.O.
30-8-95

रिटी आफ लैंड टन्योरज एक्ट, 1953 के तहत रकबा सरप्लस घोषित हुआ था। सरप्लस रकबा तदादी 241 एकड़ जो (एफ) श्रेणी के 61 पाल व्यक्तियों को अलाटमेंट कमेटी की उपस्थिति में दिनांक 9-1-89 को निर्णानुसार अलाट किया गया था जो सही है। उक्त 61 अलाटियों को मौका पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व अमला पुलिस बल सहित मौका पर पहुंच कर कब्जा कार्यवाही करते समय केवल 8 व्यक्तियों को ही कब्जा दिलाया गया था कि गैर रामपुरा के काफी व्यक्ति इकट्ठे होकर मौका पर आये और कब्जा कार्यवाही में बाधा डालनी शुरू कर दी और पथराव आदि व लाठियों से रूकावट डाली जिससे कब्जा कार्यवाही करते समय नुक्स अमन का भय था इस कारण कार्यवाही कब्जा बन्द करनी पड़ी। उपरोक्त अलाट किये

क्र० सं०	संदर्भ	आयवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गये रकबा की कार्यवाही बन्द होने के पश्चात् इस भूमि पर ग्राम रामपुरा व डाणा के लोगों तथा राजस्थान से आये भाटों ने ताजरायज कब्जा किया हुआ है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 307 के अन्तर्गत केस दर्ज करवाया गया जो अब भी लम्बित है। इस केस का फसला अदालत द्वारा होने के उपरान्त ही अलाटियों को कब्जा दिलाने के लिए हिसा की संभावना को रोकने के लिए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा कर कार्यवाही की जाएगी।
(17-8-93)

इस शिकायत पत्र में कथित गांव की सरजस भूमि पर ताजरायज तौर पर बड़े भाटों के उठाए जाने

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या हॉसी में गांव ढाणा रामपुरा में महाराजा क्रीदकोट से संबंधित भूमि के आर्बेटन के संबंध में कोई विकीयित प्राप्त हुई है तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उसका ध्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्य बाही की गई ?

2b. श्रीमती राम केहरवाला द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 321—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गांव लाम्बी, तहसील डब वाली जिला सिरसा में कुछ कृषि भूमि को प्रचलित बाजार मूल्य से बहुत कम दर पर बेचा गया

गारे उल्लेख है।
(ख) ऊपर छंद (क) में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रौर सरफ़स भूमि का अलाटियों को मोके पर कब्जा दिलाते समय किसी प्रकार की हिंसा की संभावना को रोकने के लिए ग्रौर मायले को स्थाई ढंग से निपटाने हेतु सभी संबंधित पक्षों एवं पाटियों को विश्वास में लेकर सभी उचित कदम उठाए जाएंगे।

13-7-92

(क) तथा (ख) सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राम लाम्बी तहसील डबवाली में लगभग 148 एकड़ भूमि कुछ व्यक्तियों द्वारा मार्च से जून 1989 के दौरान छुई गई तथा माफिट रेट से कम कीमत पर रजिस्टर करवाई गई। इन दोनों बातों के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क की कम अवश्यता हुई। कमी की अनुमानित राशि एक लाख रुपये से अधिक बनती है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के अधीन कम शुल्क की वसूली के लिए

9-7-95

क्र० सं०	संदर्भ	आवसान	सरकार की द्वारा गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

है तथा पंजीकृत विलेख का निष्पा- कार्यवाही की जा रही है ।

दन तदनुसार किया गया है तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस संबंध में

क्या कार्यवाही की गई तथा उन

पुराने मुजारों का क्या रहा

जो उपरोक्त भूमि पर पिछले

60 वर्ष से कायम कर रहे थे ?

(13-7-92)

28. तारोक्त प्रश्न संख्या 321 के संदर्भ

में श्री बंसी लाल द्वारा पूछा गया।

अनुत्तरक प्रश्न—

“अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि चौधरी देवी लालजी के परिवार ने मुजारों से नौजायज तोर पर जमीन ली है । अतः तोर पर हरिजन मुजारे होते हैं लेकिन बाकी भी छोटे मोटे मुजारे हो सकते हैं । लीडर]

“.....अध्यक्ष महोदय,— एक साल यह पूछा गया था कि चौधरी देवी लाल जी के परिवार के लोगों ने जो जमीन लालबी गांव में ली है उसके बारे में बताया जाए । मैं बताया चाहता हूँ कि 84 एकड़ जमीन तो मुजारों की थी और 16 एकड़ जमीन दूसरे गरीब लोगों की थी । उस वक्त किस तरह का वातावरण था आप सभी जानते हैं शुक्र है कुछ पैसे [इन्होंने दे दिए । ये लोग उस समय धक्के से बच्चा करते थे । 100 एकड़ जमीन

आफ ही आपोजीशन ने भी मुख्य मंत्रों पर जमीन लेने का आरोप लगाया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्य मंत्री जी इन दोनों डील के बारे में हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इन्क्वायरी करवाएंगे।”

इनके परिवार के आदमियों ने खरीदी और रिफाई भी यहाँ कहता है जो इसमें छपा है, उसको भी हमने देखा है। पहले ही काफी सरप्लस जमीन चौधवीं देवी लाल जी के परिवार की निकलती थी और यह जो 100 एकड़ जमीन इन्होंने ली इसका डेक्लरेशन अभी तक इन्होंने सरकार को नहीं दिया कि इतनी जमीन हमने और ले ली है और हमारी इतनी जमीन सरप्लस निकलती है। एक तो यह भी इन्होंने कानून की उल्लंघना की है दूसरे कि वह गजबड़ी करवाई जाती है तो इन्कम टैक्स सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वह भी इसमें लिया गया था नहीं, यह देखने की बात है। सदस्यों की जो चिन्ता है उस को देखते हुए हम इस बारे में जांच करेंगे और जो सरप्लस जमीन निकलेगी उसको गरीब लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे।

327-92

29. तारकित प्रश्न संख्या 321 के संदर्भ में श्री मनी राम केशरवाला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि जो जमीन ली गई, उसमें देवी लाल के परिवार के लोगों ने ली है। वह जमीन 100 एकड़ के करीब थी। उसकी हम

Dubbed
26-6-95

33

Dubbed
26-6-95

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

"स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि (गोब लाम्बी तहसील डबवाली) जिस ने जो जमीन खरीदी थी, उसको टोटल अलोटमेंट कितनी थी और जो 6-6 महीने के वृत्तों के नाम जमीन लगाई गई, क्या उनका यूनिट बनता है ? इसके साथ ही मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि जिन हरिजनों को वहाँ से निकाला गया था, क्या उनको अदातत द्वारा बेदखल किया गया था या नहीं किया गया था ?"

पूरी जांच करवाएंगे और जो जमीन सर-प्लस निकलेगी। उसको बाकायदा सरप्लस में निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, उसमें जिस हरिजन की जितनी भी जमीन निकलेगी, उसको हम देने की कोशिश करेंगे। जो हरिजन वहाँ से निकाले गए हैं, उनके बारे में भी हमने डिप्टी कमिश्नर और एस० पी० की जिम्मेदारी लगाई है कि उनके साथ बातचीत करें कि अब क्या पोजीशन है। उन्होंने अग्लाई किया है या नहीं किया है, उन्होंने दरखास्त दो है या नहीं दी है क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त इतना भय था कि कोई भी गरीब आदमी बोले नहीं सकता था, कोई ऐप्लीकेशन नहीं दे सकता था। इस लिए अब हम उनसे पूछेंगे कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं। अगर कोई भी ज्यादती की बात हमारे मोडिस

में आई तो सरकार उनके खिलाफ कार्य-
वाही करेगी।

24-2-93

“***में आपसे अनुरोध करूंगा कि
उक्त प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु
इच्छा आफ प्रोसीजर एण्ड नडबट आफ
विजनेस इन दि हरियाणा विधान सभा
के नियम 41 के परन्तुक 2 के अनुसार
कम से कम एक मास की बड़ोतरी दी
जाये।

10-3-93

जी हाँ। मामला राज्य सरकार के
विचाराधीन है।

30. श्री अमर सिंह द्वारा राज्य में सरप्लस
लैंड तथा उसके वितरण के बारे में
पूछे गये अतिरिक्त प्रश्न—

63 के संदर्भ में।

31. प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान द्वारा पूछा
गया तारीकत प्रश्न संख्या—

420—“क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएँ
कि क्या गांव के चौकीदार की मजदूरी
बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के
विचाराधीन है?”

10-3-93

“***इसके अलावा लम्बी में 82
एकड़ जमीन है जो देवी लाल के परिवार
की है। उसमें भी 17 एकड़ जमीन
ऐसी है जो कि सरप्लस है। इस सरप्लस
जमीन को एक महीने में गरीब लोगों को
बांट दिया जाएगा।

32. तारीकत प्रश्न संख्या 520 पर
श्री मंत्री राम केहरवाला द्वारा पूछा गया
अनुपूरक प्रश्न—“अध्यक्ष महोदय, मैं
आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से
जानना चाहूंगा कि देवी लाल बल्द
तेखराम चौधाला, देवी लाल बल्द भंडू

क्र० सं०	संदर्भ	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी कार्यवाही	दिप्पनी
1	2	3	5

राम गांव भुठवाला, मनीराम और मोहनलाल झीरड़ मिट्टी पेररं, सेठ नरदलाल गवेरीवाला फतेहपुरिया गांव में कितनी जमीन सरप्लस है, इसके बारे में मुख्य मंत्री जी बताएं ?

10-3-03

33. तारकित प्रश्न संख्या 520 पर चौधरी फूलचन्द मूलाना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि सरप्लस रखवा तो ऐलाट हो गया है लेकिन जिस गरीब आदमी को यह रखवा ऐलाट हुआ है उसको उस जमीन का मालिक कब्जा नहीं करते देता ? उस जमीन के मालिक दोबारा से अपनी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं । ऐड-मिनीस्ट्रेशन भी कई बार इस मामले

अध्यक्ष महोदय, स्टेट में केवल 1,21,409 एकड़ सरप्लस भूमि थी जिसमें 1,13,124 एकड़ जमीन 1-4-92 तक ऐलाट हो चुकी है और ऐसा बि. मैन कहा कि 1,45,00 एकड़ जमीन ऐसी है जो कि कर्ट में स्टे में है । हमारा अनुमान है कि यह मुकदमें भी जल्दी हो खत्म हो जाएंगे और हमें आठ हजार एकड़ जमीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी इसके अलावा 1-4-92 से 31-3-93 तक 650 एकड़ भूमि हम ऐलाट [कर देंगे । इस सरकार ने आते ही कर्ट से रिक-वर्ट की है कि इन मुकदमों को जल्दी से

28

28

जल्दी निपटायें जायें । 650 एकड़ में से 268 एकड़ रकबा उन लोगों को दिया जाएगा जो इसके हकदार बनते हैं***

में निष्क्रिय रहता है । क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे जो जमीन गरीब आदमी को ऐताद हो गयी है उसको मिल सके लेकिन उसके मालिक ने दोबारा से कब्जे कर लिया है, क्या सरकार उस गरीब आदमी को उस सरपस जमीन पर कब्जा दिलवाएगी ।

12-3-93
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में वजन है । मुआवजे की दरें बहुत पुरानी तय की हुई हैं और ये हमारे वक्त की तय की हुई हैं । इन दरों को बढ़ाने के बारे में सरकार जरूर विचार करेगी ।

जिन किसानों की खड़ी फसलों को बाढ़ सूखा, ओलावृष्टि तथा आग जसी प्राकृतिक आपदाओं से कोई नुकसान होता है तो उन्हें अनुदान देने की दरों में वृद्धि की नीति को समीक्षा करने करने हेतु गजस्व मन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की हुई है इस समिति की बैठक बुलवाने हेतु केस अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जा चुका है । जब कमेटी इस बारे अपने सिफारिश करेगी और उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जायेगा तो इस बारे आश्वासन

34. जिला महेन्द्रगढ़, भिवानी और रिवाड़ी में ओलावृष्टि से नष्ट हुई चने तथा सरसों की फसल संबंधी धानांकषण सूचना नं० 27 पर प्रो० राम विवास शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूर्व प्रश्न—
सोकर साहब, जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाएगी । तिलहन की फसल में 75 परसेंट खराबे पर 400 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है और सब्जी की फसल के खराबे पर 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है । एक तरफ तो मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि सरकार की किसानों की मदद करने की पालिसी है और दूसरी

26-8-95

26/8/95

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	तरफ मुआवजे की वरें बहुत थोड़ी हैं। आज किसान अपनी फसलों पर जो पसा इनवेस्ट करता है उसके रेट लगभग तीन गुण बढ़ चुके हैं और यह मुआवजे का रेट बहुत प्रपना तय किया हुआ है आज जो २० से ३० बीज और फसल की जस्ताई बकाई पर बहुत ज्यादा खर्च बढ़ चुका है। स्पीकर साहब, किसान सबसे ज्यादा उदात्त करता है और फसल उसकी संपत्ति है लेकिन वह सारी फसल आसमान के नीचे रखती है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मुआवजे की वरें हैं, क्या उसको बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है।	समिति को अवगत करा दिया जायेगा। (17-10-94)	(21.11.91) 19.10.91 20.10.91 21.10.91	
	2-9-93 अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले को मैं दोबारा चेक अप करवा लूंगा।		29	
35	तारकित प्रश्न संख्या 638 पर श्री सतवीर सिंह कादियान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पंजाब राज्य तक नहीं बढ़ा है। (श्रीलावण्ड से हुई ध्वनि का यह सारी रिपोर्ट गलत है। मंत्री जी हाउस को सुमराह कर रहे हैं। बंटता और भेलता यह दो अलग चीजें हैं। आप स्मिति स्वीयर करें। (पानीपत जिले के वारे में)			

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the INDUSTRIES DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

36. उपरोक्त तेल शोधक कारखाने (तेल शोधक कारखाना, करनाल) के कब तक स्थापित किए जाने तथा काम आरम्भ करने की संभावना संबंधी श्री रणजीत सिंह द्वारा पूछे गए सारांश किंतु प्रश्न सं० 601 का भाग (ख)

26-8-88

यह परियोजना मई, 1992 तक पूरी होती निश्चित है।

भारतीय तेल निगम द्वारा पारंपरिक में तेल शोधक कारखाना लगाने का कार्य चल रहा है। इस कारखाने के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव, हरियाणा प्रत्येक तिमाही में अधिकारी गणों की बैठक में करते हैं। कार्य तिथि बढ समय-नुसार चल रहा है।

(2-8-94)

The Committee would like to know the latest position.

2-8-94

30

20-12-91

37. "दि हरियाणा रेगुलेशन एंड कंट्रोल आफ क्रैबार्ज बिल, 1991" के संदर्भ में चौ० अजमत खान द्वारा दिया गया सुझाव : स्पीकर साहब, इन क्रेबार्ज की घूल से टी० बी० और अन्य प्रकार

पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 9-6-1992 जो कि हरियाणा सरकार के गजट (असाधारण दिनांक 9-6-1992) कमेंटी इस बारे लेटेस्ट पोलीशन जगना चाहती है कि किलने क्रेबार्ज दया दिए हैं और बाकी जो बचते हैं उनको हटाने के

की बीमारियाँ मजदूरों और आस पास के रहने वाले लोगों में होती हैं साथ ही इसकी धूल से एक कि० मी० तक किसान की फसल को भी नुकसान होता है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जहाँ तक भी ये श्रेय लगए जाएँ, वहाँ पर किसान की फसल को ध्यान में रखें और अगर केशर की गई से किसान की खेती पर प्रभाव पड़ता है तो या तो किसान को खेती का बीमा करवाया जाए या उसको मुआवजा दिया जाए।”

41

लिए क्या कदम
उठाए
जा रहे हैं।
(19-7-93)

प्रकाशित हुई अनुसार स्टोन
क्रेषाज के लिये अलग-अलग
सीमायें निर्धारित की गईं। इस
अधिसूचना की तिथि के छः माह
पश्चात् में किसी भी स्टोन क्रेषर
जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से
डेढ़ किलोमीटर राजकीय राज-
मार्ग से एक किलोमीटर गांव
की आबादी से एक किलो-
मीटर एवं पर्यटन केन्द्र से डेढ़
किलोमीटर के अन्दर अन्दर
लगा होगा, को चलने की अनु-
मति नहीं दी जायेगी जिला
गुडगांव महेंद्रगढ़, भिवानी तथा
यमुनानगर के 78 स्टोन क्रेषर
जिन्होंने विभाग से लाइसेंस नहीं
लिया था तथा वह उपरोक्त/
दूरियां पूरी नहीं करते थे की
विजलो काटने के लिये राज्य
विजलो बोर्ड को दिनांक 28-5-
1993 को आग्रह किया
गया है। यह टिप्पणी भेजते-

सो किसान की खेती पर प्रभाव पड़ता है तो या तो किसान को खेती का बीमा करवाया जाए या उसको मुआवजा दिया जाए।"

Fund for
Geo Dey
Letter to
Vide S/10/95

16/10/95

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भोजन के समय तक, इन में से बहुत से स्टोन कैशरज की बिजली कट भी गई है। इस तरह से भविष्य में स्टोन कैशरज किसानों की फसलों से दूर लगाये जायेंगे जिससे फसल को नुकसान होने का अन्देश नहीं होगा।
(30-6-93)

24-2-93

अध्यक्ष महोदय, उस तहसीलदार को संसंग कर दिया गया है और बाकायदा इंकवायरी भी चल रही है। हम किसी को बकशें नहीं।

32

38. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रो० समंत सिंह द्वारा उठाया गया प्रश्न—... लेकिन जो गड़गांव के गांव की जमीन थी, उस बारे में मैं यह वर्तमान चाहता हूं कि मौजा इनायतपुर की 90 एकड़ जमीन, जो कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, मास्ति के नजदीक, दोनों तरफ दिल्ली

CO
26-6-93

रोड़ है, उस जमीन के 645 मालिक थे। 22-12-92 और 23-12-92 को पावर आफ अटार्नी के द्वारा रजिस्टर करवाई गई। चार फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बरों 1083, 1084, 1087 व 1090 से यह रजिस्ट्रेशन हुई है। स्पिकर सर जो पावर आफ अटार्नी देता है, उसके अंगूठे का निशान या दस्तखत होते हैं। पावर आफ अटार्नी में नाम लिखे गए कुल 130, लेकिन साइन व अंगूठे केवल लगभग 59 आदिमियों के बाकी 71 के ना तो अंगूठे हैं नही साईन हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

39. बजट भाषण

2-3-93

एक नई परियोजना "प्रिंसीपल मॅकनिकल डिजाइन एण्ड एसोसिएटिव फसिलिटीज," 2.32 मिलियन अमेरिकी डालर की यु0 एन0 डी0 पी0 सहायता से गुड़गांव में स्थापित की जा रही है। भारत सरकार की सहायता से गुड़गांव में एक "साफ्टवेयर-टेक्नोलोजी पार्क"

33

Transferred to Electra-
Transferred to
rcs Dept. W. 103 B1
Under [7]
923.1 B 17
965-10-95

क्र० सं०	संदर्भ	प्राथमिक	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

श्रीर. एक हाउसिंग एजेंसी. पार्क
स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
हुडा से मिल कर हस्टान गुडगांव में
एक "इलेक्ट्रॉनिक नगर" स्थापित कर
रहा है।

10-3-93

40. वित्त मंत्री का वजेट पर उत्तर देते हुए

..... प्रथम महोदय, कादियान जी
जी ने उद्योग कुंज के बारे में कहा है
कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो
रही। मैं बताता चाहूंगा कि इस स्कीम
पर चार जिलों में काम हो रहा है।
सोनीपत, रोहतक, गुडगांव में तो साइट
ले ली गई जबकि हिसार जिले की
तलाश की जा रही है। ज्यों ही जमीन
मिल जाएगी, हिसार में भी इस स्कीम
पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

37

12-3-93

यह प्रविजन हम करते जा रहे हैं ।

41. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2)

बिल, 1993 पर बोलते हुए श्री धर्मपाल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
 जिनके पास पिछले आठ सालों से हुड्डा से लिए हुए प्लाट्स हैं उनको प्लाट होल्डर बेचना चाहते हैं क्योंकि वे इंडस्ट्रीज लगाने के इच्छुक नहीं हैं, पर हुड्डा उनको ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देती जिससे इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं पनप रही । मेरी प्रार्थना है कि उन प्लाट्स को ट्रांसफर करने की आज्ञा होनी चाहिये ताकि जो लोग इंडस्ट्रीज लगाने के इच्छुक हैं, वे लोग उन प्लाटों को खरीद सकें और नई इंडस्ट्रीज लगा सकें ।

35-

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the TRANSPORT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

11-3-1991

42. श्री मनी राम द्वारा पूछा गया तारांकित जो है।

प्रश्न सं० 1357--बदा का लांबाली मंडी में बस स्टैंड के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बस स्टैंड उस स्थान पर बनाया जाएगा जहाँ पर जमीन बिना मूल्य के पचायत या कमेटी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस विभाग द्वारा कमेटी को लिखा गया है परन्तु उसका उत्तर अभी नहीं आया है।

(12-8-94)

20-12-1991

43. वर्ष 1987 से 1991 तक के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन के प्रत्येक डिपो में दैनिक मजदूरी तथा तदर्थ

इसलिए यह निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक महीने की अवधि बढ़ाई जाए।

20-30-96

36

आधार पर की गई नियुक्तियों संबंधी श्री छत्तर सिंह चौहान द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न सं 0 110.

13-3-1992

44. तारकित प्रश्न सं 0 223 के संदर्भ में चौधरी अजमत खां द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

“अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि बस स्टैंड बनाने का काईटेरिया क्या है, तहसील हैडक्वार्टर है, ब्याक लेवल पर है या सिर्फ सड़कों को देखते हैं। मेरे हल्के का हथौता कच्चा चारों तरफ से सड़कों से घिरा हुआ है और वहां बस स्टैंड के लिए जमीन भी ऐक्वायर की हुई है तो क्या मन्त्री महोदय, बतायेंगे कि कब तक बन जाएगा ?”

45. तारकित प्रश्न संख्या 350 के संदर्भ में श्री राम रतन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

“अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी

सोकर साहब, यह काईटेरिया मैंने पहले ही बता दिया है और हम इनकी सीमा पर विचार करेंगे।

(23-12-1992)

हसनपुर में जमीन ऐक्वायरन्स की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है फिर भी मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है तो हमें उसे पूरा करना है, व कार्यवाही हम पूरी करेंगे।

निदेशक पंचायत हरियाणा द्वारा अभी तक ग्राम पंचायत की भूमि परिवहन विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। भूमि ट्रांसफर होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य फण्डज की उपलब्धी अनुसार शुरू होने की संभावना है।

(21-10-94)

The Committee would like to know the latest position.

21-9-94

विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पंचायत कमेटी द्वारा मुफ्त दी गई जमीन पर बस स्टैंड बनाया जाएगा तथा इस विषय में निदेशक पंचायत विभाग को लिखा जा चुका है। बस स्टैंड की कन्स्ट्रक्शन का कार्य

The Committee would like to know the latest position.

21-11-93

क्र० सं०	संक्षेप	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

से जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने मेरे हल्के हसनपुर में बस-स्टैंड बनवाने का जो आश्वासन दिया था, वह कब तक पूरा हो जाएगा?

पैसे की उपलब्धता होने पर तथा जमीन के उपलब्ध होने पर शुरू करवा दिया जाएगा।

(12-8-84)

24-2-93

46. श्री 0 सम्प्रदासिंह द्वारा अंतरांकित प्रश्न नं० 60 पर।

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान राज्य में हुई मोटर गाड़ी तथा अन्य दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त, पृथक्-पृथक् सर्वाधिक दो राज्यों में घायल हुए दुर्घटनाओं में मरे या घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; तथा

(ग) उक्त दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त घायल हुए

परिवहन विभाग के पास केवल दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त हरियाणा रोडवेज की बसों से संबंधित सूचना है। समय सूचना गृह विभाग के पास उपलब्ध होगी तथा जो इसे सभी जिलों से एकत्रित करेगा।

*** मैं प्रश्न को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निवेदन करता हूँ उसी दौरान मैं भी इस प्रश्न को गृह विभाग को भेजने के लिए पग उठा रहा हूँ।

35.1.96

व्यक्तियों तथा मृतकों के परिवारों को प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा यदि कोई मुआवजा दिया गया तो बिलगा ?

26-2-93

47. श्री अक्षर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित

प्रश्न संख्या 499.

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) राज्य में वर्ष 1990-91 में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान सरकारी सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई तथा

(ख) क्या उपर वर्णित सम्पत्ति की हानि की कोई जांच करवाई गई है यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा तथा जिससे वहाँ हुए व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई, तो क्या ?

26-2-93

48. तारांकित प्रश्न संख्या 499 के संदर्भ में साथी

लहरो सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक

प्रश्न :-

“छ” हरियाणा रोडवेज की बसों को सैनोपत में जलाये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने आयुक्त, रोहतक मण्डल द्वारा एक जांच करवाई थी, जिसके आधार पर अगामी कार्यवाही की जा रही है।

* * * * * यह 14 लोग हैं जिनके खिलाफ कमीशन (आरक्षण आन्दोलन के दौरान हुए नुकसान के लिए जायज होने के लिए बिठाया गया।

29

Debbel
201-86

Transferto Home Dept
Letter No
201-27 (11)
21/2/93
201-27

क्र० सं०	संदर्भ	2	3	4	5
				सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी

“यह जो मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि लगातार कार्यवाही की जा रही है इस केस को हुए दो साल हो गये हैं। स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से आदमी इसमें इन्वाल्व्ड हैं, किस किस आदमी का उस इन्कवायरी रिपोर्ट में नाम है और कौन से अफसर ने इसकी इन्कवायरी की है और कब तक यह इन्कवायरी पूरी हो जायेगी।”

2-3-93

49. तारकित प्रश्न सं० 418 के संदर्भ में श्री धीरपाल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न “अद्वैत महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि 5 कंडक्टर्स में से इन्होंने 2 की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और बाकी के 3 कंडक्टर्स ने कोर्ट से स्पॉन्स आदेश

कमीशन ने रिपोर्ट दी है। आप जानते हैं कि 190 पेज की रिपोर्ट थी, वह रिपोर्ट आने में ही एक सप्ताह लग गया। हमने इस बारे में कुछ कार्यवाही की भी है। एक एस० पी० और एक ए० एस० पी० को सस्पेंड भी किया है। बाकी आदमियों की जवाबतलबी भी की है। कानून के मुताबिक जो भी कार्यवाही हो सकती है, वह हम जरूर करेंगे।

स्पीकर सर, यह केस पुलिस में रजिस्टर्ड है। विभागीय तौर पर इसकी जांच हो रही है। और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। अगर हमारे विभाग का कोई ऑफिसर दोषी पाया जाएगा तो उसका खिलाफ हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। जहाँ तक टिकटें जारी होने का सवाल है विभाग से तो यह

4.
F-001-96

लिया हुआ है। यह जो कांड हुआ है, क्या इसमें कंधा स झटके हो पायीया है या कोई रेकोर्ड या गिरोह है? इसके लिए आपके जो अधिकारी रिसर्चासिबल हैं, उनके खिलाफ

इन्वयरी क्यों नहीं की गयी? ये टिकटें कहाँ से और किस अधिकारी के आदेश से जारी जारी हुई हैं?"

12-3-9

50. चौधरी जाकिर हुसैन द्वारा पुछा गया

तारांकित प्रश्न संख्या 538 ता भाग

(क) तथा (ख)

(क) क्या जिला गृहों में तावडू में

बस अड्डे के निर्माण का कोई

प्रस्ताव सरकार के विचारा-

धीन है; तथा

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य के कब

तक आरम्भ होने की संभावना है?

12-3-93

51. तारांकित प्रश्न सं 0 538 पृथ्वी कृष्ण

लाब द्वारा पुछा गया अनुपूरक प्रश्न-

टिकटें जारी नहीं होती जो जॉनी प्रिटिंग कार्ड बताती हैं इसकी पुलिस इन्वयरी कर रही है।

* * * * *

(क) जी, है।

(ख) साईंटिग बोर्ड द्वारा भूमि का

निरीक्षण किया जा रहा है। स्थान

का अनुमोदन सरकार से किये जाने

के उपरान्त भूमि अधिग्रहण की

कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

भूमि अधिग्रहण के उपरान्त तथा

विभाग के पास धन राशि की

उपलब्धि पर ही बस अड्डे का

निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मतलोडा में बस स्टैण्ड

बनाने के लिये पब्लिक की ओर से कोई

41

63

F-0
20-1-96

Defended
20-1-96

क्र० संदर्भ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पिनो

1 2 3 4 5

स्पीकर साहब, मेरे हलके में मतलोडा गांव है, बंकाक हडक्वार्टर है और कस्बा है। मंत्री जी मतलोडा के बारे में भली-प्रकार से जानते हैं क्या सरकार का वहां नया बस स्टैंड बनाने का कोई विचार है।

डिमांड नहीं आई है किंग भी हम-इसको एजामिन करा लेंगे। 24-6-86 को वहां पर ब्यू शैलर बनाने के लिये वहां के महा-प्रबन्धक को इस्टिमेट दिए गए थे लेकिन वह ब्यू शैलर बना क्यों नहीं, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मजिस्ट्रेट की ऐसी कोई डिमांड भी नहीं है इन्होंने पहली बार हाउस में यह सवाल रोज किया है। हम साईट की जांच करा लेंगे और अगर जरूरी हुआ तो बस स्टैंड बना देंगे नहीं तो ब्यू शैलर बना देंगे।

12-3-93

52. तारांकित प्रश्न सं० 538 पर चौधरी अरुण महोदय, कलायत के अन्दर बस स्टैंड के लिए जमीन की एक्विजीशन प्रोसीडिज-सैकशन 4 व 6 के तहत जारी है। जब उसका अवाई हो जाएगा, उसके बाद ही यह निश्चित किया जाएगा

wb

52
20/7/86

को बहुत दिक्कत है। वहाँ की आबादी भी 20 हजार के लगभग है और 44 गांव उसके साथ लगते हैं। उस बस स्टैंड को कब तक बना कर पूरा कर दिया जाएगा। क्या सरकार के पास ऐसी कोई प्रोपोजल विचाराधीन है। कब तक लोगों की इस दिक्कत को सरकार दूर कर देगी।

12-3-93

53. तारकित प्रश्न सं० 538 पर श्री वृज आनन्द द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट में नये बनने वाले बस स्टैंड का फाउंडेशन स्टोन मुख्य मन्त्री महोदय अपने हाथों से रख कर आये हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उस बस स्टैंड का काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा।

कि वहाँ बस स्टैंड कब तक शुरू होगा।

अध्यक्ष महोदय, शुरू तो हम बहुत जल्दी करवाएंगे, लेकिन उसके पूरा करने की डेट बतलाने में अभी हम असमर्थ हैं। क्योंकि उसमें एक समस्या हमारे सामने है कि कुछ जमीन जो उस बस स्टैंड के आगे की है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है और विभाग ने जो आगे वाली जगह एक्वायर की है उसके बीच में एक मंडी पड़ती है। हम चाहते हैं कि मंडी को कहीं पीछे एडजस्ट किया जाए और बस स्टैंड के अन्दर जाने वाला और बाहर आने वाला रास्ता में रोड के ऊपर हो दिया जाए। जब यह समस्या हल हो जाएगी तो बस स्टैंड को जल्दी से

P-0
20-1-96

43

क्र० सं०	संदर्भ	अप्रशस्ति	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जल्दी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे।

12-3-93

54. तारांकित प्रश्न सं० 538 पर श्री धर्मपाल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानता चाहता हूँ कि सादरी का बस स्टैंड श्रीरवर्क गाँव को अधूरे पड़े हैं, उनको कब तक अधूरा कर दिया जाएगा।

स्पीकर साहब सादरी बस स्टैंड की 16 फीस की विलिडग बना रही है। जैसे कि पी० डब्ल्यू डी० वालों से हमें अप्रयोरैस भिन्ती है कि बस स्टैंड खूब, 1993 तक पूरा हो जाएगा।

31-8-93

55. तारांकित प्रश्न संख्या 557 पर श्रीमती सदावती द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-‘स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि श्री साल से माटाही रह जा रहे हैं और 8 करोड़ के लगभग खाटा हो गया होगा। क्या इंजीनियरी डिपॉट के आधार पर किसी अग्रजित को प्रिम्मेवरी फिक्स करो गयी

* * * * *
मिनी बसें घाटे में चल रही थी और खरीदे जाने की ज़िम्मेवारी भी श्री ग्रोम प्रकाश चौधाला तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा श्री धर्मवीर, तत्कालीन परिवहन मंत्री की बनती है। यह एक सरकारी रिपोर्ट है जो डायरेक्टर जनरल, बिजोलिस की तरफ से हमारे पास आयी है। मैं आपको यह

F.0 1201-96

44

F.0 1201-96 45

है। मेरा एक तो सवाल यह है। दूसरा मेरा रावाय था है कि आम तौर पर एक बस की उस अपनी सड़कों के हिसाब को देखते हुए कितनी है? जब बसें चलती हैं तो उनमें स्टेपनी और दूसरे इम्पलीमेंट्स वगैरह भी होते हैं?

1-9-93

56. श्री भरथ सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं 0 641 के उत्तर में—व्या कलायत में बस अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि ऐसा इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

जी हां, इस उद्देश्य के लिये भूमि अभिग्रहण की जा रही है। धन की उपलब्धि पर बस अड्डे के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

2-9-93

57. 11-8-92 से 10-8-93 तक की अवधि के दौरान राज्य में हुई दुर्घटनाओं संबंधी प्रो 0 समत सिंह द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं 0136—

* * * सभी जिला पुलिस कार्यालयों तथा जिला परिवहन कार्यालयों से इस प्रश्न से संबंधित सूचना एकत्रित करनी है [जो कि बहुत बड़ा कार्य है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा के इस अतारांकित प्रश्न का उत्तर देने के लिये समय बढ़ाने की कृपा करें।

बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अभी एजामिन हो रही है। इसके बाद इस पर उचित कार्यवाही करेंगी।

57
Deemed
D 1 867

119-011}

*Note :—*In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	भाषासन्त	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

15-3-1988

58. श्री किशन सिंह सांगवान द्वारा पूछा गया अंतरांगिक प्रश्न सं० 41—

(क) क्या सिंचाई तथा विजली मंत्री कृपया बताएं कि क्या यह तथ्य है कि निम्नलिखित पांच पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिसके कारण हरियाणा राज्य परिवहन उन पर अपनी बसें नहीं चला रहा है।

1. मालोट उप शाखा पर हाई लेवल पुल जिसिया रिठाल सड़क क्रॉसिंग पर।

(क) हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

मालोट उप शाखा पर हाई लेवल पुल (जिसिया, रिठाल क्रॉसिंग पर) को ठीक करा दिया गया है और उस पर ट्रैफिक सुचारु रूप से चालू है। बाकि चार पुलों की मरम्मत के लिए बी०एण्ड०आर विभाग से पांच लाख रुपये मिले थे जो कि खजाने में जमा करा दिये गये थे। वित्त विभाग से एल०ओ०-सी० मिलने के बाद उनकी मरम्मत का काम शुरू करा दिया जायेगा।

(11-8-94)

7-8-95

2. मालोट उप शखा पर हाई सेवेल पुल कसेवा-सरायल सड़क क्रॉसिंग पर।

3. आलोटे उप शाखा पर हाई सेवेल पुल खानपुर-मोई सड़क क्रॉसिंग पर।

4. खानपुर खजवाहा पर हाई सेवेल पुल गोहाना बड़ीदा जलाना सड़क क्रॉसिंग पर।

5. भिवानी उप शाखा पर हाई सेवेल पुल गोहाना बड़ीदा सड़क क्रॉसिंग पर।

(ब) यदि ऐसा है, तो उपरोक्त पुलों की मरम्मत कराने के लिए यदि कोई पग उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित है, तो क्या?

59. चौधरी सतबीर सिंह कादियान द्वारा पूछा है, इससेना विकास से निकले वाली 1- यह कार्य किलोमीटर 11.75 मार माईनर जोम्बका करने की योजना तक 3/94 में पूरे किया जा को बंदों के प्राधुनिकीकरण को परियोजना बुला है। किलोमीटर 11.75

12-9-1989

Assurances Koppe
pending
(12-1-94)

7-8-95

क्र०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	दि० (11-8-94)
सं०				

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

पक्का करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है यदि ऐसा है, तो उक्त माइनर को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

(फैज-11) में शामिल किया जा रहा है। उक्त माइनर को पूर्णतया पक्का किया जाने की तिथि बारे कहना सम्भव नहीं है क्योंकि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

से किलोमीटर 12.20 तक नहर को तकनीकी कारणों से पक्का करना आवश्यक नहीं है। (11-8-94)

17-1-1990

60 तारकित प्रश्न संख्या 1018 के संदर्भ में श्री होरा नेन्द शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

* मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस काम को फेज्ड प्रोग्राम (रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ में बाकी के पम्प हाउसों को चलाने के लिये) में पूरा करने के लिए पैसे का प्रोजेक्शन रखा गया है कि किस-किस साल में कितना-कितना धन उपलब्ध होगा ?

जे०एल०एन० परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में धन का कोई प्रावधान नहीं है। जे०एल०एन० परियोजना के शेष रहे कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। असेक्षित धन की उपलब्धी पर आवश्यक एवं प्राथमिकता वाले कार्यों को पूर्ण किया जायेगा।

(11-8-94)

Assurance kept pending (12-8-94)

F.O
7895

F.O
8-11-95

श्री हीरानन्द आर्य द्वारा पूछे गए तारकित प्रश्न संख्या 1010 का भाग (क) तथा

(ख) —

(क) एस 0 वाई 0 एल 0 नहर के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा

(ख) इस के कब तक पूरा होने की संभावना है?

17-1-1990

परियोजना अधिकारियों ने यह सूचित किया है कि यह नहर वर्ष 1990 के अन्त तक पूरी कर ली जायेगी। फिर भी, राज्य सरकार 30-6-90 तक इसे पूरा करने के लिए इवाव डाल रही है।

तारकित प्रश्न संख्या 1010 के संदर्भ में श्री राम बिलास शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

“... हम सभी चाहते हैं कि एस 0 वाई 0 एल 0 नहर जल्दी से बन कर तैयार हो जाय ताकि

वह कमेटी 1-90 को मीक पर आ रही है। एस 0 वाई 0 एल 0 नहर, उस कमेटी के अन्तर्गत होगी। मे 0 डब्ल्यू 0 सो 0 के चोफा न्जीनियर साथ आयेगी और पंजाब तथा हरियाणा के इंजीनियर भी साथ होंगे। वे देखेंगे कि इस काम में स्वीपेज न हो

17-1-1990

एस 0 वाई 0 एल 0 नहर पंजाब भाग पर निर्माण कार्यपुनः शुरू करने हेतु व इसे शीघ्र पूरा करवाने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रयत्न लगातार जारी है।

(11-8-94)

Assurance kept
pending
(12-8-94)

(क) कालम 4 के अधीन जो स्थिति बताई गई है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है क्योंकि, कि जून 1990 में एस 0 वाई 0 एल 0 नहर पंजाब भाग का निर्माण कार्य रका हुआ है।

Assurance kept
pending
(12-8-94)

(ख) इस नहर के निर्माण हेतु सिचाई विभाग पंजाब ने जनवरी, 1991 के बाद कोई भी पूर्ण निर्मित संशोधित शिड्यूल कार्य को पूरा करने हेतु नहीं बतलाया है।

(11-3-94)

Not Deflected 57

F-0 8-11-95-3157-95

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		हड़ियाणा की धरती की ध्वास बुझ सके। इस बारे में हमारी सरकार के पास ऐसे कौन कौन से कंक्र्रीट सुझाव हैं जो केन्द्र की हमारी आपत्ती सरकार को देने जा रहे हैं और कितना पैसा मांग रहे हैं ताकि यह नहर जल्द से जल्द कम्पलीट हो सके ?” वे इस बात को टैंकटीकैव तौर पर भी देखेंगे। जो रिपोर्ट आयेंगी, उसकी जानकारी और मुख्य मंत्री जो प्रधान मंत्री जी से मिल कर आयेंगे, उसका विवरण भ्रमले संघत में दे दिया जाएगा। लेकिन जो सुझाव हम इस मामले में केन्द्र की सरकार को देने जा रहे हैं, उसकी जानकारी देना इस समय स्टेट के इंट्रेस्ट में नहीं है।”		

17-1-1990

Assurance kept pending (12-8-94)

63. ताराकित प्रश्न संख्या 1010 के संदर्भ में श्री हीरा नन्द आर्य द्वारा पूछा गया प्रश्न —
- “स्पीकर साहब पंजाब में जो एस0वाई0 एल0 नहर का निर्माण कार्य हो रहा है, उस का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी या कि हरियाणा टैरिटररी में एस0वाई0 एल0 नहर के निर्माण पर हमें खर्च की प्रतिपूर्ति करने हेतु मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया था परन्तु

31-7-95

करी रही है क्या हमारी सरकार ने। केन्द्रीय सरकार से इस बारे में अर्ज की कि हमारे हरियाणा में पानी नहर का खर्चा भी वह वहन करे? अगर नहीं की है तो क्या हमारी सरकार यह सवाल उनके सामने रखेगी कि हरियाणा में जो एस0वाई0 एल0 का हिस्सा वन चुका है और उसमें पानी न आने की वजह से जो रख रखाव के लिए खर्च हो रहा है, उसको वह वहन करे? क्या इस बारे में ये भी केन्द्रीय सरकार को एप्रोज करेगे?"

केन्द्रीय सरकार ने सूचित किया है कि एस0वाई0एल0 नहर पंजाब और का निर्माण का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय विशेष स्थिति में लिया गया था और एस0वाई0 एल0 नहर के हरियाणा भाग पर निर्माण कार्य की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन करने या इसकी प्रतिपूर्ति हरियाणा सरकार को करने हेतु केन्द्रीय सरकार सहमत नहीं है।

(11-8-94)

12-3-1990

64. तारांकित प्रश्न संख्या 1065 के संदर्भ में श्री भगवान सहैया रावत द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न--

"अध्यक्ष महोदय, इस नहर (अगरा कानाल के निधन्वण) के बारे में यह वार्तालाप आगे ही बढ़ता रहा है। पिछले सेशन में भी

इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। वैकल्पित प्रस्ताव यह विचाराधीन है कि जो वहाँ के किसानों से पानी के ज्यादा चांजिन लिए जा रहे हैं, उनको उस दर में कमपेसेशन दिया जाये।

Assurance kept pending (12-8-94)

दिनांक 11-8-04 को इस विषय पर सिचाई एवं संसदीय मामलों के मंत्री महोदय ने बिलायुक्त एवं सचिव, सिचाई एवं विद्युत विभाग, तथा प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग से

8-95 7+8-95

क्र०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सिचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा आवासन दे दिया गया था कि इस वातावरण को जल्दी ही पूरा कर लेंगे। यथा अब यह संभव होगा कि इस वातावरण को जल्दी ही पूरा कर लिया जाए ? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिससे फरीदाबाद जिले के लोगों को पानी मिल सके ?”

विचार-विमर्श किया था और इच्छा व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश से पुनः अतिरिक्त आरम्भ की जाये और यदि मामला नहीं सुलझता तो भारत सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया जाए। तदनुसार उत्तर प्रदेश के साथ बैठक बुलाये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(11-8-94)

(4-3-1991)

65. कैप्टन अजय सिंह बादल द्वारा पूछे गए (क) जी हाँ।

अतिरिक्त प्रश्न: सं० 236 का भाग (क) तथा (ख) —

(ख) इस पुल का निर्माण 1991-92 में कर दिया जायेगा।

The Committee would like to know the latest position.

(31-8-94)

F-6
12-9-94

(क) क्या रिवाड़ी शहर और रामगढ़ भगवानपुर गांव के बीच एक पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो पूर्वोक्त पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

54 66. श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 63---

(क) क्या तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद में रजौलका माईनर के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो, उपरोक्त माईनर पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

सका क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में जे० एल० एन० परियोजना के लिए स्वी-निंग विभाग द्वारा कोई धन व्यवस्था नहीं की है। अपेक्षित धन व्यवस्था कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अपेक्षित धन प्राप्त पर पूरा किया जाएगा। (11-8-94)

(19-12-1992)

रजौलका माईनर के कुल प्रस्तावित मार्ग रेखा की कुछ जमींदारों ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में टे दो थी जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत जारी की गई। अधिसूचना को रद्द कर दिया था इसके पश्चात यह चाहा गया था कि इस माईनर के निर्माण के लिए कोई सहमति पूर्वक मार्ग रेखा का

The Committee would like to know the latest position.

(31-8-94)

F-0

12-9-92

48

क्र० सं०	संदर्भ	आवधान	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रस्ताव किया जाये इसके अनु-
सार एक ऐसी मार्ग रेखा का
प्रस्ताव करते हुए जिसके
विरुद्ध कम से कम विरोध की
सम्भावना हो जो कि अधीन-
स्थ कार्ययुग में निरीक्षण हेतु
विचाराधीन है इस पर आगामी
कार्यवाही संशोधित मार्ग रेखा
के अनुमोदन के पश्चात की
जा सकेगी।

(11-8-94)

20-12-91

67. श्री मोहब लाल पिप्लू द्वारा पूछा गया
तारांकित प्रश्न सं० 59—
(क) क्या मेवात नहर के निर्माण का

(क) हाँ, अमान जो।

(ख) निर्माण कार्य के लिए समय निर्धारित
करना कठिन है।

The Committee
would like to
know the latest
position.

(11-8-94)

कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; तब

(ख) यदि ऐसा है, तो इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

68. ताराकित प्रश्न सं० 92 के संदर्भ में श्री खरौती लाल शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: "स्पीकर साहब! मुख्यमंत्री जी ने कुश्नेव विजिट के दौरान दादूपुर नलवी नहर को खींच प्रति शीघ्र पूरा करवाने का वायदा किया था। मैं आपके प्राध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या उस नहर को शीघ्र अति शीघ्र बनाने की दिशा में कोई पग उठाया गया है?"

हने एवं हरियाणा राज्य को अपने हिस्से का पानी मिलने और आवश्यक धन को उपलब्ध उपरान्त इस परियोजना पर विचार किया जायेगा।

(11-8-94)

The Committee would like to know the latest position.

(31-8-94)

स्थिति ज्यों की त्यों है, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाना है।

(11-8-94)

क्रम सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
69.	तारकित प्रश्न संख्या 193 पर चौधरी अजमत खाँ द्वारा पूछा गया प्रश्न—“नौ साल में 1082 एकड़ रकबे (मेवात के) में जो पानी सिंचाई हेतु दिया गया है, वह वास्तव में इतने रकबे में नहीं दिया गया”	16-3-92 * * * इसके अलावा एक डिफेंड * * * वहाँ का नवल ठीक नहीं है। इसके अलावा इनके इस इलाके में पानी की जोरी भी होती है। ओवर साईज के आउट लेक्स लगे हुए हैं और कोई इंडीपेंडेंट फीडर नहीं है। इसके लिये हम इंडीपेंडेंट फीडर बना रहे हैं। नए पम्पस भी लगा रहे हैं; साईनिंग भी ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा जिन दोनो गांवों को टेल तक पानी नहीं पहुंचता उनकी दूसरे तरीके से यानी सीधे ही जड़ने लग रहे हैं यह सब होने के पश्चात हमें उम्मीद है कि किसानों को काफी राहत मिलेगी।	1. उदाहर राजवाह की पिछले तीन सालों की सिंचाई के आंकड़े साथ लगी दिए गए हैं। जिसे स्पष्ट है कि इस राजवाहे की ओसतन सिंचाई 4800 एकड़ बनती है, न कि 1082 एकड़	The Committee would like to know the latest position.
	अगर 1082 एकड़ रकबे को सही मान लिया जाए तो क्या वजह है कि आज तक वह पूरा रकबा सिंचित नहीं हो पाया दूसरी बात यह है कि जो तीन गांव इन्होंने दिखाए हैं * * * इन से एक गांव मालका है जो इसकी टेल पर है और दूसरा गांव जराही भी (इससे मिलता हुआ है * * * सरकार इनकी टेल पर पानी पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रही है * * * में		2. उदाहर राजवाह की खराब व टुटो हुई साईनिंग को ठीक करवाने के लिए एक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत लगभग 45 लाख रुपये है, इसकी मंजूरी होती	

जानना चाहता हूं कि इस नहर को
दोबारा से ठीक करेगी * * *
या कोई दूसरा खवाहा बना कर
उससे बुर्जी नं० 68 से या टेल की ओर
से जोड़ दोगे।"

ही उठावर राजवाह
ठीक करवा दिया
जाएगा।।

3. उठावर पम्प हाउस की
लगतार विजली सप्लाई
के लिए 4.52 लाख
रुपये की लागत से
एक इन्डोपैन्ट इलेक्ट्रिक
एच०टी० (H. T.)
फीडर लाईन मंडकोला
से लेकर उठावर पम्प
हाउस तक हरियाणा
विजली बोर्ड द्वारा लगवा
दी गई है जिससे
विजली की सप्लाई में
सुधार हुआ है। फिर
भी लो-वोल्टेज (Low
Voltage) समस्या
का पूरा समाधान नहीं
हुआ है जिसके लिए
मामला हरियाणा राज्य
विजली विभाग बोर्ड
प्राधिकारी (H.S.E.B.)
को विचार्य भेजा हुआ है।

Dever
129

क्र० सं०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

4. पानी की बोरी रोक्ने के लिए उटावर राजवाह पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस राजवाह पर से सभी गैर कानूनी लोग भी हटा दिए गए हैं। जरूरी और मलका गांव उटावर राजवाह की थारोडो 102000 व 104107 पर पड़ते हैं।
- उटावर राजवाह एक लिफ्ट चैनल और इसके हेड पर एक पम्प हाउस बना हुआ है। जोकि राजवाहे के शुरू से ही 7.71 फुट पानी छपर उठाकर राजवाहे में

आसता है। इसके
इलावा बिजली की
पूर्ण माला हरियाणा
बिजली विभाग द्वारा
बगैर किसी रोक-टोक के
व लगातार प्राप्त नहीं
हो रही है, जिस वजह
से इस राजवाहे से टेल
तक पानी पहुँचाना असम्भव
सा लगता है। जब
तक पम्प पूरा पानी
नहीं उठाएंगे और राज-
वाहे में लगातार बिजली
सप्लाई नहीं चलेगी
तब तक टेल तक पानी
नहीं पहुँचाया जा
सकता।

5. यह लिफ्ट चैनल
104107 फुट लम्बी
है। लिफ्ट चैनल की
लम्बाई अधिक से
अधिक 50 हजार से
60 हजार फुट तक

क्र० सं०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

होनी चाहिए। उदाहरण
राजवाह की टेल तक
पानी पहुँचाने के लिए
एक परियोजना 141.60
लाख रुपये की तयार
की गई है। अगर
यह परियोजना तकनीकी
तौर पर ठीक पाई गई
तथा फण्ड उपलब्ध हुए
तो सरकार को मंजूरी
हेतु भेज दिया जायेगा।

6. उपरिल्लत स्पष्टीकरण को
मध्य नजर रखते हुए
आशा की जाती है कि
इन दोनों उपरलिखित
परियोजनाओं का कार्य
सम्पन्न होने पर इस
राजवाह के टेल तक
पानी पहुँचा दिया
जायेगा।

(26-7-94)

23-12-92

70. स्थानांतरण प्रस्ताव सं० 2 के संदर्भ में चौधरी फूल चंद मुलाना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :

***** स्पीकर साहब, यमुनानगर जम्हाला और कुश्नौर ये तीन जिले ऐसे हैं जिनमें यमुना और मारकंडा नदियाँ के काफी कटाव होते हैं। इन्होंने मारकंडा नदी का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। पिछले दिनों कई जगह, जहाँ कटाव थे, वहाँ सट्टा लगाए गए थे ताकि नदी आगे की ओर न बढ़े। हमारा बहुत सारा क्षेत्र मारकंडा नदी से इन्फिड है और वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। मैं इन्से जानना चाहूँगा कि गंगा राग गे निग गे ट्रेनेज विभाग को कोई पैसा देगे ?

**** इन्होंने मारकंडा रिवर का जिक्र किया कि वहाँ आबादी की प्रोब्लम है, वह ट्रेनेज विभाग को कह कर ठीक करवा देंगे।

-मारकंडा नदी पर 1993 की वर्षी से जो कटाव हुआ है तथा आबादी को खतरा है। स्कीम सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु भेजी है। उसे मिलने पर कार्य हो जायेगा। 1993 से पहले 2.56 की लागत से दो सट्टा मुलाना गांव के बचाव हेतु बनाए गए हैं। तथा आगे के लिए भी दो सट्टा हेतु स्कीम बनवाकर स्वीकृति हेतु सरकार को भेजी है। जिससे मुलाना गांव को बचाव होगा।

(8-8-94)

The Committee would like to know the latest position.
(31-8-94)

Dep 1060
12-9-95
75

23-12-92

71. मंत्री परिषद के विरुद्ध अवस्थास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री अध्यक्ष द्वारा उठाया गया प्रश्न -

इस (हथनीकुंड बराज) के बनाने के काम एग्रीमेंट यू.पी. के साथ हो गया है। पहले तो एग्रीमेंट न होने की वजह से हम काम शुरू ही नहीं कर सकते थे। जो विश्व बैंक की सहायता

The Committee would like to know the latest position.
(31-8-94)

F-10
12-9-95

क्र० सं०	सूचक	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
11	2	3	4	5

“मह हथिनीकुंड का काम कब तक शुरू हो जाएगा ?”

अब हमारी कोशिश यह होगी कि एक महीने तक यह काम शुरू हो जाए। अप्रैल तक तो काम शुरू करा ही देंगे।

से पूरा किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। ज्यों ही स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होगा, कार्य चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ii-8-94)

25-2-93

प्राप्त तीन शिकायतों की जांच की जा है।

72. श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया तारांकित प्र० सं० 435 के उत्तर में क्या सिचाई मन्त्री कृपया बताएँ कि क्या राज्य में वर्ष 1992 के दौरान सरकार द्वारा सिचाई विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध महर्षि तथा राजवाहों की गांव निकालने तथा छटाई करने के काम में अनियमितताएं तथा कटाचार करने संबंधी शिकायतों की किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; यदि ऐसा है, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

56

F.O. 12-9-95

50

26-2-93

73. श्री श्रीम. प्रकाश वेरी द्वारा पूछा गया इस लिए मैं आपसे प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिए एक मास का समय बढ़ाने का निवेदन करता हूँ।

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या तथ्य है कि राज्य के किसानों को भाबड़ा मुख्य लाईन नहर से 1.8 एम. ए. एफ. के बराबर राबी-ब्वास का पानी सप्लाई किया जा रहा है; तथा

(ख) क्या पूर्वोक्त नदी का पानी रोहितक, सोनीपत, भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ तथा गुड़गांव के क्षेत्रों को उन की आवश्यकतानुसार सप्लाई किया जा रहा है; यदि नहीं तो उसके कारण क्या है?

2-3-93

74. श्री कंनर राम पाल सिंह द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न सं० 479-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि सरकार द्वारा नरींदा रिचार्जिंग योजना कब तक लागू की जाएगी?

यह स्कीम विश्व बैंक परियोजना में सम्मिलित कर ली गई है और भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त ग्रामों की जाएगी।

Added
18-7-95

Added
12-9-95

क्र० सं०	संदर्भ	भाषावाचन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

75. श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 399 :

(ख) क्या किसी केन्द्रीय एजेंसी के द्वारा प्लस 0 वाई 0 एल 0 नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को निवेदन किया है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

2-3-93

(ख) राज्य सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा पूरा करवाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि बॉर्डर रोड (ओरगेनाइजेशन) (वी० आर० ओ०) काम शुरू करेगी।

3-3-93

76. श्री राम माल सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 480 :

“क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिसा करमाल में गांव रटोली तथा काउसा माईनर का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

काउसा माईनर को गांव खेड़ी सकरा तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर जांच पड़ताल चल रही है।

03

Accepted
12-5-95

है, यदि ऐसा है, तो उस मारिनेर का विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है ?”

77. तारांकित प्रश्न संख्या 530 के संदर्भ में श्री श्रीम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया अनुसूचक प्रश्न—मन्त्री जी को पता है कि जे० एल० एन० केनाल में सीपेज और वाटर लॉगिंग की बहुत भारी प्रोबलम है और यह प्रोबलम पिछले 15-20 सालों से है और उससे वहाँ पर लगभग 30 हजार एकड़ जमीन बरबाद हो चुकी है। कई किसानों की तो एक इंच भी जमीन नहीं रही है उनकी जमीन में एक भी दाना अनाज का पैदा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या मन्त्री जी इस काम को इस साल के अन्दर अन्दर पूरा करने के लिए प्रापर्टी बेसिज पर पैसा देने का आश्वासन देंगे ? इसके साथ मैं मन्त्री जी के नोटिस में एक बात यह भी लाना चाहूँगा कि वहाँ पर जित किसानों की जमीन 15 सालों से वाटर लॉगिंग की वजह से

यह जो डिच ड्रेन हम बना रहे हैं, यह जे० एल० एन० केनाल के साथ नहीं बना रहे हैं बल्कि जे० एल० एन० फीडर के साथ लना रहे हैं, इस पर कुल खर्च 1 करोड़, 37 लाख 56 हजार रुपए आता है। अब तक 77 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर तक पर कार्य हो चुका है। इस पर अब तक 28 लाख रुपए के करीब खर्च हो चुके हैं। अभी इस प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ 9 लाख रुपये खर्च होते हैं। जहाँ तक इनका यह कहना है कि इसको एक साल के अन्दर पूरा कर दिया जाए, ऐसा आश्वासन मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन सरकार पूरी गारंटी रता से इस पर अगले साल भी काम जारी रखेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को राहत मिल सके। दूसरा सवाल इनका यह था कि जिन किसानों की जमीन में पानी खड़ा है उनका आविधान माफ किया जाए इस बारे में इनको बताना चाहूँगा कि

Dropped
12-9-75

क्रमांक	संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

खराब हो गई है, वड़े तारबज्र की बात है, जहाँ पर वाटर लैगिंग की वजह से किसान कि उन किसानों से आज भी आविधाना पानी को इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जांच वसूल किया जा रहा है। मैं यह चाहूंगा कि कारवाही जाएगी लेकिन जहाँ पर वाटर मंत्री जी अपने महकमें के आफिसरों को लैगिंग के बावजूद भी किसान सिंचाई करते और फोल्ड स्टाफ को यह हिदायतें जारी हैं वहाँ सरकार आविधाना माफ नहीं करवाए कि ऐसे किसानों से आविधाना करेगी।

वसूल न किया जाए और जिन किसानों से आविधाना वसूल किया जा चुका है, उनका पैसा वापस दिलाया जाए।

5-3-93

78. श्री जाकिर हुसैन, एमएलए0 द्वारा पूछा मैं आप से प्रश्न का उत्तर तैयार करने के गया तारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर लिए एक मास का समय बढ़ाने के लिए में :-- निवेदन करता हूँ।

क्या सिंचाई मंत्री कृपया ब्यांगें कि राज्य में वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान सिंचाई विभाग को नहरों से गाद निकालने सहित विभिन्न योजनाओं के लिए उपमंडलवार कुल कितनी निधि आवंटित की गई ?

9-3-93

“लाडवा नहर को बनाने की परियोजना का अनुमान हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है, अब तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। यदि धन की उपलब्धि हुई तो यह कार्य भारत सरकार की धनमूर्ति के उपरान्त शुरू कर दिया जायेगा।”

10-3-95

अध्यक्ष महोदय, मैंने मौके पर जा कर देखा था, जहाँ तक मैन चैनल की बात है वहाँ पर डी-सिल्टिंग होनी है और काफी डी-सिल्टिंग हुई भी है और काफी माईनरज मे काफी डी-सिल्टिंग हुई भी है। हम मैन-चैनल में डि-सिल्टिंग करवाएंगे।

79. डा. 10 रीम प्रकाश द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 528--

क्या सिवाई मंत्री कृपया बताएंगे कि लाडवा नहर के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थित है; यदि हाँ, तो इसे कब तक निर्मित/पूरा किए जाने की संभावना है?

80. तारांकित प्रश्न संख्या 402 पर श्री सूरजमल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न--

“अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब ने दुलेहड़ा गाँव को दो महीने पहले जा कर देखा था कि उसमें बहुत ज्यादा सिल्ट है। इन्होंने प्रस्थल बोर्डर से लेकर बहादुरगढ़ तक देखा था। वह सारी सिल्ट से भरी पड़ी है। क्या सिल्ट निकालने के लिए इन्होंने कोई प्रयास बनाया है क्योंकि वहाँ से कोई प्रौर माईनरज निकलती है जिसकी वजह से डेल पर पानी नहीं पहुँचता।”

10-3-93

81. तारांकित प्रश्न संख्या 402 पर श्री ओम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न--

इस साल हम कोशिश करेंगे कि उसकी डी-सिल्टिंग हो और उसकी कंपेसिटी पूरी हो

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

* * * डी-सिल्टिंग करने का क्या फायदा है ? हमारे रोहतक सर्कल में पक्की नहरें हैं उन पर डी-सिल्टिंग के लिए लाखों रुपये खर्च कर दिए गए हैं और हमारे यहाँ जहाँ पर कच्ची नहरें और जहाँ पर डी-सिल्टिंग की ज्यादा जरूरत है वहाँ पर बहुत कम पैसा खर्च किया है। क्या कृपा करके मंत्री इसे बारे बताएंगे।

10-3-93

82. तारकित प्रश्न संख्या 402 पर श्री श्रीम प्रकाश वेरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- 'ग्राम्यक्ष महोदय, ये रोहतक सर्कल में सब-डिविजन वाईज चाहें अपना रिकार्ड देख उसमें किरियर चैनल या मेन कैनल की बात नहीं है। सब-डिविजन वाईज इसमें डिसक्रोमीनेशन किया गया है। आईन्दा डीसिल्टिंग हुई है। साथ ही बहुत से चैनल

51
F.O. 12-9-95-971-95

इस बात को ध्यान में रखते हुए पैसे का इक्कीडेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। दूसरा मेरा एक और सवाल है कि हाजिर सब-ब्रोच की कैनाल की लाईनिंग करने और पक्का करने का भी सरकार का विचार है?

11-3-93

83. चौधरी जिसे सिंह जाखड़ द्वारा ताराकित प्रश्न संख्या 506 पर पूछा गया अनुपूर्वक प्रश्न इस माईनर को कंपेसिटो अच्छी है और माईनर भी ठीक चलती है अगर यह मामला अंडर इन्वेस्टीगेशन है और इस (कंसाला माईनर) को खराती गाँव तक बना दिया जाये तो लोगों को काफी सङ्कलित हो जाएगी तथा चांद और भागवतीपुर गाँवों को जमीन भी सिवाई से अच्छी हो जाएगी। नम्बर दो इस माईनर की बिस्तार होने से इन तीन गाँवों को पानी की सप्लाई भी अच्छी हो जायेगी। क्या मंत्री महोदय इसका सर्वे करा कर इस पर काम शुरू करवाएंगे?

ऐसे भी हैं, जिनकी डिजिटिंग हुई है और माईनरों की डिजिटिंग नहीं हुई कितनी डिजिटिंग हुई है, यह इसी पर निर्भर करता है। इसके अलावा, जहाँ तक इन्होंने प्रोजेक्ट की मेन ब्रोच के बारे में कहा, मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारा उसको पक्का करने का विचार है विश्व बैंक से उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा भ्रामा हुआ है। इसलिए हम इस नहर को पक्का कराएंगे।

स्पीकर साहब, सर्वे कराया गया था, कंसाला भालोट डिस्ट्रीब्यूटरी पर कार्यवाही हो सकती है और यहाँ का लेवल भी ठीक है। यह मामला अंडर इन्वेस्टीगेशन है और भालोट डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी सप्लाई किया जाएगा।

83
Dubbav
12-9-95

क्रमिक	संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

1-9-93

84. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 14 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनु-पूर्व प्रश्न-व्याप्तियों महीदय श्रमिकों के कानाल को पानी गोखी ड्रेन में डलवाने तथा गुडगांव कानाल के पानी को कैपेसिटी बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

डिप्टी सीकर सहव, दलाल साहब ने जो बात कही है, वह बिल्कुल उचित है * * * मैं विभाग के अधिकारियों को बुला कर पूछूंगा कि इस बारे में क्या हो सकता है। * * * हम कोशिश करेंगे कि श्रमिक पानी डल सकता हो, तो डाला जाए। * * * गुडगांव कानाल को तो मैं कह नहीं कर सकता कि उसकी हालत सुधरे या नहीं, लेकिन फरीदाबाद के बारे में जो कहा है, उसके लिए कोशिश करेंगे कि गोखी ड्रेन में श्रमिक कानाल का पानी डाल दिया जाए।

2-9-93

85. श्री सुरज मेल द्वारा पूछा गया अंतराक्षित प्रश्न संख्या 124

(क) क्या सरकार का विचार रोहाना तथा सरदांग माइनरी की दोषपूर्ण साईनिंग की समस्या करने का है; तथा

(ख) यह कार्य धन की उपसंधि पर वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्ण किया जाना संभावित है।

(क) हां जी।

Dejected
12-9-95

12-9-95
52
F-0
9-11-95

(ख) यदि ऐसा है, तो उपर के भाग (क) में निदिष्ट कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

86. श्री सुरज मल द्वारा पूछा गया अंतराक्षित प्रश्न सं० 225---

(क) क्या हसनगढ़ माइनर, नूनामावरा माइनर तथा माडोली माइनर का निर्माण शीघ्र कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

2-9-93

(क) हां जी।

(ख) हसनगढ़ माइनर का निर्माण कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है।
1-आर नूना माजरा माइनर तथा माडोली माइनर की आगे बढ़ाने का कार्य धन की उपलब्धि पर वर्ष 1994-95 के दौरान प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

F-0
12-9-95

F-0
9-11-95 53

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

ELECTRICITY DEPARTMENT

Note—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned [under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमिक सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	5	5
87.	श्री हरनाम सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 813-“क्या सिवाई तथा बिजली यंत्री कृषया वताएंगे कि—	1-3-1989 (क) निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जा रहा है। (ख) निर्माण कार्य आरम्भ होने से 40 मास की अवधि के अन्दर-अन्दर ही 210 मी गैंगवाट की पहली यूनिट के चालू होने की संभावना है और दूसरी तीन यूनिट प्रत्येक 6 महीने के बाद चालू होनी संभावित है।	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एवं इजराईल स्थित आइज-नर्दगे ग्रुप ग्राम कम्पनीज के मध्य 5-4-94 को एक एम, ओ० यू० पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अन्तर्गत इस प्रोजेक्ट पर शुरु में दो 350 मी गैंगवाट के यूनिट लगाने का प्रावधान है और जिसको एक ज्वॉइंट वेंचर कम्पनी के द्वारा कार्यन्वित किया जायेगा। 30 सितम्बर तक एग्जीक्यूटिव होने की आशा है और सम्भवतः फरवरी, 1995 में कार्य आरम्भ किया जायेगा। बिजली दरों का निर्धारण भारत सरकार के निर्देशन प्रनुसार होगा।	The Committee would like to know the latest position. (3-1-95)
88.	(क) यमुनानगर थर्मल प्लांट के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; तथा (ख) पूर्वोक्त प्लांट के कब तक निर्मित किए जाने तथा चालू होने की संभावना है ?”			

26/2/89
18-11-95

(12-10-94)

88. श्री हरिसिंह नलवा द्वारा पूछा गया
तारांकित प्रश्न सं० 18

50

(क) क्या छाजपुर तहसील पानीपत में 133 के० वी० सब-स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विवादाधीन है?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

(8-3-91)

(क) हाँ श्रीमान जी।

(ख) इस परियोजना का वर्ष 1992-93 में आरम्भ करने की संभावना है तथा अगले कुछ ही वर्षों में इसको पूरा कर दिया जाएगा।

16-3-92

89. तारांकित प्रश्न सं० 129 पर श्री * * * * * इसके अलावा 220 के० वी० सब-स्टेशन का कार्य संसाधनों के अभाव के कारण शुरू नहीं हो सका है। वर्तमान 132 के० वी० सब-स्टेशन महेंद्रगढ़ की रिलीफ

61

इस सब-स्टेशन की डिजाईनिंग एवं इंजिनियरिंग कार्य प्रगति पर है। भौतिक कार्य वर्ष 1993-94 में वित्तीय स्त्रोतों की उपलब्धि व इस कार्य की तुलनात्मक प्रयत्निकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

सेट्स योजीशन

सिविल वर्क्स प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धि अनुसार इस सब-स्टेशन का कार्य 1995-96 में पूरा करने की चेष्टा है।

(12-10-94)

The Committee would like to know the latest position.

(3-1-95)

The Committee would like to know the latest position.

(3-1-95)

50
18-9-95
54

50
18-9-95

55

क्र० सं०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
90	कई जगह काम चल रहा है तो क्या नेम्बर आफ टयुनबेल ग्रगर सबसे अधिक किसी डिवाजन में है तो क्या टेल की बात को ध्यान में रखते हुए मेहेन्द्रगढ़ में 220 कै० वी० का सब-स्टेशन बनाने का ईरादा है ?”	(23-12-92)	देने के लिये 132 कै० वी० कनिता-बडौली लाइन का कार्य अग्रिम स्थिति में है। इसके पूरा होने पर मेहेन्द्रगढ़ सब-स्टेशन में एक और में ट्रान्सफार्मर लगाने की भी योजना है।	The Committee would like to know the latest position (3-1-95)
90	*दि हरियाणा को-ऑपरेटिव सोसायटीज (संकर्ड एमेंडमेंट) बिल, 1992, पर चर्चा के दौरान-मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया आवासन।	* * * अधक महीदय, मैं यह बताता चाहता हूं कि जहां उद्योग लगाएँ, वहां बिजली भी जाएगी। बिजली पैदा करने के हमारे तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक हिसार में है एक हजार मेगावाट का दूसरा यमुना-नगर में 840 मेगावाट का और तीसरा फरीदाबाद में सोलह से मेगावाट का है। इन की मंजूरी भारत सरकार से आ गई है लेकिन पैसे की कमी के कारण यह काम शुरू नहीं हो पाया है। बाहर की	हिसार समेल (1000 मेगावाट) प्रोजेक्ट की सभी स्वी-कृतियां मिल चुकी हैं। इन्हें परियोजना को निजी क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है जिनके लिये हरियाणा सरकार से ग्लोबल आधारित प्रस्ताव आमन्त्रण हेतु विज्ञापन देने की अनुमति मांगी है।	

कुछ कम्पनियों ने इन को बनाने की इच्छा जाहिर की है। उनके साथ बातचीत हो रही है, हमने उनको कहा है कि वह इस बारे में भारत और एन. टी. को सी. के साथ बातचीत करें, हमें पूरी आशा है कि जनवरी के महीने में इस एग्रीमेंट पर साईन हो जाएंगे।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एवं इजराईल स्थित ब्राइजनवर्ग ग्रुप आफ कम्पनीज के मध्य 5-4-94 को एक एमओओ यो पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्तर्गत इस प्रोजेक्ट पर शुरु में दो 350 मॅगावाट के युनिट लगाने का प्रावधान है और जिसको एक प्वायंट बैचर कम्पनी के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। 30 सितम्बर तक एग्रीमेंट्स होने की आशा है और सम्भवतः फरवरी 1995 में कार्य शुरु किया जायेगा। बिजली दरों का निर्धारण भारत सरकार के निर्देशन अनुसार होगा।

ज्ञात है कि भारत सरकार की 400 मॅगावाट फरीदाबाद रोड बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए जापानी उधार सहायता की बातचीत अग्रिम अवस्था में है। (12-10-94)

12-10-95

क्र०

सं०

आश्वासन

संस्कार द्वारा की
गई कार्यवाही

दिप्पणी

1

2

3

4

5

91. तारांकित प्रश्न संख्या 394 के संदर्भ में श्री अध्यक्ष द्वारा पूछा गया स्पष्टीकरण 'बीफ मिनिस्टर साहब, क्या ऐसा कोई पर-पोजल सरकार के विचारधारा है कि जिस दिन किसान अपनी सिक्योरिटी जमा करवा दे, उस दिन से उसकी सीनियोरिटी काउंट की जाए, वजारी टैस्ट रिपोर्ट आने के बाद सीनियोरिटी फिक्स की जाये? क्योंकि टैस्ट रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता है और किसान ने जो इन्वस्ट-मेंट की हुई होती है, वह फिजूल जाती है।

92. श्री राम भजन आशवाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं 413 के भाग (ख) के उत्तर में।
(ख) वर्ष 1993 के दौरान नलकूपों के लिए विजली के कुल कितने कुनवर्शन दिए जाने प्रस्तावित है?

24-2-93

अभी तक तो बोंडें ने इस पर विचार नहीं किया है लेकिन आपकी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है।

Dropped 19-6-95

25-2-93

(ख) लक्ष्य वित्तीय वर्ष अनुसार, निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान 12,000 नये नलकूपों की कुनवर्शन देने का लक्ष्य है।

Dropped 19-6-95

21-3-93

93. श्री कितार सिंह द्वारा पूछा गया था श्री मान जी, वर्ष 1993-94 के दौरान तारकिय प्रसन्न संख्या 429 के उत्तर में गोहाना में एक अतिरिक्त 16 एम.बी.ए. क्या मुख्य मंत्री उपर्या बताएंगे कि क्या 132/11 के.बी. ट्रांसफार्मर स्थापित करने यह लक्ष्य है कि गोहाना मंडल में पावर का प्रस्ताव है।

हअस्त, गोहाना के ट्रांसफार्मर पर अतिभार है; यदि ऐसा है, तो क्या उक्त ट्रांसफार्मर को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थोन है तथा इस के कब तक बहले जाने की संभावना है?

94. तारकिय प्रसन्न संख्या 429 संदर्भ में श्री कितार सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अनुत्तरक प्रश्न —

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूँ कि गोहाना के अन्दर जो वर्तमान ट्रांसफार्मर है, वह कितने दिनों से ओवर लोडिड है? जैसा कि इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान गोहाना में एक अतिरिक्त 16 एम.बी.ए. 132/11 के.बी. ट्रांसफार्मर स्थापित करने का विचार रखती है, क्या सरकार खरीफ फसल से पहले पहले सरकार उस ट्रांसफार्मर

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लिखित उत्तर में भी यह कहा है कि वहाँ पर 16 एम.बी.ए. का नया ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विवादाधीन है, इसके लिए अदिश दे दिए गए हैं, कार्यवाही शुरू कर दी गई है और लगभग 1 करोड़ रुपये इस पर खर्च आएंगे। यह ट्रांसफार्मर एक साल से पहले पहले बन कर तैयार हो जाएगा हम ने यह फैसला किया है कि रबी फसल से पहले जसिया और कथूरा के जो 33-33 के.बी. के दो सब स्टेशन हैं, का लोड गोहाना की तरफ बर्द कर देंगे।

F. O. 19-6-95

52

1-3-93

93

Dropped

19-6-95

क्र०	संदर्भ	आशवासन	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
------	--------	--------	--------------------------------	---------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

को बदलने का विचार रखती है तार्किक लोगों को किसी प्रकार की विजली च मित्रों से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े ?

सात आठ महीनों के अन्दर जब नये ट्रांसफार्मर चालू होने आ कार्य पूरा हो जाएगा तो उस इलाके में जो बिजली की दिक्कत है वह दूर हो जाएगी ।

2-3-93

95. प्रो. संपत सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 469:—

हां श्रीमानजी, उप केन्द्रों पर सिविल कार्य प्रगति पर है तथा इन उपकेन्द्रों को वर्ष 1993-94 में पूरा करने की योजना है ।

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या नहुला तथा अमरोहा, जिला हिसार में 33 के० वी० पावर सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई निर्माण कार्य आरम्भ किया गया गया है; यदि ऐसा है, तो निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा। इन सब-स्टेशनों के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

96. चौधरी श्रीम प्रकाश बेदी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 451

(क) हां श्रीमान जी ।

4-3-93

F.O. 19-6-95

F.O. 12-10-95 57

F.O. 12-10-95 58

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या जिला रोहतक के गांव जहाज-गढ़ में 33 के 0 बी 0 पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई मंजूरी दी गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त पावर स्टेशन पर कार्य कब तक आरम्भ किए जाने पूरा होने की संभावना है ?

97. तारांकित प्रश्न संख्या 481 के संदर्भ में श्री रामपाल सिंह कंवर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न "उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि गांव बरसत के अन्दर 33 के 0 बी 0 का सब-स्टेशन बनाने की प्रोपोजल है । क्या मुख्यमंत्री महोदय बताते की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 में बनाने की केवल प्रोपोजल है अथवा काम भी शुरू हो जाएगा ?"

98. तारांकित प्रश्न संख्या 481 के संदर्भ में साधु लहरी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न "उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद का एक बड़ा पावर स्टेशन था और एक बैटन

(ख) इस उपकेंद्र पर कार्य वर्ष 1993-94 के दौरान आरम्भ होना सम्भावित है और इसको पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा ।

4-3-93

उपाध्यक्ष महोदय, प्रोपोजल है और हमारी यह कोशिश है कि वर्ष 1993-94 में इस पर काम शुरू हो जाए ।

4-3-93

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पैसे की कमी है और बिजली बोर्ड काफी घटे में है क्योंकि किसानों को सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली देनी पड़ती है और इससे एक

Replied

19-6-95

P.O. 19-6-95

क्रमांक	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	संस्कार द्वारा टिप्पणी की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

का पावर हाउस या जो कि 33 के.वी. से 66 के.वी. का बनना था और यह 31 दिसम्बर तक पूरा किया जाना था और बेरयली तथा टुदलाना ये दोनों स्टेशन विद्याराधीन थे। क्या मुख्यमन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इनकी क्या योजना है ?

साल में 266 करोड़ रुपये का खर्चा होता है। जितने चालू प्रोजेक्ट हैं जैसे 1992-93 में 220 के.वी. का शाहबाद में चालू किया किया है। 132 के.वी. का मन्दीली और असन्ध में तथा 66 के.वी. का दो चाँदहट तथा शाहजानपुर तथा 33 के.वी. के पांच रोहतक, घरोडा, करनाल खोल और ऐवला ये हमने चालू किए हैं जहाँ तक बर्बन का ताल्लुक है, यह तीन चार महीने में कम्प्लीट हो जाएगा।

31-8-93

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर में—

यमुनानगर के अन्दर थर्मल प्लांट लगाने के बारे में बाहर की कंपनियों के साथ नैगोसीएशन हुआ, कुछ कंडीशज के साथ नैगोसीएशन चला। काम शुरू हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है अध्यक्ष महोदय, यह काम जल्दी शुरू होने वाला है। पंथर

F.O
15-11-95

रखा गया है। एक इन्होंने हिसार व फरीदाबाद के बारे में भी कहा। उसका वाक्यदा एम. ओ. यू. साईन हो गया है। उस पर भी एग्रीमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। इसी तरह से इन्होंने फरीदाबाद गैस बैरिड प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। इसको जापान गवर्नमेंट बनाएगी तकरीबन सारा मामला तय हो चुका है और काम शुरू होने जा रहा है।

५७

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(B. & R.) BRANCH

Not:— In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
------	--------	----------------	------------------------------	---------

5

4

3

2

1

29-3-90

100. तारांकित प्रश्न संख्या 1122 के संदर्भ में कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न—

“... इन्होंने (पी डब्ल्यू 0 डी 0 मिनिस्टर) अपने लिखित उत्तर में कहा कि रिवाड़ी के अन्दर बाई पास नहीं बनाया जायेगा। मैं इन्हे पुनः बताना चाहूँगा कि रिवाड़ी नया जिला बन गया है और वहाँ पर ट्रेनिक भी बहुत अधिक बढ़ गई है जिस कारण आये दिन दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। मैं इन से जानना चाहता हूँ कि हैवी ट्रेनिक को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर यह रोड बनाया जाना क्यों पसिबल नहीं है ?

... मैं सदस्यों की जानकारी के लिए जहाँ तक रिवाड़ी बाईपास बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने उसे का सम्बन्ध है, उसे National Capital Region के GRID है।

केन्द्र सरकार को नेशनल हाई वे नं० 8 व 10 को मिलाने के लिए लिखा है।

(26-7-93)

roads में शामिल कर लिया गया है और सारी

NCR में शामिल सड़कों को Planning Board

द्वारा बनाने का मुद्दा बोर्ड की मीटिंग जो 28-6-93

को हुई थी, में हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया।

साथ ही। साथ कोट गुलली नालील दोदरी भिवानी-जींद

सड़क को राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित करने के लिए भी

भारत सरकार को आग्रह किया गया था, जिसके

उत्तर में परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि इसकी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

तत्पश्चात् इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(19-7-93)

29-3-90

101. तारांकित प्रश्न संख्या 1122 के संदर्भ में केंद्रन अजय सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्दी महोदय से पुनः जानना चाहता हूँ कि जब यह स्वीकृति (रिवाड़ी-गज्जर और रिवाड़ी-नारनौल रेलवे लाइन पर उपरी पुल) 1986 में मिल गई थी तो इस को बनाए जाने में अब देरी क्यों है?”

इस बारे में मैं, इन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसे पुलों के लिए 50 परसेंट पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से और 50 परसेंट पैसा रेलवे की तरफ से दिया जाना होता है। इन पुलों के बनाये जाने के लिए हमने रेलवे वालों के साथ अब तक 18 लैटर्ज का आदान-प्रदान किया है। जब रेलवे वाले अपना संकलन कर देंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है और न ही कोई कमी है।

जनरल मैनेजर रेलवे को कमेटी इस बारे में एक सप्ताह के अन्दर लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है।

(26-7-93)

(1) हरियाणा सरकार इस काम हेतु भूमि अधिग्रहण करे।

(2) निर्माणाधीन 4 रेलवे उपरी पुलों में एक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाये

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

इसके पश्चात् इस कार्य के लिये नई site select कर ली गई है। क्योंकि पुरानी site शहरके अन्दर आती थी और वहाँ पर बहुत congestion हो चुकी है। इस नई Alignment की सहमति के लिए रेलवे विभाग को केस भेजा जा रहा है जिसके बाद भूमि अभिग्रहण का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा यह भी प्रयास है कि एक R.O.B. जो पानीपत मोहाना सड़क पर स्थित है। तथा जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, को जून 1994 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(19-7-93)

*****राजकीय मार्ग नं० 1 को चार लेनी बनाने का काम जारी है। इसी तरह बलभगढ़ से हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा तक राजकीय मार्ग नं० 2 को भी चार लेनी बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। तथा इसकी अप्रैल, 1995 तक पूरा होने की सम्भावना है*****

62

Committee would like to know the latest position.
(26-7-93)

एन० एच-1 की मुरमल करनाल तक की लम्बाई 80 कि०मी० है, जिसकी चार लेनिंग का कार्य प्रगति पर है तथा 30-6-93 तक निम्नलिखित कार्य हो चुका है :-

Earth work W.B.M.

48.70 Km. 37 Km

W.M.M.

24 Km.

D.B.M. (1st layer)

22.50 Km.
(Single layer)

C & B

101 Nos.

इस कार्य के 12/95 तक पूरा होने की सम्भावना है। एन० एच-2 की फरीदाबाद से होडल तक लम्बाई 56.52 कि०मी० है इस पर चार लेनिंग का 30-6-93 तक निम्नलिखित कार्य हो चुका है :-

Earth work D.L.C.

19 Km. 1.00 Km.

क्र० सं०	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

Ketli Laying Profile concrete course

3.00 Km. 2.00 Km.

C.D. work

34 Nos.

इस कार्य के अप्रैल, 95 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(19-7-93)

17-3-1992

103. तारांकित प्रश्न सं० 130 पर श्री कर्ण सिंह देवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
 “ग्रन्थश महेदय, जैसे मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया कि पिछली दफा जब वे मुख्य मन्त्री थे तो इन्होंने लगभग हर गांव की सड़क को पक्का कर दिया था लेकिन मेरे हल्के में एक गांव सैदपुर है जहां एक कितो मोटर से कम सड़क का टुकड़ा बना हुआ नहीं है। क्या मुख्य मन्त्री जी उस सड़क को टुकड़े को भी पूरा करवाएंगे?”

ग्रन्थश महेदय, कुछ खादर के गांव ऐसे थे जिनकी आबादी 250 से भी कम थी जहां पर कुछ सड़कें बनने से रह गयी थी। हो सकता है इस गांव की आबादी भी 250 से कम हो। लेकिन, फिर भी हम इस गांव की सड़क को आगले साल में पूरा करवाएंगे।

इस लिंक रोड की लम्बाई 0.70 कि०मी० है। इसके लिए एक अनुमान जिसकी लागत 6,41,800/- रुपए है, बना हुआ है तथा अनुमोदन के लिए सरकार के विचारार्थी है।

इस लिंक रोड की लम्बाई 0.70 कि०मी० है। इसके लिए एक अनुमान जिसकी लागत 6,41,800/- रुपए है, बना हुआ है तथा अनुमोदन के लिए सरकार के विचारार्थी है।

(19-7-93)

17-3-1992

104. तारांकित प्रश्न सं० 130 पर श्री मधुसूदन महोदय, जिन दृष्टियों की आबादी 250 से ज्यादा है उनकी भी हम सड़कों से जोड़ देंगे।

The Committee would like to know the latest position. (1-6-94)

यह एक पालिसी डिजिजेशन है उसे पालिसी अनुसार तथा धन उपलब्ध अनुसार ग्रामों में वर्षों में इलीजीमल इलाकों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। (9-3-94)

24-3-1992

105. तारांकित प्रश्न संख्या 220 के संदर्भ में चौधरी बलवंत सिंह मैना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“..... खैर में जानना चाहता हूँ कि खैराबर से दिमाना तक की सड़क को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?”

The Committee would like to know the latest position. (1-6-94)

खैराबर से चुलियाना तक पहले ही पक्की सड़क बनी हुई है इससे आगे चुलियाना से दिमाना तक सड़क बनाने का प्रस्ताव है। इस सड़क की लम्बाई 3.35 कि. मी. है। 2.75 कि. मी. सड़क गांव की फिरती तक बन चुकी है। शेष सड़क 0.60 कि. मी. को इस वर्ष के पोषाभ में रखा गया है। धन उपलब्ध के अनुसार इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। बाकी की सड़क को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कार्य किया जा रहा है। (9-3-94)

70

F-10
18-7-95
64

क्र० सं०	संदर्भ	भाषासाधन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

106. तार्किक प्रश्न संख्या 331 के संदर्भ में चौ० सूरजभान काजल द्वारा प्रश्न गवा अनुपूरक प्रश्न—

"अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सेशन में मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि "मेरी प्लेन के धूसारे गोछे सड़कों से जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय रामगढ़ डानी एक ऐसा गांव है जिसको आज तक सड़क नहीं मिली है और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी ही वे सड़कें बनवा दी जाएंगी। क्या, मन्त्री जी बताएंग कि यह सड़कें, कब तक बन जाएंगी?"

21-12-1992

* * * * *
इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में केवल सात ही सड़क छोटी बड़ी ऐसी है जो मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ी गई है इसकी वजह यह है कि या तो वहां पर 250 से कम की आबादी है या कहीं-कहीं पर मुकदमें भी चल रहे हैं जिसके कारण ये सड़कें अभी तक नहीं बन पाई हैं। इसके अलावा पहाड़ों क्षेत्रों में भी सात ऐसी सड़कें हैं जिनको कि आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है, अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें भी हम अपने साल में बना देंगे।

* * * * *
हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में 7 गांव ऐसे हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं इन सभी गांवों की सड़कें स्वीकृत हैं परन्तु पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों का कार्य आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। इस पर कार्य चल रहा है।

The Committee would like to know the latest position.

(6-12-94)

धानी रामगढ़ एक नान डाय-रैक्टररी गांव है। इसकी लम्बाई 2.50 कि. मी. है। इस गांव को जोड़ने की महत्व को ध्यान में रखकर सरकार ने इसके बनाने की अनुमति 6-10-89 द्वारा स्वीकृति दी थी। परन्तु बाद में देखा गया कि जितनी सड़कें स्वीकृत थी जिसके ऊपर

24-10-95

कार्य करना संभव नहीं था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन द्वारा वर्ष 93-94 में केवल 5.00 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। अतः यह निर्णय लिया गया कि जिन सड़कों पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया या कम कार्य किया गया है उन सबका अभी अनुमोदन रोक दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार सरकार ने 125 नम्बर सड़कें जिनकी लम्बाई 360.59 कि. मी. बनती थी की स्वीकृति को रोक दिया। क्योंकि धानी रामगढ़ सड़क पर अभी कार्य नहीं किया गया था। अतः इसकी स्वीकृति भी रोक दी गई। जैसे ही धन की उपलब्धता होगी इसका अनुमान दोबारा स्वीकृत कराया जाएगा तथा कार्य किया जाएगा। अतः इस आश्वासन का पट्टासेप किया जाए।

क्र० सं०	संदर्भ	दिनांक/प्राप्तमान	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

17-3-1992

107. तारकित प्रश्न सं० 154 के संदर्भ में भी अग्रवाल द्वारा पूछा गया अनुप्रास प्रश्न--
 'क्या आपने इस बारे में (धार्मिक स्थान जैसे मंदिरों, गुह्यारों, गिरजाघरों को सड़क के साथ जोड़ने के बारे में) जनरल ग्रांडेन किए हैं और क्या इसके लिए ऐस्टिमेट बनाने के लिए कह दिया गया है?'

अनुप्रास महोदय, इस बारे में ऐस्टिमेट बनाने के लिए कह दिया गया है। जो लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, उनको सड़क होती है इसलिए हम अगले साल धार्मिक स्थानों को सड़क के साथ जोड़ देंगे।

25-2-1993

108. श्री लहरी सिंह द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न सं० 410 का उत्तर--

(क) क्या निम्नलिखित सड़कों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :--

- शाहबाद से लाडवा;
 - लाडवा से मुस्तफाबाद;
 - रादौर से मुस्तफाबाद;
 - जी. टी. रोड ईशगराह से बराड़ा बरास्ता बर्बन; तथा
- (ख) यदि ऐसा है, तो उक्त सड़कों को कब तक चौड़ा किया जाएगा ?

(क) लाडवा शाहबाद सड़क को भागों में चौड़ा करने का प्रस्ताव है।

(ख) लाडवा-शाहबाद सड़क का प्रथम भाग (किलोमीटर 48.00 से 55.25) 30-6-93 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

Dr. J. P. Singh
25-2-1993

65

तात्कालिक प्रश्न संख्या-396 के संदर्भ में श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया अनु-पूछ प्रश्न—

“अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि बाईपास का एक्स्टेंशन वर्क तो कम्प्लीट हो गया है लेकिन इसमें बाईपास के इन्टरसेक्शन पर खड़े कुछ बाधा बने हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये वृक्ष कब तक हटा कर इसको पूरा कर दिया जाएगा।”

26.2.93

“* * * * *” सरकार ने जीवद, नारनौल, झज्जर, रिवाड़ी तथा पानीपत में अन्य बाईपास बनाने का प्रस्ताव किया है। जीवद बाईपास के लिए भूमिअद्वय हेतु 2.08 करोड़ रु० का अनुमान विचार-धीन है। अन्य बाईपासों के विकास तथा निर्माण के लिए इनको चुगी सड़क की तरह बनाने की संभावनाओं का मामला आई.एल.एफ.एम. के साथ उठोया गया है।

जीवद बाईपास के भूमि अधिग्रहण के लिए 2.00 करोड़ रुपये का अनुमान है इसी प्रकार नारनौल बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 1.43 करोड़ रुपये का अनुमान है। इनकी स्वीकृति करने के केस अभी विचारा-धीन है। वार्षिक योजना में बाईपास के लिए केवल 50 लाख रुपये का ही प्रावधान होता है अतः इतनी बड़ी राशि बाईपास के बनाने के लिए अभी नहीं है। बाईपास के विकास तथा निर्माण के लिए इनको चुगी सड़क की तरह बनाने की संभावना का मामला आई.एल.एफ.एम. द्वारा भी लिया गया था परन्तु यह बात अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुँची। जैसे ही इन बाईपास के चुगी सड़क की तरह बनाने की योजना कोई

The Committee would like to know the latest position.
(17.1.95)

क्र० सं०	सर्वे	आयशासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

110. तारांकित प्रश्न संख्या 396 के संदर्भ में श्री मनीराम केहरवाला द्वारा पूछा गया अनुरूपक प्रश्न- अध्यक्ष महोदय, तो मैं, इनको बताया चाहूंगा कि उसकी एडमिनिस्ट्रिटिव प्रब्लम हो चुकी है और इसकी लम्बाई लगभग पौने 4 किलोमीटर पड़ेगी। इस पर साढ़े 52 लाख रुपये की लागत आएगी जितनी जल्दी हो सकेगा सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई थी, इस बारे में म.ब. लेटेस्ट पोजीशन क्या है?

"अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी भाई मनीराम जी ने ऐलनाबाद वार्डपास के बारे में पूछा है तो मैं, इनको बताया चाहूंगा कि उसकी एडमिनिस्ट्रिटिव प्रब्लम हो चुकी है और इसकी लम्बाई लगभग पौने 4 किलोमीटर पड़ेगी। इस पर साढ़े 52 लाख रुपये की लागत आएगी जितनी जल्दी हो सकेगा इसकी प्रक्रिया जारी करके अगले साल तक उसको बना दिया जाएगा।

26.2.93

111. तारांकित प्रश्न संख्या 396 के संदर्भ में श्री मोहन लाल पीपल द्वारा पूछा गया अनुरूपक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि रिवाड़ी से दिल्ली रेलवे लाईन,

अध्यक्ष महोदय, श्रीवर ब्रिज की मन्जूरी नहीं आई है और हम उसके लिए दोबारा भी लिखेंगे।

3-1-95

भूमि अभिग्रहण की धारा 4 के तहत भूमि अभिग्रहण अधिकारी हिसार को प्रति हस्ताक्षर हेतु भेजे हुए हैं इसके उपरान्त इसकी हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशन करने हेतु भेज दिया जायेगा।

The Committee would like to know the latest position. (17.1.95)

67

68

उस पर ओवर ब्रिज 1985 में हरियाणा सरकार ने बनाना स्वीकार किया था। क्या उसकी भारत सरकार से मंजूरी आ गई है? अगर आई नहीं है तो क्या ये भारत सरकार को दोबारा लिखें क्योंकि वहां पर ओवर ब्रिज का होना जरूरी है।

26-2-93

112. तारकित प्रश्न संख्या 396 के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, सरकार का जीद, नार-नील, सज्जर, रिवाड़ी और पानीपत में बाई-पास बनाने का प्रावधान है।

अनुपूरक प्रश्न—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 1993-94 में पानीपत में कोई बाईपास बनाने की योजना है और साथ ही 1993-94 में हरियाणा के कौन-कौन से ऐसे और शहर हैं जहाँ पर बाईपास बनाने की योजना है?

10-3-93

113. तारकित प्रश्न संख्या 496 पर श्री राजेन्द्र स्पीकर साहब, चौधरी राजेन्द्र सिंह बिसला सिंह बिसला द्वारा पूछा गया अनुपूरक की बात ठीक है कि यह सर्वे बहुत पुराना है।

प्रश्न—

हम दोबारा सर्वे करवा लेंगे। अगर वहाँ पुल बनना जरूरी होगा तो रेलवे विभाग को केस भेज दिया जाएगा।

“मन्त्री जी ने सर्वे में यह बताया है कि

F-0
18-7-95
69

70

क्र० सं०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

कोई सर्वे कराया गया था मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस रेलवे फाटक पर यमुना नदी पुल बनाने की बात है उससे आगे रहीमपुर के पास यमुना पुल बना हुआ है। इस फाटक पर पुल बनने के बाद राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रोडवेज की वसें बहुत गुजरती हैं। जहाँ यह रेलवे फाटक है, यह पलवल की आबादी में आ गया है। स्पीकर साहब, यह सर्वे ठीक नहीं है। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूँगा कि दोबारा सर्वे कराया जाए। इस फाटक पर पुल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। इन सब बातों को देखते हुए क्या मन्त्री जी इस पुल को बनाने पर विचार करेंगे ?

14. श्री मनी राम स्यावास द्वारा पूछे गए प्रत्यक्षित प्रश्न सं० 103 के उत्तर में—
- 1-9-94
- जी हाँ, जोगीवाला से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माणधीन है और धन की उपलब्धि के अनुसार भगले विलत वर्ष में पूर्ण हो जाने
- गंव जोगीवाला से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माणधीन है इसकी नवीनतम प्रगति इस
- The Committee would like to know the latest position.
(17-1-95)

क्या जिला सिरसा की निम्नलिखित की सम्भावना है ?
सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :—

1. गांव खूपाना से लुदेसर तक;
2. गांव जोरीवाला से राजस्थान सीमा तक; तथा यदि ऐसा है, तो इन सड़कों का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

प्रकार है :—

1. कुल लम्बाई = 2.50 कि० मी०
2. मिट्टी का कार्य = 2.50 कि० मी०
3. सोलिंग और मंटल = 1.00 कि० मी०
4. सोलिंग कोलैक्टीड = 1.00 कि० मी०

दरवा कलां क्षेत्र में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-95 में 8.86 कि० मी० सड़क बनाई जा रही है। अतः जोरीवाला से राजस्थान सीमा के कार्यों को निकट भविष्य में धन की उपलब्धी के आधार पर हाथ में लिया जायेगा तथा पूर्ण किया जायेगा।

अतः इस आश्वासन का पटा-सेप दिया जाये।

(3-1-95)

क्र० सं०	दिनांक/प्राश्नवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4

2-9-93

115. तारकित प्रश्न संख्या 589 पर श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्दा, महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि दादरा बाई पास के लिए जमीन एक्वायर हुई है। वहाँ पहले भी इस्तेमाल के लिए रास्ता छोड़ा है। पाँच दाई स्कूलों, तीन कालेजों में कम से कम 10 हजार स्टूडेंट्स की उस सड़क पर आमदोरपत रहती है। कई बार वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार दोबारा सर्वे करवाने का कष्ट करेगी? स्पीकर साहब, वहाँ पर बाई पास बनना बहुत जरूरी है।"

अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य ने ठीक कही है यह सर्वे हमने बहुत पहले करवाया था। फिर भी अगर इस बात की आवश्यकता है तो हम दोबारा सर्वे करवा लेंगे कि वहाँ बाई पास की आवश्यकता है या नहीं ?

72

OUTSTANDING ASSURANCES

-Relating to the PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PUBLIC HEALTH)

Note:—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमांक	सहस्र	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

19-12-91

118. श्रीमती चन्द्रावती द्वारा दिए गए ध्यानार्पण प्रस्ताव के उत्तर में।

***** सभी गांवों में जल वितरण को इस स्तर तक बढ़ाने के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता होगी जबकि इस कार्यको शुरू करने के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे 5000 से ऊपर जनसंख्या वाले 120 गांवों में पानी की मात्रा को 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और ग्रामीणों को उनकी मांग पर पानी के निजी कनवशन ज्यादा से ज्यादा दिए जा सकेंगे।

घन के अभाव के कारण अब केवल 9 बड़े गांवों में जलस्तर 110 एल0 पी0 सी0 डी0 करने का काम 538 लाख रु0 की लागत से मंजूर की गई स्कीमों पर चल रहा है। वर्ष 1994-95 में 110 लाख रु0 इन कार्यों के लिये रखे गये थे परन्तु 20-5-94 को हुई सैनीट्री बोर्ड की मिटिंग में 100 लाख रु0 का वितरण किया तथा इस वर्ष का लक्ष्य है कि 3 गांव बबियाल, मुलाना, निर्मिंग में पीने के पानी का जलस्तर 110 एल0 पी0 सी0 डी0 हो जायेगा इन स्कीमों की विरतीय स्थिति निम्नप्रकार से है :-

826

73

Assurance kept pending (22-8-94)

क्रमांक स्कीम का नाम अनुमानित राशि घन राशि कुल वर्ष						
1	2	3	4	5	6	7
			31-3-94	1994-95 तक वर्ष		3/94 तक
1.	बबियाल	76.00	10.50	17.00	27.00	10.32
2.	मुलाना	21.00	4.00	7.00	11.00	3.04
3.	निसिंग	14.00	12.00	2.00	14.00	12.10

9. स्कीमों की अनुमानित राशि 538 लाख रु० है तथा इनको पूरा करने के लिए अब कुल 203.50 लाख रु० ही जुटाये जा सके हैं। अतः घन के अभाव के कारण प्रदेश के शेष बड़ी आबादी वाले गांवों में काम आरम्भ नहीं किया जा सका।

इस स्थिति को देखते हुए 104 बड़े गांवों के जलस्यर में 110 एन०पी० सी० डी० तक वृद्धि करना तथा गन्दे पानी के उचित प्रबन्ध के लिए 200 करोड़ रु० की अनुमानित राशि का एक प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार को बाई लिटरल अक्सिडेंट्स का प्रबन्ध के लिए भेजा जा चुका है जिसके मंजूर हो जाने पर इस कार्य में तेजी आ जाएगी।

1

2

3

4

5

117. ताराकित प्रश्न संख्या 242 पर श्री मती चन्द्रावती द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "अभी मंती महोदय ने अपने जवाब में बताया कि पापूलेशन के बढ़ जाने से कहीं-कहीं पानी की कमी हुई है। भिवानी जिले के बहुत सारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है वहाँ पर 15-20 योजनाएं भी बनी हुई हैं लेकिन अभी तक पीने के पानी की किल्लत है, स्पीकर, साहब, एक बड़ेरा गांव लोहार में है, वहाँ पर पानी बिल्कुल खारा है और स्वच्छ पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। क्या सरकार इन योजनाओं को रिवर्राइज करके पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा लोगों को मुहैया करेगी ?

स्पीकर साहब, पर पापूलेशन बढ़ने की वजह से पानी की कमी है उनके हम अलग से आगमेंटेशन स्कीम के तहत वूस्ट स्टेशन लगाकर पानी की सप्लाई का प्रबन्ध कर रहे हैं। इसके इलावा हम अलग से इन स्कीमों के जोल्व बना रहे हैं। फज करो कि एक 15 गांव की स्कीम है उसको हम तीन जगहों पर पांच-पांच गांव के जोल्व बना रहे हैं ताकि जल्दी से लोगों को पानी पहुँचाया जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम बहुत से गांवों की आगमेंट कर रहे हैं। इस तरह इन स्कीमों के तहत सभी गांवों को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा और स्कीमें सुचारु रूप से चलती रहेंगी।

भिवानी जिले में कुल 385 गांव हैं, जिनमें से 238 गांव में नहरी पानी पर आधारित 59 जलघरों से पानी उपलब्ध, कमवावा जा रहा है तथा शेष 147 गांव में ट्यूबवैल पर आधारित 34 स्कीमों से पेयजल दिया जा रहा है। इस जिले में 1-4-92 को 275 गांव में पीने के पानी की मात्रा 40 एल0पी0 से कम थी। वर्ष 1992-93 में 64 गांव में पीने के पानी की मात्रा में बढ़ोतरी करने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि व भूमिगत स्त्रोत में कमी के कारण 1-4-93 को 256 गांव में पेयजल 40 एल0पी0

सी०डी० से कम था। वर्ष 1993-94 में भी 64 गांवों में पेयजल की वृद्धि की गई तथा इस वर्ष 1994-95 में 75 गांवों में जल वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य के सभी गांवों में पेयजल का स्तर 40 एल०मी० सी०डी० कर दिया जायेगा।

जहाँ तक गांव बुंदेरा का सम्बन्ध है, यह गांव विधाना जाटा योजना के अन्तर्गत आता है तथा इनकी जल बढ़ौतरी का अनुमान 11.50 लाख रु० की लागत से मंजूर किया जा चुका है। इस स्कीम के लिये 7.00 लाख रु० का प्रावधान कर दिया गया है। इस वर्ष 450 टयूबवैल लगाने के बाद इस स्कीम का जलस्तर 32 एल०मी०सी०डी० से बढ़कर 40 एल०मी०सी०डी० हो जायेगा।

(17-8-94)

क्रम सं०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

20-12-91

118. व्यानकर्षण प्रस्ताव—“हरियाणा के चनी आबादी वाले गांवों/छोटे कस्बों में सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था करने संबंधी ‘के संदर्भ में श्रीमती चन्द्रावती द्वारा पूछा गया अनु-पूरक प्रश्न :- ‘अध्यक्ष महोदय, बड़े गांवों व छोटे कस्बों में सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। जिन गांवों में दो या तीन पंचायत हैं; आबादी ज्यादा है, गलियों में पानी खड़ा रहता है, कीचड़ बढ़तू, भारती है उसके कारण मलेरिया के मच्छर और मक्खियां पैदा होकर बीमारी फैला रहे हैं।

अतः श्रीमती सीवरेज सिस्टम हो और उसके साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालय आदि का प्रबंध हो।”

अध्यक्ष महोदय, जहां तक छोटे शहरों का संबंध है, ऐसे 40 शहर हैं, जिनमें मल निकास की व्यवस्था नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन शहरों में भी मल निकास तथा लघु शौचालय के मिले जुले कार्यक्रम को आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे।

आवासन पैडिंग
रखा गया।
(22-8-94)

सरकार का किसी भी छोटे शहर या बड़े गांव में मल निकास (ड्रेनेज) योजना का कार्य शुरु करने का प्रस्ताव नहीं है हरियाणा में 1991 की जनगणना अनुसार 5000 से अधिक जनसंख्या वाले 405 गांव हैं इनकी कुल जनसंख्या 29.26 लाख है। इन गांवों में वैज्ञानिक पद्धति अनुसार मल निकास (ड्रेनेज) प्रदान करने के लिए 150 करोड़ रु० की आवश्यकता है। परन्तु गांवों में कम कीमत वाले शौचालय बनाने का कार्य 11/91 को चालू किया गया था। मार्च, 1993 तक जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 46669 यूनिट एवं पंचायत विभाग द्वारा 53500 शौचालयों का निर्माण किया

75

गया था। वर्ष 1993-94 से इन शौचालयों के निर्माण का कार्य केवल पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग के बजट में जो घनराशि उपलब्ध थी वह पंचायत विभाग को स्थानान्तरण कर दी गई है। 11/91 से लेकर अब तक इस कार्य के अन्तर्गत 2.05 लाख रु० की कीमत वाले शौचालयों का निर्माण किया गया है वर्ष 1994-95 में इस विभाग के बजट में 50 लाख रु० की घनराशि का प्राधान है तथा इतनी ही घनराशि भारत सरकार द्वारा जुटाई जाएगी। यह राशि पंचायत विभाग को स्थानान्तरण कर दी जाएगी।

8वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के बड़े-बड़े गांवों में तकनीकी पद्धति अनुसार गन्दे पानी की निकासी/ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए 9 करोड़ रु० की घनराशि

क्रम सं०	संक्रमे	आयवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जुटाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत उन बड़े-बड़े गांवों में गन्दे पानी की निकासी (ड्रेनेज) का कार्य किया जाएगा जिनमें पीने के पानी का जल-स्तर 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से किया जाना है। प्रथम 3 वर्षों में केवल 75 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसके तहत 3 गांवों में कार्य प्रगति पर है। धन की कमी के कारण ऐसे शेष 400 बड़े गांव हैं।

(17-8-94)

11-3-1992

119.

शरारिफत प्रश्न 242 पर श्री बंसीलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि भिन्नानो जिले में बापोडा एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव में वाटर सप्लाई स्कीम है जिसका 70-80 गांवों को पानी जाता है ? उस वाटर सप्लाई स्कीम के रिजरवायर के जो टैंक हैं उनमें इतनी मिटटी भर गई है कि अब उनकी कैपेसिटी पचास परसेंट रह गई है और 15-15 दिनों तक गांव में पानी का पानी नहीं जाता * * * इस समस्या को कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?”

The Committee would like to know the latest position.

(6-9-94)

बापोडा समूह योजना के 58 गांव में से 37 गांवों के लिए 14 नए जलघर स्वीकृत किए थे जिनमें से 9 जलघरों का कार्य जिनमें 23 गांव शामिल हैं पूर्ण हो चुका है। तथा शेष 5 जलघरों जुई, कसुबारी, डागल, देवराला व अतलवास-दुबिया का कार्य प्रगति पर है जो कि इस वर्ष के अन्त में पूरा हो जाएगा।

इन सभी जलघरों के पूरा हो जाने के बाद बापोडा स्कीम के शेष 21 गांवों में पेयजल का सप्लाई 70 एल.पी.सी. डी. हो जाएगा। क्योंकि बापोडा समूह की छोटी-छोटी 14 नम्बर ग्रौज योजनाएं बनाई बनाई जा चुकी हैं, अतः और वुस्तिंग स्टेसन बनाने की आवश्यकता नहीं।

(17-8-94)

76

क्र० सं०	संदर्भ	आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

The Committee would like to know the latest position.

(6-9-94)

11-3-1992

120. तारांकित प्रश्न संख्या 204 पर श्री योरेन्द सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूर्व प्रश्न—“स्पीकर साहब, यह जो फोर्लिंग है कि लोगों को हर जगह पानी कम मिल रहा है। इस बारे में इन्होंने बताया कि बीस लीटर प्रति व्यक्ति हम गांव में पानी पहुंचाते हैं। क्या मन्त्री महोदय, बताएंगे कि अब तक कितने गांवों को इन्होंने इस हिसाब से पानी दिया है?”

हरियाणा राज्य के सभी 6745 गांवों को 31-3-92 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। 1-4-92 को किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह गाया गया कि प्रदेश में ऐसे 2723 गांव हैं जिनमें जनसंख्या सुविधा या भूमि जल स्त्रोत में कमी के कारण पेयजल की माता निर्धारित लक्ष्य 40 एस.पी. सो. डी. से कम हो गई। वर्ष 1992-93 से इन गांवों में पेयजल बढ़ोतरी का कार्य आरम्भ किया गया और उस

11-3-1992

77

के गांव है हम उनका पानी 110 लीटर करने जा रहे हैं और उनके यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था भी हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में करने जा रहे हैं। वर्ष 1934 गांव में यह उपलब्धि प्राप्त की गई। 1-4-93 में किए गए सर्वेक्षण से पाया गया कि प्रदेश में 2486 ऐसे गांव हैं जहाँ पेयजल स्तर 40 एस.पी.सी. डी. से कम था। वर्ष 1993-94 में 700 गांवों में जल वृद्धि की गई और वर्ष 1994-95 का लक्ष्य 800 गांव का है। जनसंख्या वृद्धि व भूमिगत जल स्तरों में कमी के कारण पेयजल मात्रा के स्तर में कमी का होना कन्टीन्यूज प्रोसेस है। फिर भी सरकार का यह लक्ष्य है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में प्रदेश के सभी गांव में पेयजल स्तर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 40 एस.पी.सी. डी. कर दिया जाएगा।

राजस्थान सीमा के साथ लगते हुए 6 जिलों महेन्द्रगढ़,

क्र० सं०	संक्षेप	माध्यासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हिसार, सिरसा, भिवानी, रिवाड़ी तथा रोहतक में पेयजल स्तर 70 एल.पी.सी. की करने की योजना केन्द्रीय सरकार की सहायता से लागू की जा रही है। 70 लीटर में से 40 लीटर मनुष्यों के लिए और 30 लीटर पशुओं के लिए मात्रा निर्धारित की गई है। इन 6 जिलों में कुल 2406 गांव हैं जिनमें से 474 गांवों के लिए 178 स्कीमें, 5322 लाख रु० की लागत से मंजूर की गई है। अब तक केन्द्रीय सरकार ने इन स्कीमों के लिए 2970 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध करवाई है। जबकि 2563 लाख रु० खर्च करके

283 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश के शेष 1932 गांवों में जल स्तर 70 एल.पी.सी. डी. करने के लिए लगभग 280 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। क्योंकि इतनी धनराशि जुटा पाना संभव प्रतीत नहीं होता अतः 1200 गांवों में जलस्तर में वृद्धि के लिए 167.30 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का एक प्रोजेक्ट वाई लिटरल असिस्टेंस के तहत केन्द्रीय सरकार को भेजा जा चुका है जिसके मंजूर हो जाने पर इस कार्य में तेजी आ जाएगी तथा शीघ्र सम्पन्न करना सम्भव हो जाएगा।

9 स्कूलों की अनुमानित राशि 538 लाख रु० है तथा इनको पूरा करने के लिए अब तक कुल 203.50

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

लाख २०।ही जुटाए जा सके हैं अतः धन के अभाव के कारण प्रदेश के शेष बड़ी आबादी वाले गांवों में काम आरम्भ नहीं किया जा सका।

इस स्थिति को देखते हुए 104 बड़े गांव के जलस्तर में 110 एल.पी.सी. डी. तक 'वैद्धि' करना तथा गंदे पानी के उचित प्रबन्ध के लिए 200 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का एक प्रोबैकट केंद्रीय सरकार को वाई लिटरिल असिसटेन्स का प्रबन्ध करने के लिए भेजा जा चुका है जिसके मंजूर हो जाने पर इस कार्य में तेजी आ जाएगी।

(17-8-94)

(23-3-92)

121. व्यानाकर्षण सूचना सं० 17 पर स्पीकर सहाय, मंडम के हल्के में 101 गांव हैं जिनमें से 69 गांवों में पीने के पानी की ठोक सुविधा है। बाकी गांवों में थोड़ी दिक्कत है उसको भी हम ठोक करेंगे। जिन जिन कुओं का सीठा पानी है उन कुओं को बाटर सफाई स्कीम की लाईनों से कनेक्ट करने के बारे में विचार करेंगे। * * * *

78

The Committee would like to know the latest position (6-9-94)

इस समय लोहार हल्के में 101 गांव पड़ते हैं जिनमें से 75 गांव 12, योजनाओं के अन्तर्गत ट्यूबवेल पर आधारित हैं वर्ष 1982-93 में 15 नये ट्यूबवेल चालू किए तथा वर्ष 1993-94 में 4 ट्यूबवेल लगाए (चालू किए) गए तथा इस वर्ष 6 नये ट्यूबवेल लोहार क्षेत्र में लगाने का प्रावधान है। इन 6 ट्यूबवेलों के लगाने के पश्चात लोहार क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। शेष 26 गांवों में निम्नलिखित नहर पर आधारित जल वितरण योजना बनाई गई है :-

1. जल वितरण योजना बहल
2. जल वितरण योजना मिटठी

क्र० स०	संक्रम	आवासन	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

3. जल वितरण योजना
बलाली
4. जल वितरण योजना
मिदान
5. जल वितरण योजना
मोहिला
6. जल वितरण योजना
मन्दीली ।

जल वितरण योजना बहल
व मन्दीली क्रम संख्या 1 व 6
का कार्य प्रगति पर है तथा
ग्राथा की जाती है कि यह
कार्य इस वर्ष के अन्त तक
पूरा हो जाएगा । इस कार्य के
पूर्ण होने पर बहल क्षेत्र में
पानी के पानी की समस्या
दूर हो जाएगी । बाकि 4
स्कीमों में क्रम संख्या 2,3,
4 व 5 में 45 एलपी सीडी,
पानी पहले ही वितरित किया
जा रहा है ।

(17-8-94)

122.

दि.हरिद्वारा एप्रोप्रेशन (न० 2) बिल 92; के संदर्भ में प्रो० रामविनाय शर्मा द्वारा पूछा गया प्रश्न—

“****तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो हरिजन गरीब, पिछड़े हुए और लैट लेस हैं, क्या उन सब पर यह स्कीम लागू होगी।”

25-3-92

****तो सरकार ने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है कि हर ठेका में 3-4 बड़े गांवों में फलश को लैट्रीन बनाई जाएगी जिसमें हरिजनों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हरिजनों के घरों में लैट्रीन बनाने का सारा खर्चा सरकार करेगी। ****इसके अतिरिक्त अगर गांव में कोई व्यक्ति अपने घर में लैट्रीन बनवाना चाहता है तो उन पर 50 प्रतिशत सरकार खर्च करेगी और 50 प्रतिशत वह व्यक्ति खर्च करेगा जिसका वह घर होगा। तो यह भी एक स्पेशल प्रोग्राम हमारी सरकार ने बनाया है।

79

गांवों में कम कीमत वाले शौचालय बनाने का कार्य 11/91 में चालू किया गया जानना चाहती है।
(6-9-94)

1 मार्च 1993 तक जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4669 युनिट एवं पंचायत विभाग द्वारा 5350 शौचालयों का निर्माण किया गया था। वर्ष 1993-94 से इन शौचालयों के निर्माण का कार्य केवल पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग के बजट में जो धन राशि उपलब्ध है वह पंचायत विभाग को स्थानान्तरण कर दी गई है। 11/91 से लेकर अब तक इस कार्य के अन्तर्गत 2.05 लाख कम कीमत वाले शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्ष 1994-85 में इस विभाग के बजट में 50 लाख 50 की धन राशि का प्रावधान

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

123. तारांकित प्रश्न सं० 341 के संदर्भ में श्रीमती चन्दावती द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

87

“स्वीकर” साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि भिवानी शहर की आबादी के अनुसार वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम के टैंक में पानी की मात्रा काफी है। क्या मंत्री जी ने पिछले साल छः महीने में जांच करवाई है कि उसमें वहां की आबादी के मुताबिक पानी की मात्रा ठीक है?”

21-12-92

भिवानी शहर में इस समय 35 गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है।

(17-8-94)

The Committee would like to know the latest position. (6.9.94)

88

है तथा इतनी ही धन राशि भारत सरकार द्वारा जुटाई जाएगी। यह राशि पंचायत विभाग को स्थानान्तरण कर दी जाएगी।

इस समय अगर कहीं पर 20 गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलता है तो वह जाहूदा है कि उसे 40 गैलन के हिसाब से पानी मिले हुए चाहते हैं कि जहां पर 20 गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलता है, 40 गैलन के हिसाब से मिले और जहां पर 40 गैलन के हिसाब से मिलता है वहां पर 50 या 60 गैलन के हिसाब से पानी मिले लेकिन यह काम एकदम नहीं हो सकता। अगले साल भिवानी वाटर सप्लाई स्कीम के पानी के टैंक की

कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम 50 लाख रुपए खर्च करेंगे।
के लिए सरकार से 12.5 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध करवाई है।
(17-8-94)

21-12-92

124. ताराकित प्रश्न सं० 355 के संदर्भ में स्पीकर साहब, जहाँ-जहाँ कभी हमारे नोटिस में आयेगी या माननीय सदस्य लाएंगे, वहाँ पर हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। जिन कालोनियों का ये जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर पीने के पानी का इंतजाम करेंगे।

[Signature]

भुवनेश्वर प्रश्न —

“अध्यक्ष महोदय, मैं भंडी महोदय के नोटिस में जाना चाहता हूँ कि पलवल शहर की आबादी दो लाख से ज्यादा है। जिन जिन कालोनियों के नाम अपने प्रवाल में दिए हैं (1) इन्द्रपुरी मोहल्ला (2) नंगल गुलाब सिंह सैनी (3) कुष्णा कालोनी (4) शिव कालोनी रेलवे रोड (5) खेड़ीपुरा (6) मोहल्ला जेदीपुरा कस्बा मोहल्ला (7) कुष्णा कालोनी रेलवे रोड देव नगर कालोनी) उनमें पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। मंत्री जी ने जवाब तो दे दिया कि टयूबवैल लगाने का कोई विचार नहीं है। यदि ये टयूबवैल वहाँ पर नहीं लगाएंगे तो फिर उन लोगों को पानी कैसे पहुँचाएंगे?”

The Committee would like to know the latest position.
(6-9-94)

पलवल शहर की आबादी इस समय 64493 व्यक्ति है। इस समय शहर की वाटर सप्लाई के लिए 10 टयूबवैल द्वारा पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है और 25 गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है। तकरीबन 80 प्रतिशत एरिया वाटर सप्लाई के लिए कबर किया गया है। पानी की कमी को दूर करने के लिए 1994-95 में सरकार ने एक अनुमान जिसकी राशि 31.40 लाख रु० है प्रशासकीय अनुमोदित कर दिया है और इसके अधीन 3.75 लाख रु० की धनराशि भी उपलब्ध हो गई है। इस पैस से एक और टयूबवैल लगाया जायेगा ताकि जिसे एरिया में पानी की कमी है उसको दूर किया जाएगा।

17-8-94

क्र०	संदर्भ	माधवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
सं०				
1	2	3	4	5

125. तारंकित प्रश्न संख्या 204 पर जोधरी शोम पकाश बेरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—** आज हरियाणा प्रांत में जो "सी" क्लास कमेटीज हैं या जिन कमेटीयों की आमदनी कम है क्या सरकार उन शहरों को, जिनके अन्दर ऐसी कमेटीयां हैं और उनके यहां वाटर वर्क्स हैं, अपने हाथ में लेने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि कोई ऐसा है तो वह कब तक इंप्लीमेंट हो जाने की उम्मीद है?

11-3-92

इतना सवाल यह है कि "सी" क्लास की जो म्युनिसिपल कमेटीयां हैं और उनके वाटर वर्क्स की जो सप्लाय स्कीम है क्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उनको अपने अंडर में लेने जा रहा है। वैसे इनका मकसद बेरी की म्युनिसिपल कमेटी से है कि बेरी की म्युनिसिपल कमेटी को क्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपने अंडर ले रहा है? इसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने यह फसला दिया है कि जितनी भी म्युनिसिपल कमेटी की वाटर सप्लाय स्कीम है, वो सारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मैनेज करेगा और उनकी जो शहरों में पानी की सप्लाय है उसको भी हमारा डिपार्टमेंट करेगा।

21-12-92

126. तारंकित प्रश्न सं० 324 के संदर्भ में श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

*** हम मुगल काल पर इम्पूवेंट ट्रस्ट कमिशनल कामप्लैस बनाएंगे।

83

“मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या करनाल, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद को यमुना एक्शन प्लान के तहत लिया गया है ? मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो 11 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च करने की बात है, यह केवल एक गन्दे नाले को फिक्कप करने के लिए है। क्यों नहीं यमुना एक्शन प्लान के तहत आप इस पैसे का इस्तेमाल करते ताकि वहाँ पर लोगों का भला भी हो सके और उस ऐरिया का डिवैलपमेंट भी हो सके ?”

25-2-93

स्पीकर सर, मैंने आपके माध्यम से इनको बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उस स्कीम के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था और अगले वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा।

127. तारांकित प्रश्न संख्या 427 पर श्री किताब सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

स्पीकर साहब, गेहाना में सिवरेज का काम बहुत दिनों से बन्द पड़ा है और ये कह रहे हैं कि पक्के तौर से बन्द नहीं हुआ है। मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह बताने की मेहरबानी करें कि यह काम कब से बन्द है।

84

85

क्र०	संदर्भ	आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

26-3-93

128. प्रो० सम्मत सिंह द्वारा पूछा गया (क) जी हाँ।
 अतिरिक्त प्रश्न संख्या 72-क्या जन (ख) कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया
 स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएँगे कि—
 गया है।

(क) क्या यह तथ्य है कि भट्ट कला
 निर्वाचन क्षेत्र में गांव बनवाली तथा
 निर्माण के लिए जलघरों के
 निर्माण की मंजूरी दी गई है; यदि
 हाँ तो कब दी गई; तथा
 (ख) क्या उक्त जलघरों के निर्माण का
 कार्य आरम्भ हो गया है; यदि हाँ
 तो इनके कब तक पूरा होने की
 संभावना है?

26 3-93

129. ध्यानाकर्षण सूचना सं० 5 के संदर्भ में * * * जित गांवों में पानी की
 श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक समस्या है, उनके लिए ग्रामिणों पंचवर्षीय
 प्रश्न: * * * * * जब बिस्टर सीजन में योजना में पैसों का प्रावधान है। नई
 यह हालत है कि 2-3 कि०मी० दूरसे, जून के महीनों में पिछले साल से कुछ

भानी लाना पड़ता है। वेशों को, पशुओं को दूसरे गांवों से जाकर व्यादा करके हम दिखाएंगे। एक कंटंगरी में 165 गांव हैं।

2-3-94

130. श्री अमर सिंह, द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न सं 0 398-

(क) क्या जिला भिवानी में बवानी खेड़ा निर्वाचन क्षेत्र के निम्न-लिखित गांवों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए जलघरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :-

1. किरावड़;
2. कंवारी ;
3. सिवानी ;
4. सिकंदरपुर जलघर का विस्तार; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उपरोक्त जलघरों का निर्माण/विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है ?

131. तारकित प्रश्न संख्या 417 के संदर्भ में जी हां, विचाराधीन है।

श्री सतीश सिंह कादियान द्वारा पूछा

81

87

85

क्र० सं०	संदर्भ	आमवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गया प्रश्न—“क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव दस हजार की आबादी से ज्यादा के हैं और जहां पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पानी की टूटियां लगी हुई हैं क्या वहां पर सीवरेज सिस्टम बनाने का सरकार का कोई इरादा है।”

2-3-93

स्पीकर साहब, इस पर विचार कर लिया जाएगा।

96/132. तारकित प्रश्न संख्या 417 के संदर्भ में श्री पीर जन्द द्वारा पूछा गया प्रश्न—
“स्पीकर साहब, रतिया सहसील है जिसकी आबादी पैंतीस चालीस हजार की है। वहां सीवरेज सिस्टम न होने के कारण पानी सड़कों पर बहता रहता है और इस कारण सड़कें भी टूट जाती हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर प्रायस्टी देकर सीवरेज सिस्टम बनाएंगे ?”

89

133.

तारांकित प्रश्न संख्या 417 के संदर्भ में प्रो० सम्पत सिंह द्वारा पूछा गया प्रश्न—
“अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि ये कोई एक कंकीट स्कीम बता दें जो इन्होंने बनायी हो जिससे गन्दे पानी का निकास हो सकेगा।”

2.3.93

अध्यक्ष महोदय, एक स्कीम नहीं; कई स्कीमज सरकार के विचाराधीन हैं। एक पर्लिकुलर स्कीम 14 लाख की है, जिसका मैंने पहले ही जिकर किया है लेकिन इसके साथ-साथ तकनीकी तौर पर कई और स्कीम सरकार के विचाराधीन है।
(शोर)

2.3.93

तारांकित प्रश्न संख्या 417 के संदर्भ में स्पीकर साहब, रावदोर की स्कीम भी में साथी लहरी सिंह द्वारा पूछा गया प्रश्न—

“स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रावदोर की सीवरेंज की स्कीम चार साल चार साल पहले बनी थी, उसको कब शुरू किया जाएगा और वह कब तक पूरी हो जाएगी।”

3.3.93

चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछा गया मल निकास प्रणाली विछाने का कार्य अतारांकित प्रश्न संख्या-87—“क्या मंडी क्षेत्र में आरंभ किया गया है और जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएँगे यह कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो कि उर्वाना कला/मंडी की मल चुका है। मंडी क्षेत्र में बाकी कार्य व्यवस्था प्रणाली का कितना कार्य वर्ष में किए जाने की

135.

क्र० सं०	संदर्भ	माधवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अब तक पूरा हुआ है तथा निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

उत्तर :— उद्योग कला में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। इस क्षेत्र में मूल विकास प्रणाली बिछाने के लिए योजना के अनुमान का संशोधन विचार-धीन है। कार्य संपूर्ण करने की कोई निश्चित तिथि तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

1.9.93

136. तारांकित प्रश्न संख्या 560 पर

श्री सूरज मल द्वारा पूछा गया अनु-
पूरक प्रश्न—“स्पीकर साहब, जो जल घर देहात में बने हैं वे आज से पच्चीस-तीस साल पहले के बने हुये हैं। उस वक़्त आबादी कम थी इस-
लिए उन जलवरों की कल्पसिटी कम रखी गई थी, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है, इसलिए पुरानी कल्पसिटी

(137)
स्पीकर साहब, जहां तक इस बात का संबंध है कि पाइपस गल गई है और पीने के पानी के साथ गन्दा पानी मिल जाता है, इस बारे में हमने सर्वे करवाया है और सर्वे करा कर देख रहे हैं। जहां कहीं पुरानी पाइपस है और वे गल गई हैं, उनको हम बदलवा रहे हैं।

93

137.

९३

के जलघर आज पानी की डिमांड पूरी नहीं कर पाते क्योंकि पानी की मांग अभी भी वही पुरानी है। क्या उन जलघरों की कंपैसिटी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि वहाँ वाटरपाईप काफी समय पहले बिछाई गई थी अब वह वाटरपाईप खराब हो गई है उनमें जंग लगा गया है जिसके कारण उनमें लीकेज है और उनमें गंदा पानी मिल जाता है। क्या सरकार उन वाटर पाइपस को बदलवाने पर विचार करेगी ?”

1.9.93

सारांशित प्रश्न संख्या 560 के संदर्भ में श्रीमती चन्नावती द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-
अध्यक्ष महोदय, * लोहारू के बारे में खुद सी० एम० साहव ने ऐडमिट किया है कि वहाँ पानी की कमी है। मिट्टी गांव में एक डिग्री बन्ती थी लेकिन इस साल हो गये हैं आज तक वहाँ डिग्री नहीं बनी है। मिट्टी और मीरका इन दो गांवों में पिछले

लोहारू के बारे में जंसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि, वह ठीक है। हम ने खुद माना है कि लोहारू में जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पहले रूरल वेरिड स्कीम थी और अब म्युनिसिपल कमेटी बन गई है इसलिए अब वाटर सप्लाई स्कीम के अन्डर आ गई है। वहाँ पर दो ट्यूबवेल पहले से काम कर रहे हैं। लोहारू के लिये तीस गैलन पानी देने का हमने

137.

157

क्र० सं०	संदर्भ	आवृत्ति	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

दस साल से पार्टीकुलरली पानी की निगाना बनाया है। इसके लिए चार विकृत है। एक तो बिजली की कमी ट्यूबवेल और चाहिए। इनमें से दो की वजह से विकृत हो रही और दूसरे ट्यूबवेल इसी फाईनेशियल ईयर में चालू नलकूप का जो डिपार्टमेंट वह है डिपार्ट- करके पानी की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न में डिपार्टमेंट ठप्प पड़ा है। सोके पर करेंगे। बाकी जो दो ट्यूबवेल की बात जाकर कोई नहीं देखता कि नलकूप क्यों है, उनको भी आगे लगाने का प्रयत्न खराब पड़ा है। क्या मंत्री महोदय करेंगे।

आवृत्ति देंगे कि उन सभी नलकूपों को जो खराब पड़े हैं, ठीक कराएंगे और लोगों को साफ पानी मुहैया कराएंगे। ?

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
EDUCATION DEPARTMENT

Note:—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

13-9-1989

138. तारीकित प्रश्न सं० 988 पर श्री उदय शान द्वारा पूछा गया अनुसूक्त प्रश्न—
 "अध्यक्ष महोदय, हेडल कालेज के लिए जमीन ऐक्वायर करते की कार्यवाही काफी सालों से चल रही है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जमीन अधिग्रहण कब तक पूरी हो जाएगी?"

अध्यक्ष महोदय, एक बार यह जमीन अधिग्रहण करने के लिए दफा 4 और दफा 6 की नोटिफिकेशन भी हो गई थी लेकिन उसके बाद ला डिपार्टमेंट ने इसमें कोई टेक्निकल कमी निकाल दी। दोबारा फिर सेशन 4 की नोटिफिकेशन दिनांक 3-1-89 को इणू की गई है। दफा 6 का नोटिस अभी होता बाकी है।

विदेशालय का उत्तर (उच्चतर शिक्षा)
 राजकीय महाविद्यालय होडल के लिए अतिरिक्त 85 कनाल 5 मरले भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमिजर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4-6 तथा 7 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं सरकार द्वारा जारी की जा चुकी हैं। भूमि के कुछ मालिकों द्वारा पहले पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ में अपनी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करवाने के लिए रिट दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उन भूमि मालिकों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में

The Committee would like to know the latest position.
 (21-11-94)

एस्.एल.पी. नं. 11026/92
 दायर की है तथा माननीय
 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टे
 के आदेश पारित करते हुए
 प्रादेश दिए हैं कि भूमि के
 बारे जो स्थिति दिनांक
 24-2-92 को भी उसे
 प्राणामी प्रादेशों तक बनाए
 रखा जाए। इस एस्.एल.पी.
 का काउंटर-एफिडेविट स्था-
 नीय प्रशासन फरीदाबाद द्वारा
 माननीय उच्चतम न्यायालय
 में प्रस्तुत किया जा चुका
 है और अब तक इस मामले
 बारे उच्चतम न्यायालय द्वारा
 कोई अग्रिम निर्णय नहीं सुनाया
 जाता तब तक संबंधित भूमि
 को अधिग्रहण करने वाले कोई
 कार्यवाही करना संभव नहीं
 है। नवा साईस बलाक अति-
 रिक्त भूमि अधिग्रहण होने के
 पश्चात् तथा विभाग के पास
 पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने
 पर कारवाया जायेगा।

क्र० सं०	संदर्भ	आवसान	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी की जानी है जिसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस कार्यवाही के पूरे होने के बारे में समय निश्चित करना संभव प्रतीत नहीं होता। इस मामले में पहले भी देरी इस अधिग्रहण के विरुद्ध भूमि मालिकों द्वारा स्थानीय न्यायालयों/उच्च न्यायालय में मामले दर्ज हो जाने की वजह से हुई है तथा अब भी उन्होंने इस संबंध में स्थानीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. दाखल कर रखी है जिस पर स्थानीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा स्टे के आदेश दिए हुए हैं जब तक न्यायालय द्वारा स्टे बारे कोई निर्णय नहीं होता तब तक यह भूमि अधिवक्ता के कोई कार्यवाही की जानी संभव नहीं है।

(25-10-94)

The Committee
like know the
latest position.
(14-6-94)

29-3-90

स्पीकर, सर चार नए जिले हमारे बने हैं। हरियाणा को इसके खोलने के लिए 10 एकड़ भूमि देनी पड़नी है हमने इनके जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा हुआ है कि वह भूमि का पता लगा कर और केस बना कर भेजें। हम केस भारत सरकार को भेजेंगे कि यह चार जिले भी इस स्कीम में कवर किए जाएं।

13-3-1991

जहां तक विद्यालयों का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि महानगर विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक प्रस्ताव विभाग तथा कुश्नत विश्वविद्यालय कुश्नत के विद्यार्थीन है।

139. तारांकित प्रश्न संख्या 1109 के संदर्भ में श्रीमती कमला वर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
“स्पीकर सद्व, हरियाणा स्टेट में चार ऐसे जिले हैं जो अभी अभी बने हैं। क्या उन चार जिलों में से यमुना नगर में भी कोई ऐसा सेंटर खोलने के लिए प्रयोजन में करेंगे।”

140. सेंट लखमन दास बकाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1290—
“क्या उन बच्चों का जो राज्य तेरह राष्ट्रीय स्तर पर खेलों/विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं, दैनिक भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?”

यमुनानगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने बारे प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित नाम अनुसार भेजने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा जा चुका है और उत्तर आयेकित है।

(2-3-94)

The Committee
would like to
know the latest
position.
(21-11-94)

उच्चतर शिक्षा निदेशालय स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(2-3-94)

क्र० सं०	सदस्य	भाषावाचन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	14-3-1991	भाषावाचन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी

141. तारांकित प्रश्न सं० 1417 चौधरी सतबीर सिंह का दर्यान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न, स्पीकर साहब पानीपत में नीलवा गांव में भी एक डाइट स्कीम के तहत एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने के बारे में आश-वासन दिया गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या 1991-92 में वह सेंटर वहां पर खोल दिया जाएगा।

142. श्री सम्पत सिंह द्वारा पूछा गया अंतरावित प्रश्न सं० 68 के उत्तर में—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएं कि वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान शिक्षा विभाग के कुल कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया तथा ऐसे कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते की अदायगी पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

14-3-1991
स्पीकर साहब, वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर आने वाली सालों में चालू करने की योजना है।

93

25-2-93
* * * * *

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार को एक मास का समय देने की कृपा करें।

सकेन्दरी निवेद्यालय

जिला पानीपत में डाइट खोलने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

The Committee would like to know the position 14-6-94

Accepted 19/07/95

143. तारांकित प्रश्न संख्या 406 के संदर्भ में

प्र० संपत सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :-

*** प्राइवेट कॉलेज वाले ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दो साल से अब तक एक भी दीर्घसँकी पोस्ट को मंजूरी नहीं दी गई है (विष्णु)

मंत्री महोदय जानना चाहेंगा कि जब प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गयी है तो वहाँ पर अभी तक लेक्चरर की पोस्ट्स संकयन क्यों नहीं की गई है ?

144. तारांकित प्रश्न संख्या 425 के संदर्भ में श्री पौर चन्द द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-

*** जाखन का हाई स्कूल जो 10+2 की सारी गान्यताएँ पूरी करता है, को क्यों अपग्रेड नहीं किया जाता ? वहाँ पर 25 कमरे हैं। पहले यह स्कूल जो एक बार

10+2 में अपग्रेड भी कर दिया गया था लेकिन बालू नहीं किया गया था। बाद में इसको फिर तोड़ दिया गया। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उस शहर की आबादी भी करीबन 15 हजार के आसपास है।

26-2-93

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने माननीय भाई श्री संपत सिंह जी को बताना चाहूँगी कि इसमें संदेह नहीं कि पिछले दो वर्ष से प्राइवेट कॉलेज में हमने अतिरिक्त पोस्ट्स नहीं दी लेकिन यह मामला विवागधीन है। निकट भविष्य में हम अपनी वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल जितना भी इस बारे में कर सकेंगे, करने वाले हैं।

1-3-93

*** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहती हूँ कि इस बारे में सरकार विचार करेगी कि इस स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा नहीं ?

क्र० सं०	संदर्भ	भाष्य/संज्ञ	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

इसके अलावा यह, वसे भी पंजाब के बार्डर पर पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस स्कूल को कब तक 10+2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा।"

145. चौधरी बोरेंद्र सिंह द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 85

"क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएँ कि—

(क) राज्य में इस समय मुख्याध्यापकों के के कितने पद रिक्त पड़े हैं; तथा

(ख) क्या इन पदों को सीधी भर्ती विभागीय पदोन्नति से भरने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि ऐसा है, तो इनके कब तक भरे जाने की संभावना है?"

146. तारांकित प्रश्न संख्या 503 के संदर्भ में चौधरी बजरंग सिंह मायना द्वारा पूछा गया

5-3-93

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भावनीय भाई मायना जी को बताना चाहूँगी कि इन्होंने

3-3-93

(क) इस समय राज्य के विभिन्न राजकीय उच्च विद्यालयों में मुख्याध्यापकों के 435 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) हाँ, उपरोक्त खाली स्थानों को सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

100

अनुपूरक : प्रश्न—अध्यक्ष : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि स्कूल अपग्रेडेशन के क्या नामजब है ? क्योंकि मेरे हल्के में सांपला के अन्दर एक लड़कों का और एक लड़कियों का हाई स्कूल है। वे दोनों स्कूल अपग्रेडेशन की सारी माय्यताएँ पूरी करते हैं। इसके बावजूद भी इनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा जबकि वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल जो इनके आदमी का है, उसको 10 + 2 में अपग्रेड कर दिया गया है जबकि वहाँ पर न तो चार दिवारी है और न ही नुतुंद गांव में 24 कमरे हैं जो दो सरकारी स्कूल सांपला में हैं, उन पर, लोगों ने अपने पैसे खर्च करके कमरे बनाए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो वे दोनों स्कूल सांपला में लड़के और लड़कियों के हैं, उनको कब तक 10 + 2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा ?

9-3-93

147. सार्वकित प्रश्न सख्या 503 के संदर्भ में श्री पीर बन्द द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, जाखल तहसील

अपग्रेडेशन के लिये दो स्कूल लिखकर दिये थे लेकिन कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को मान्यता दे दी। मैं उनकी जानकारी के लिए उन्हें यह बताना चाहूँगी कि उस स्कूल को ग्रान्ट इन ऐड केवल परीक्षा के लिये मान्यता दी है ताकि उनके बच्चे एजाम दे सकें। इन्होंने दो स्कूलों के बारे में लिखा है और मैं चाहती हूँ कि इनके ये स्कूल बनने चाहिए। जब भी कोई अपग्रेडेशन की बात होगी इनको विचाराधीन रखा जाएगा मैंने इनकी अलग से भी आपवासन दिया था कि चुलाना के स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए विचार में रखा जाएगा लेकिन दूसरे स्कूल के बारे में अभी मैं कोई वायदा नहीं करती।

2

क्र० सं०	सं०	आवासन	सरकार की द्वारा गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

के मुकाबले का गंव है और वहां म्युनिसि-
पल कमेटी भी है और उस स्कूल में करीब
एक हजार बच्चे पढ़ते हैं। काखल की
आबादी 15 हजार के करीब है। वहां
पर 10वीं का एक स्कूल है जिसको 10 + 2
में कंवर्ट करने के लिये कहा गया था लेकिन
वह स्कूल अभी 10 + 2 का चालू नहीं
हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदया से
बताना चाहूंगा कि जब इसमें 25 कमरे
बने हुए हैं, इसको 10 + 2 तक करके कब
तक चालू कर दिया जाएगा (विष्णु)।

9-3-93

148. ताराकित प्रश्न संख्या 401 के संदर्भ में
श्री अमर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूर्वक
प्रश्न—“स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री
महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि यदि
ये विद्यालय दस जमा दो के नाम को पूरा
करते हों और वहां पर बिल्डिंग भी हो तो

स्पीकर सर, इस बारे में अगले वर्ष में
सोचा जा सकता है लेकिन इस वित्तीय
वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचार-
धीन नहीं है।

3

110

क्या इन विद्यालयों को दस जमा दो करने के बारे में विचार करेंगे ?”

10-3-93

149. डा० राम प्रकाश द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या—550—“क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में राजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों में इस समय विभिन्न श्रेणियों (जे० बी० टी०, सी० एण्ड बी०, पी० टी० आई०, अध्यापकों, प्राध्यापकों, मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यों, इत्यादि) के कितने अध्यापन पद रिक्त पड़े हैं तथा कब से रिक्त पड़े हैं ?”

30-8-93

150. प्रो० छतर सिंह चौहान द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न सं० 107—

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में इस समय जे० बी० टी० अध्यापकों/मास्टरों तथा मुख्याध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या पग उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित हैं ?

* * * सरकार को यह सूचना राज्य के सभी जिलों से प्राप्त करने में लगभग एक मास का समय लग जाएगा । इन परिस्थितियों में इस प्रश्न का उत्तर निर्णय 10-3-93 को दिया जाना संभव नहीं है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार को एक मास का समय देने की कृपा करें ।

* * * पदोन्नति कोटा के लिए आरक्षित शेष 70 पदों को भरने हेतु पदोन्नति मामलों का परीक्षण किया जा रहा है और आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे । * * * पदोन्नति कोटा के 375 पदों को भरने के लिए मामलों का परीक्षण विद्या जा रहा है ।

(a) (b)
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
(9) (10)
(11) (12)
(13) (14)
(15) (16)
(17) (18)
(19) (20)
(21) (22)
(23) (24)
(25) (26)
(27) (28)
(29) (30)
(31) (32)
(33) (34)
(35) (36)
(37) (38)
(39) (40)
(41) (42)
(43) (44)
(45) (46)
(47) (48)
(49) (50)
(51) (52)
(53) (54)
(55) (56)
(57) (58)
(59) (60)
(61) (62)
(63) (64)
(65) (66)
(67) (68)
(69) (70)
(71) (72)
(73) (74)
(75) (76)
(77) (78)
(79) (80)
(81) (82)
(83) (84)
(85) (86)
(87) (88)
(89) (90)
(91) (92)
(93) (94)
(95) (96)
(97) (98)
(99) (100)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
HEALTH DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	प्रश्नवाचन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

11 3-91

151. तारकित प्रश्न संख्या 1428 पर श्री भगवान सहाय रावत द्वारा पूछा गया अनुपूर्वक प्रश्न—“श्रीरंगाबाद का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कब स्थापित हुआ था और इसको अपग्रेड करने का मामला कब से विचाराधीन है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि नांगल जाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कब खोला गया था और इसकी ईमारत कब तक बनकर तैयार हो जाएगी?”

भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अनुसार प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य (केंद्रों) के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें 30 बिस्तर तथा शल्य चिकित्सा, फिजिशियन, स्त्री रोग, बाल रोग, एवं दन्त चिकित्सा विभाग होंगे, स्थापित किए जाएंगे। मैंगलना सदस्य की जानकारी के लिए यह बताया जा रहा है कि इन 4 पी० ए० सी० में से होडल को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है।

इस समय श्रीरंगाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है और इसे अपग्रेड करने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि इस गांव की जनसंख्या 3228 है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु 1-20 लाख की ग्रामीण आबादी की आवश्यकता है। इसलिए ग्राम श्रीरंगाबाद की वजह से ग्राम होडल में 10 पी० एच० सी० खोली गई है, क्योंकि श्रीरंगाबाद और होडल में 4 कि० मी० की दूरी है। 10 पी० एच० सी० होडल में निम्नलिखित पी० एच० सी० शामिल हैं :— (1) श्रीरंगाबाद (2) होडल (3) विली-

चपर तथा हसनपुर से चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

ग्राम पंचायत नगल जाट द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नव भवन निर्माण हेतु 16 कनाल भूमि निशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है। भूमि का साईट प्लान तैयार करवा कर इस कार्यालय को भेजने हेतु सिविल सर्जन फरीदाबाद को लिखा जा चुका है। साईट प्लान प्राप्त होते पर मुख्य वास्तुक हरियाणा से डाईंग तैयार करवा कर तथा प्रमुख अभियन्ता हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क शाखा से अनुमान तैयार करवा कर सरकार की स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेज दिये जायेंगे।

अतः इस स्तर पर भवन निर्माण पूर्ण होने के बारे निर्धारित समय सीमा नहीं हो सकती।

(26-10-94)

क्र० सं०	संदर्भ	प्राश्नवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

17-3-1992

152. श्री जय सिंह द्वारा पूछे गए सांगठनिक

प्रश्न सं० 228 का भाग (क) तथा

(ख) :-

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरा-वड़ी की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थान है;

तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो पूर्वोक्त इमारत का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

(क) हाँ :

(ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरा-वड़ी का नव भवन निर्माण वर्तमान चिकित्सा संस्था की भूमि पर किए जाने के उद्देश्य से मुख्य वास्तुक, हरियाणा को लिखा गया था। उनके विचार में इस भूमि पर निर्माण खर्चे ज्यादा आएगा। अतः प्रस्ताव-धीन भूमि को साईट सलैक्शन कमेटी से अनुमोदित करवाया जा रहा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कब तक हो जाएगा, के बारे में समय निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

(7-11-94)

(26-10-94)

24-3-1992

153. श्री 0 सम्पत सिंह द्वारा पूछा गया अतार्क-

कित प्रश्न सं०-38--

(क) क्या जिला हिसार के गांव चूली बागड़ियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ होने/पूरा किए जाने की संभावना है ?

154. श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछे गए अतार्क- रांकित प्रश्न संख्या 55 का भाग (घ) --

भाग-(घ). क्या बी 0 के 0 अस्पताल, फरीदाबाद की नई, इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(क) हाँ।

(ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती।

8

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चूली बागड़ियों के भवन निर्माण हेतु ड्राइंग/अनुमान तैयार हो चुके हैं। धन की कमी के कारण इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रो-ब्लानिंग मीटिंग में धन एलोकेशन किए जाने के कारण जारी नहीं हो सकी है। इसके निर्माण कार्य शुरू होने तथा पूरा होने वाले इस स्तर पर आश्वासन दिया जाना सम्भव नहीं।

(26-10-94)

21-12-1992

हां, श्री मान जी।

9

सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 में अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु 45 लाख रुपये की धन-राशि उपलब्ध करवाई गई है जो विभाग की वास्तविक मांग से बहुत कम है। इस राशि में से बड़ा कार्य नहीं कराया जा

(26-10-94)

क्रमांक	संदर्भ	दिनांक/प्राप्ति	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
सं०				
1	2	3	4	5

सकता और इस राशि को पहले से ही अन्य छोटी राशि के कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 18-5-94 को हुई प्री-स्वानिंग मीटिंग में अलाट किया जा चुका है।

इस स्थिति में बी० के० अस्ताल, फरीदाबाद का निर्माण कार्य चालू किया जाना संभव नहीं है।

(26-10-94)

25-2-93

(क) जी हां।

155. श्री राम पाल सिंह कंवर द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 449 के उत्तर में—

(ख) वर्तमान समय में सीमा निर्धारित करना संभव नहीं क्योंकि यह धन उपलब्ध पर निर्भर है।

(क) क्या जिला करताल में घरोड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; तथा

घरोड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इसके भवन के लिए नगरपालिका, घरोड़ा ने 4 एकड़ भूमि निशुल्क देने का प्रस्ताव दिया हुआ है। नगरपालिका द्वारा दी जाने वाली भूमि को स्वास्थ्य विभाग कमेटी इस बारे में सेटल्ट पो-जिशन जानना चाहती है। (24-1-95)

10

(ख) यदि ऐसा है, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ किए जाने/पूरा होने की संभावना है ?

156. चौधरी अशमत खां द्वारा पूछा गया तारी-
कित प्रश्न सं० 465 :—क्या स्वास्थ्य]
मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या उटावड़ तथा नागल जाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है, तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त इमारतों पर कार्य कब तक आरम्भ/पूरा होने की संभावना है ?

26-2-93

(क) जी हाँ।

(ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह धन उपलब्धि पर निर्भर है।

11

के नाम स्थानान्तरण करने की स्वीकृति हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीग्रह से मामला पत्र व्यवहार में है। भूमि स्थानान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छरौडा के भवन निर्माण की आगामी कार्यवाही की जाएगी।
(16-1-95)

ग्राम उटावड़ (जिला फरीदा-
बाद) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिये सिविल सर्जन फरीदाबाद को लिखा हुआ है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण हेतु ब्रॉडस्व/अनुमान तैयार करवाकर धन की उपलब्धी अनुसार भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
ग्राम गचायत, नागल जाट द्वारा

क्रम सं०	संदर्भ सं०	आवासन	टिप्पणी
1	2	3	5
			प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रारंभिक निर्माण हेतु 16 कनाल भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करवा दी गई है। भूमि का साईट प्लान तैयार करवा कर इस कार्यालय को भेजने हेतु सिविल सर्जन, फरीदाबाद को तबका का चका हे साईट प्लान प्राप्त होने पर मुख्य वास्तुक, हरियाणा से ड्राइंग तैयार, कंस्ट्रक्टर तथा प्रमुख अभियंता, हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क तबका से अनुमान तैयार करवाकर सरकार को स्वीकृति जारी की जायेगी। अतः इस स्तर पर भवन निर्माण पूर्ण होने के बारे निर्धारित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

(16-1-85)

OUTSTANDING ASSURANCE

Relating to the LOCAL GOVERNMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रम	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
सं०				
1	2	3	4	5

118

157. तारांकित प्रश्न संख्या 867 पर श्री मंगल सेन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
 “अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस (कमिटी) की एक सब कमिटी जो वाटर रेड्स, ओक्टोपस रेड्स व सीवरेज रेड्स रिवाइज बारे बनाई हुई है) सब कमिटी का फंसला कब तक हो जाएगा”।

10-3-1989

जल्द ही हो जाएगा।

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि हेरियाणा सरकार ने अपने पत्र यादि क्रमांक 23/4/88-3क2, दिनांक 27-7-94 द्वारा दिनांक 1-7-94 से पानी तथा सीवरेज की नई संशोधित दरें नगरपालिकाओं पर लागू किए गए हैं। जहाँ तक आक्टोपस रेड्स का सम्बन्ध है, इस मामले में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सब कमिटी बनाई गई है, उन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

The Committee would like to now the latest position.
 (28-11-94)

(24-10-94)

10-3-89

126

158. तारांकित प्रश्न संख्या 867 पर कामरेड हरपाल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक

स्पीकर/साहब, यह सारा मामला कमिटी के इस संबंध में प्रस्तुत है कि कमिटी इस बारे में जरे गए है क्या फाइलिंग था, क्या नहीं हेरियाणा सरकार के यदि में सेट्टेड पो-

प्रश्न—“स्वीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि वाटर चांजिज और डिस्टिलमेंट चांजिज बढ़ाते हुए ग्रहरी आबादी के अन्दर बेतनमोगी लोगों और मजदूरों को इकंम का भी कोई कांटेरिया रखा गया या नहीं?”

जिशन जानना चाहती है।
(28-11-94)

या इसका ठीक तरह से फालो किया है या नहीं इन सारी बातों पर गौर करके कमेटी अपनी रिपोर्ट देनी।
क्रमांक 23-4-88 3क2,
दिनां 27-7-94 द्वारा पानी की दूरों को संशोधित किया गया है और नगरपालिकाओं पर लागू हो चुका है। पानी की संशोधित दूरें मोटर के साथ बिना मोटर के फ्लैट रेट पर निर्धारित की गई हैं जो सभी पर लागू हैं। नगर-पालिका क्षेत्रों के आधा पर विकास चांजिज निर्धारित किए गए हैं जो सभी पर लागू हैं।

(24-10-94)

25-3-1988

159. तारांकित प्रश्न संख्या 23 पर श्री कुन्दन लाल भाटिया द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“फरोदाबाद में पीने के पानी की भारी समस्या है क्या मन्त्री महोदय इस समस्या को हल करने?”

इस समय ऐसी शिकायत मेरी जानकारी में नहीं है कि फरोदाबाद में पानी की कमी है। लेकिन मैं श्री भाटिया की जानकारी के लिए उन्हें बताना चाहूंगा कि 20 करोड़ रुपये की एक योजना हुई है और फरोदाबाद कम्पलैक्स दोनों में मिल कर तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ गैलन पानी यमुना नदी में टम्बूबैल लगा कर सफाई किया जाएगा। इस लाख रुपये इस योजना

पानी की कमी को पूरा करने के लिए “रेतीबैले स्कीम” को 25-2-93 को मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा बुलाई गई मिटिंग में पारित कर दिया गया है। यह स्कीम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जानी है। इस स्कीम के तहत अधीक्षक अभि-

कमेटी इ बारें में लेटेस्ट पो- जिशन जानना चाहती है।
(28-11-94)

F-0
18-10-95

क्र० सं०	संदर्भ	प्राशवासन	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

के लिए दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

यंता हुआ, फरीदाबाद संकल द्वारा 46 करोड़ रुपये का अस्सी-मेट एस 0 ई 0 हुआ, मनीमाजरा को भेजा जा चुका है। इस स्कीम पर होने वाले व्यय को फरीदाबाद कम्पलेक्स तथा हुआ द्वारा 50 : 50 वहन किया जाना है जिसमें फरीदाबाद क्षेत्र में पानी की कमी की पूर्ति हो जाएगी।

(24-10-94)

11-9-1989

स्वीकार साहब, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रष्टाचार बन्द करना है। मैं इसकी इक्वायरी करवाऊंगा कि यह किस अफसर ने हिमाकत की और इतना नुकसान किया कि एक हजार 80 की इकम के एग्रेस्ट 1 लाख 21 हजार रुपया खर्च हो। घर बंटे बिठाये एक लाख इक्कीस हजार 80 की

160. तारकित प्रश्न संख्या 960 पर डा० वृज मोहन गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न— "भेरा एक सवाल तो यह है कि इतने कम किराये की वजह से (जगाधरी नगरपालिका की इमारत पट्टे पर देने के कारण) कमेटी को जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्या उसकी रिकवारी कर सकते हैं? दूसरा यह है कि क्या

कमेटी इस बारे में लेटस्ट जिशन जानना चाहती है। (28-11-94)

18-10-95

13

इसकी लीज कैसिल कर सकते हैं और अगर कुछ और नहीं हो सकता तो क्या किया जा सकता है ?”

161. सारंगिकित प्रश्न संख्या 1317 पर श्री बलिल कुमार विज द्वारा पूछा गया अनु-प्रश्न—

“स्पीकर साहब, अपने लिखित उत्तर में तो इन्होंने लिखा है कि प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अब कह रहे हैं कि जब तक ओ 0 सी 0 से रिकॉर्ड होकर नहीं आ जाता तब तक उन (कालोनीज) को रगलर नहीं कर सकते हैं। मैं इससे जानना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने इस बारे में कोई सवें करवाया है कि इन कालोनीज को एप्रूब करना है या नहीं ?”

पेशान दे दी। मैं इसकी इक्वायरी करवाऊंगा और ला डिपार्टमेंट से पूछ कर लीज अगर कैसिल हो सकेगी तो उसकी कैसिल करने की भी कार्यवाही की जाएगी।

5-3-1991

स्पीकर साहब, इस बारे में कई प्रश्नों का ज़ोर है 0 सी 0 के पास है। अब जब उनकी तरफ से कम्प्यूट रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो केवल अम्बाला शहर में ही नहीं बल्कि सारी स्टेट में, जहाँ भी ऐसी कालोनीज हैं, उनको रगलराईज कर दिया जाएगा। सरकार का यह ईर्ष्यादा नहीं है कि उनको गिराया जाए।

में नगरपालिका जगाधरी में कार्यरत तत्कालीन प्रशासकों, सचिव, कनिष्ठ अभियन्ता तथा आर 0 ए 0 ओ 0 बोधी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध अनु-शासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(24-10-94)

कमेटी इस बारे में हेरिस्ट. पो. जियन जानना चाहती है। (12-12-94)

नगरपालिका गुडगावां तला रिवाइकी संस्था में स्थित अनाधिकृत बालालियों को नियमित करने हेतु मामला राज्य सरकार के विज्ञापन है तथा पि यदि किसी अन्य नगरपालिका का कोई ऐसा प्रस्ताव सम्बन्धित उपायुक्त से प्राप्त हुआ तो उसे विचारो परांत स्वीकृति हेतु सरकार को भेज दिया जायेगा।

(24.10.94)

Accepted
18-10-95

क्र०	संदर्भ	प्राश्नोत्तर	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
1	2	3	4	5

162. तारंगित प्रश्न सं० 11 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता चाहता हूँ कि वहाँ (कमाल में) एक मीना बजार है। उसमें काफी लोग रेहें लगे हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उन लोगों को पक्की जगह देने का आश्वासन दिया हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनको कोई निश्चित जगह दी जाएगी या नहीं?”

18-12-91

वहाँ पर जमीन म्युनिसिपल कमेटी की नहीं है बल्कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है। जिस जमीन को ये उनको दिए जाने की बात कर रहे हैं उस जमीन का कोर्ट से स्टे मिल चुका है। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ कुछ थड़े वालों को कुछ निश्चित जगह देने की बात हम कन्सीडर कर रहे हैं।

14

नगर सुधार मण्डल करता है। किसी भी योजना में व्यापारी प्लॉट क्लॉट करने पर उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दे रखा है। जब तक स्टे का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक भूग नगर सुधार मण्डल, इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। जब भी उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जायेगा, उससे सरकार को अवगत करा दिया जायेगा।

1368

18-10-95

3-3-93

(ख) नगरपालिका, पलवल शहर के उन क्षेत्रों में जहाँ सीवर नहीं है, वहाँ कम

163. श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया तारंगित प्रश्न संख्या 492—

“बदा स्थानीय शासन राज्य मन्त्री कृपया बताएँगे कि—

(क) बदायूँ जिले के निम्नलिखित
हस्तकर्मियों में महिलाओं के
लिए सार्वजनिक शौचालयों के
निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार
के विचाराधीन है—
(1) कस्बा मोहल्ला 2 जंजीपुरा
(3) लानेपुरा 4 मोहल्ला
5. मोहल्ला
खदीकबाड़ा तथा

(ख) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
कब तक किए जाने की संभावना
है ?”

164. सार्वजनिक प्रयत्न संख्या-400 पर श्री अमर
सिंह बदायूँ पूछा यथा अनुपूर्वक प्रश्न—
श्री क. रा. साहू, मैं आपके माध्यम से मान
नीय मन्त्री जी को बताना चाहूँगा कि
मुलम शौचालयों के बारे में श्री पाण्डेय
ने एक स्कीम तैयार की है जो कि गौबर
गैस प्लांट की तरह की स्कीम है जिससे
स्ट्रीट लाईट भी मुलम हो जाती है। यह

खर्च शौचालयों की 3500 युनिटें
बनाने की एक योजना तैयार की जा
रही है।

5-3-93

जो स्कीम इस समय इन्वियाणा में चल रही
है, वह हुडको और एक्जामिनेट आफ इंडिया के
सहयोग से चल रही है। जिस स्कीम का
जिक माननीय सदस्य ने किया है, उसको
एवंजिलित कर लेंगे।

10/7/93

10/7/93

क्र०	सं०	संदर्भ	आपवासन	सरकार द्वारा की की कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	

स्कीम साझे विहाय ही लागू है। मैं मान-
नीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि
"क्या हरियाणा सरकार इस स्कीम को
हरियाणा में लागू करने के बारे में विचार
करेगी ?"

10-3-93

165. श्री दरियाव सिंह राजौरा द्वारा पूछा
गया तारांकित प्रश्न संख्या 546—
क्या स्थानीय राज्य मंत्री कृपया बताएंगे
कि झज्जर छावनी में नगरपालिका की
भूमि (यादव धर्मशाला तथा पेट्रोल पम्प
के बीच) पर अवैध कब्जा करने का कोई
मामला सरकार के नोटिस में आया है
यदि ऐसा है, तो उसका ब्यांग क्या है
तथा उक्त भूमि को खाली करने के
लिए क्या कार्यवाही की गई ?

170

यादव धर्मशाला और पेट्रोल पम्प के बीच
के कच्चे रास्ते पर कुछ अवैध कब्जे ध्यान
में आये हैं। रास्ते के अधीन भूमि का
अभी तक नगरपालिका के नाम इंतकाल
नहीं हुआ है। इस रास्ते के अधीन भूमि
(खसरा नम्बर) 134 की मालिक बनने
के लिए और इस रास्ते का अवैध कब्जा,
हटवाने के लिए नगरपालिका द्वारा कार्य-
वाही की जा रही है।

15

F-0
10/7/95
F-0
18/10/95

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

*Note :—*In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

टिप्पणी

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

सर्वश्रे

सं०

5

4

2

3

11-8-1989

100/ तारीकित प्रश्न संख्या 936 पर श्री धर्मपाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“स्वीकर साहब, उप मुख्य मंत्री जी ने बताया कि गुडगांव में किसानों को प्लाट दिए गए हैं। क्या वे बताएंगे कि किस गांव के लोगो को किस संक्टर में प्लाट दिए गए हैं?”

.....हरियाणा शहरी विकास प्राधि-
कारण उन भूमिपतियों की ओर से
जिनकी भूमि संक्टर 31 और 32-ए में
गुडगांव विकास हेतु अर्जित की गई है,
150 आबेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर
विचार किया जा रहा है।

Assurance kept
pending for want
of latest posi-
tion.

(7-12-92)

There is no change in position as already men-
tioned in Colm No. 4. It
is however, again intima-
ted that since the land in
Sector 31, 32-A, Gurgaon
was acquired on 21-9-86,
the allotment to the land
owner of this sector can not
be made under the outlets
policy framed by HUDA
which is applicable in such
cases whose land is acqui-
red after 10-9-87 i.e. the
date of issue of the said
Policy.

(24-11-92)

10-11-92
10-11-92

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	प्राप्तिक्रम	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

167. तारकित प्रश्न सं० 238 के संदर्भ में हम इसकी जांच करवाएंगे, सारे सैक्टर को चौधरी प्रेम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा जाएगी उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही किया अनुपूरक प्रश्न—

“***उन्होंने यानी बोर्ड की चेयरमैन ने प्रारंभ वी० टी० आई० बेरी के खिलाफ सैक्टर को झूठी प्रकाशित भी भेजी है ताकि चेयरमैन के भाई को ये इस्टीमेशन खलवा सकें। क्या मुख्य मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाएंगे?”

अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच करवाएंगे। प्रश्न देखना यह है कि भारत सरकार इसकी जांच करेगी या हम कर सकते हैं। हम इसके लिए भारत सरकार को लिखेंगे। जो भी

13-3-1992

17

16

13-3-1992

127 168.

उचित होगा उसी के हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और जितका भी दोष होगा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ऐक्शन होगा।

“अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस बोर्ड (राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड) को जो तीन करोड़ रुपए सेंटर और स्टेट का 1983 से 1991 तक दिया गया है, वह किसी भी हरिजन की वरिफायर पर खर्च नहीं किया गया बल्कि अपने फायदों के लिए इस पैसे का मिसयूज किया गया है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि जो जिम्मेदार आफिसर्स हैं उनके खिलाफ कोई ऐक्शन होगा ?”

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Note—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमांक	संदर्भ	प्राप्त/वास्तविक	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	3	5

13-7-92

169. श्री जयप्रकाश द्वारा पूछा गया तारीकित प्रश्न संख्या 286- क्या आबकारी तथा कराधान मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या वित्त वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान जिला हिसार में शराब के ठेकों को नीलामी के संबंध में सरकारी राजकोष (एक्सेक्टर) की हुई हानि से अन्तर्गत कोई मामला सरकार के ध्यान में आए है, यदि ऐसा है तो उनका ब्योरा क्या है तथा शराब के ठेकों से हुई हानि को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा (ख) क्या उपर के भाग (क) में यथानिर्दिष्ट मामलों में कोई अधिकारी/कर्मचारी बगुटी से लापरवाही करने के लिए दोषी पाए गए हैं यदि ऐसा है तो

(क) पड़ली नीलामी के दोषी लाईसेंस-धारियों से यह राशि वसूल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) जॉब रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इस जांच रिपोर्ट के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के मामलों को प्रोसेस किया जा रहा है।

(क) वर्ष 1990-91 में इस जिले में कोई दुवारा नीलामी नहीं हुई थी और न ही कोई राजस्व आबकारी अधिनियम के तहत बकाया है।

वित्त वर्ष 1991-92 में जिला हिसार में जिन ठेकों को नीलामी दिनांक 8-3-91 को हुई थी उनका ब्योरा निम्न प्रकार से है —

1. मैसर्स राजधानी वाईन एण्ड क० (चार ठेके)
2. मैसर्स सिंगला वाईन एण्ड क० (चार ठेके)
3. मैसर्स मल्नी वाईन एण्ड क० (चार ठेके)
4. मैसर्स सुरेन्द्र एण्ड क० (पांच ठेके)

28-8-92

उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्य-
वाही की गई ?

'उक्त ठेकों' को 602/35
लाख रुपये लाईसेंस फीस में
निलाम किया गया था। इन
ठेकों के सफल बोलीदाताओं
ने 5 प्रतिशत सिन्कोरिटी की
राशि बोली के सम्पन्न होने
पर जमा करा दी थी। चित्तक
11-3-91 को उक्त ठेकेदारों
ने ई.टी.सी. हरियाणा को एक
तार भेजा कि उनको बोली
की पेशकश को वापिस लिया
गया सम्झा जाये। ई.टी.सी.
ने इन तारों पर विचार किया
और उन्हें अस्वीकार करते
हुए बोली को कन्फर्म
कर दिया। इस सम्बन्ध में उप
आबकारी व करधान आयुक्त
हिसार को यह निर्देश दे दिये
गए कि सभी बोलीदाताओं से
शेष 11½ प्रतिशत सिन्कोरिटी
की राशि प्राप्त की जाए।
उप आबकारी व करधान
आयुक्त हिसार ने यह सूचित
किया कि बोलीदाताओं ने

क्र० सं०	संदर्भ	प्राप्तिकाल	संस्कार की द्वाया गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			बहुत मनाने के बावजूद भी सिक्वोरिटी की जेब राशि जमा नहीं करवाई है और यह संभाव दिया कि इन ठेकों की पुनः निलामी हो जाये। तदनुसार निलामी की घोषणा का उल्लेख करने पर बूक- कर्ता बोलीदाताओं की समाह्वता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और नोटिस प्राप्त करने की तिथि के 5 दिनों के अन्दर-2. स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि उनके लाईसेंसों का रद्द धर्मों ना कर दिया जाए बूक- कर्ता बोलीदाताओं ने नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया तदवस्थान नोटिस की तामिल दी गवाहों की उपस्थिति में	

बोलीदाताओं के ज्ञात पतो पर नोटिसों को विपका कर की गई। फिर भी चककती बोली दाताओं ने नोटिसों का कोई उत्तर नहीं दिया। तदनुसार संयुक्त आवकारी व कराधान आयुक्त के आदेश दिनांक 25.3.91 द्वारा उक्त ठेकों के वाईसेसों को रद्द कर दिया और सिविल रिटों की राशि जन्त कर ली गई। इन वृद्धियों के कारण उक्त ठेकों की दिनांक 26.3.91 को द्वारा निलामी 368.50 लाख रुपये ही वाईसेस फीस पर की गई। उक्त लाईसेंस फीस की राशि में से पहली बोली में चककती बोलीदाताओं द्वारा जमा करवाई गई 5 प्रतिशत सिविल रिटों की जन्त की गई राशि का समायोजन करने के पश्चात् 203.69 लाख रुपये की कमी हुई है।

द्वारा निलामी का अनुमोदन ई.टी.सी. ने दिनांक

10.2.92

क्रमिक	संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	सरकार द्वारा जारी गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			27.3.91 को कर दिया और पहली बोली में चूककर्ता बोली दाताओं से वसूली करने पर उप प्राबकारी व कराधान आयुक्त हिसार को निर्देश दिए गए। तदनुसार उप-प्राबकारी व कराधान आयुक्त हिसार ने चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए दिनांक 8.4.91 तथा 10.4.91 को वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी दिनांक 16.3.91 को सम्पन्न जारी किए गए। दिनांक 25.7.91 गिरफ्तारी के चारट जारी किए गए। परन्तु फिर भी दोषी बोलीदाताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह भूमिगत हो गए थे चूककर्ताओं ने वरिष्ठ उप	

[illegible]

उक्त नीलामी में की गई अनियमितताओं के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए श्री आलोक निगम, तत्कालीन अतिरिक्त आयकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा को जांच अधिकाारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 3.6.92 को प्रस्तुत की थी। जांच रिपोर्ट में संबंधी डी.के. एरोल उप-

١٠٠

31

क्र० सं०	संदर्भ	आशवासन	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			आवकारी व कराधान आयुक्त, ए. एल. खुराना, आवकारी व कराधान अधिकारी (आवकारी) श्री अनिल कुमार मलिक तथा श्री ए. चहल, आवकारी निरीक्षकों की तथा श्री शेर सिंह सांगवान, तत्कालीन संयुक्त आवकारी व कराधान आयुक्त (मुख्यालय) को बोली पाया गया था। इन अधिकारियों/कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सेवा (वण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987 के नियम 7 के अन्तर्गत चार्ज शीट जारी कर दी गई थी।	
			(26-10-94)	

(13-7-92)

170. तारकित प्रश्न संख्या 286 के *** * * * मेरे भाई ने पूछा है कि इन्कवायरी रिपोर्ट आई तो यह रिपोर्ट 2 दिवस के बाद 1991-92 में जिला-कमेटी इस बारे में जिन ठेकों की नि-लेटेस्ट पोजिशन

पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह पहली नौलामी कब हुई और दोबारा नौलामी कब हुआ इसके अलावा यह दुबारा नौलामी कब हुआ होगा क्योंकि चार दुकानें, सन्ती वाईन नौलामी क्यों हुई तथा पहली कम्पनी की पाँच दुकानें इन नामों से नौलामी के समय कौन कौन से बोल्टी छुड़वाई गई। जब इन्होंने देखा कि लुटियां पाई गई, यह बताने का कष्ट करें। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि इस मामले की जाँच कब हुई और जाँच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई पहली नौलामी के समय 68 लाख में दोबारा ले जाँच। मेरे भाई जो सिस्मोमिटी बगरा दी गई थी ने यह भी पूछा है कि हमने इस चारे में उसको जला कर लिया गया है क्या एक्शन लिया है तो मैं उनको बताता हूँ उसका क्या हुआ? यह भी बताने की आवश्यकता है और कि आदमपुर और और को हमने एक तरफ से इन्कवायरी शुरू किया है और दूसरी तरफ गियलाईजेशन के लिए आदमपुर में ठेके दिए गए हैं उसमें घाघ है तथा कानून और कोर्ट का संहारा ले करस्टे ले लिया। जब हमने रियलाईजेशन की कोशिश की तो 6 आदमी

तारीख को डिपार्टमेंट में आई है और प्रोसीस में है जिन नामों पर बिड छुटी वह भी मैं बता देता हूँ। ये चार ग्रुप्स हैं : राजधानी वाईन सिगला वाईन शाय, सिगला एण्ड कम्पनी की चार दुकानें, सन्ती वाईन की चार दुकानें और सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी की पाँच दुकानें इन नामों से बोल्टी छुड़वाई गई। जब इन्होंने देखा कि 6 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तो बड़े टेक्टफुली कोनने का तथा पहेली सियासत का नाजयोज फायदा उठा कर अपने वारिडों के नाम ही रिक्रिप्शन करवा कर 3 करोड़ 68 लाख में दोबारा ले जाँच। मेरे भाई ने यह भी पूछा है कि हमने इस चारे में क्या एक्शन लिया है तो मैं उनको बताता हूँ चाहेगा कि ज्यों ही हमारी सरकार बनी और यह बात हमारे नोटिस में आई तो को हमने एक तरफ से इन्कवायरी शुरू कर दी और दूसरी तरफ गियलाईजेशन के लिए आदमपुर में ठेका दिया। स्पीकर सर, ये लोग पूरे घाघ हैं तथा कानून और कोर्ट का संहारा ले करस्टे ले लिया। जब हमने रियलाईजेशन की कोशिश की तो 6 आदमी

1. 1. सौ राजधानी वाईन एण्ड क० (चार ठेके)
2. 2. सौ सिगला वाईन एण्ड क० (चार ठेके)
3. 3. सौ सन्ती वाईन एण्ड क० (चार ठेके)
4. 4. सौ सुरेन्द्र एण्ड क० (पाँच ठेके)

उक्त ठेकों की 602.35 लाख रुपये लाईसेंस फीस में निलामी किये गये थे। इन ठेकों के सफल बोलीदाताओं ने 5 प्रतिशत सिस्मोमिटी की राशि बोली के समान होने पर जमा करा दी थी। दिनांक 11-3-91 को उक्त ठेकेदारों ने ई०टी० भरी 0 हरियाणा के एक तार भजा कि उनकी बोली की पेशकश को वापिस

जानना चाहता है।
(10-1-95)

Subbed
28/1/95

जिन्होंने ये ठेके लिए थे? मैं यह लापता हो गए और 2 आदमी हमारे भी मंत्री मंहोदय से जर्मनी जाहता हाथ में घाये 40 दिन तक हमने उनको हूँ कि क्या जो ठेके दिए गए थे लाक-अप में रखा जा लीग उनके सं रक्षक वे जेनेनामी ठेके दिए गए थे वने हुए थे उन्होंने इनको लाक-अप में और जो जेनामी ठेके दिए गए रखना बहुत समझा और उनको छुड़ाने उनके लिए वे समने नहीं आए और मजबूरन वह कामून लागू किया गया या 40 दिन के बाद हमें उनकी छोड़ना पडा। अब हम इस मामले में बेट कर रहे है वाकी जहाँ तक 3 फर्य का ताल्लुक है। भाई ने पूछा है कि क्या ऐक्यान हुआ। अभी तो हमारी मजबूरी है क्योंकि कोर्ट से स्टे-मिलान हुआ है और अगली डेट 24-7-92 की है ज्योंही स्टे वैकेट होगा हम इस मामले में सख्ती से ऐक्यान करेंगे।

लिया गया समझा जाये ई0टी 0सी0 ने इत जारों पर विचार किया और इहे अस्वीकार करने हुए बोली को क्रममें किर दिया। इस संबंध में उप आबकारी व क प्रधान आयुक्त, हिसार को यह निदेश दिये गये कि सभी बोलीदाताओं से शेष 11३ प्रतिशत सिक्योरिटी को राशि प्राप्त की जाये। उप आबकारी व क प्रधान आयुक्त, हिसार ने यह सूचित किया कि बोलीदाताओं ने बहुत मतों के बावजूद भी सिक्योरिटी को शेष राशि जमा नहीं करवाई है और यह सुझाव दिया कि इन ठेकों की पुनः नितामी करे जाये। तदनु-

(10-7-92)
31-7-92
10-8-92

सार-निलामी की घोषणा का
 उल्लेख करने पर चूक कर्ता
 बोलीदाताओं को सहायता
 द्वारा कारण बताओ नोटिस
 जारी किये गये और नोटिस
 प्राप्त करने की तिथि के 5
 दिनों के अन्दर-अन्दर स्थिति
 स्पष्ट करने के लिये कहा
 गया कि उनके लाईसेंसों को
 रद्द क्यों ना कर दिया जाये।
 चूककर्ता बोलीदाताओं ने
 नोटिस प्राप्त करने से इनकार
 कर दिया। तदुपचात् नोटिस
 की तामिल 2 गवाहों की उप-
 स्थिति में बोलीदाताओं के
 ज्ञात पत्तों पर नोटिसों को
 चिपका कर की गई। फिर भी
 चूककर्ता बोलीदाताओं ने
 नोटिस का कोई उत्तर नहीं
 नहीं दिया तदनुसार संयुक्त
 प्राधिकारी व कर-घान आयुक्त
 के आदेश दिनांक 25-3-91
 द्वारा उक्त ठेकों के लाईसेंसों
 को रद्द कर दिया और

क्रम
सं०

संदर्भ

दिनांक/प्रवास

सरकार द्वारा की

कार्यवाही

टिप्पणी

1

2

3

4

5

सिक्कारिटी की राशि जप्त कर ली गई। इसे वृद्धियों के कारण जप्त ठेकों की दिनांक 26-3-91 को द्वारा निलामी 368.50 लाख रुपये की साईंसेस फीस पर की गई। उक्त लाईसेंस फीस की राशि में से पहली बोली में बूक कर्ता बोलीदाताओं द्वारा जमा करवाई गई 5 प्रतिशत सिक्कारिटी की जप्त की गई राशि का समायोजन करने के पश्चात् 203.69 लाख रुपये की कमी हुई। द्वारा निलामी का अनुमोदन ई0 टी0 सी0 ने दिनांक 27-3-91 को कर दिया और पहली बोली में बूक कर्ता बोलीदाताओं से बसूली करने पर उप आवकारी

व करीधान आयुक्त हिसार को निदेश दिये गये। तदनुसार उप आबकारी व करधान आयुक्त, हिसार ने चूक कर्ताओं से वसूली करने के लिये दिनांक 8-4-91 तथा 10-4-91 को वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी। दिनांक 16-3-91 को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 25-7-91 को गिरफ्तारी के वारंट जारी किये गये परन्तु फिर भी दोषी बोलीदाताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका कि वह भूमिगत हो गये थे। चूक कर्ताओं ने वरिष्ठ उप अधीक्षक के न्यायालय में सिविल मुकदमे दायर कर दिये जिस पर न्यायालय ने चूक कर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और वसूली की कार्यवाही को भी रोक दिया गया। इन रोकों को हटाने के लिये विभाग ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट

क्र०	सं०	भाषासम	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

में मरीज रायर की हुई है। जिसकी सुनवाई की तिथि 30-11-94 निश्चित हुई है। उक्त नितामी में की गई अभियमितताओं के बारे में जांच, पड़ताल करने के लिये श्री आलोक निगम, तत्कालीन प्रतिस्वत आवकारी व कर-धान आयुक्त, हरियाणा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 3-6-92 को प्रस्तुत की थी। जांच रिपोर्ट में सर्व श्री डी. के. एरोन उप आवकारी व कर-धान आयुक्त, ए० एल० खुसना, आवकारी व कर-धान अधिकारी (आवकारी), श्री

अनिल कुमार ० मलिक तथा
आर० ए० चहल, आबकारी
निरीक्षकों को तथा श्री
शेर सिंह, संगवान, तत्कालीन
संयुक्त आबकारी व कराधान
आयुक्त (मुप) को दोषी
पाया गया था। इन अधि-
कारियों/कर्मचारियों को हरि-
याणा सिविल सेवा (दण्ड
तथा अपील) नियमावली,
1987 के नियम 7 के अन्तर्गत
चार्जशीट जारी कर दी गई
थी,

जहाँ तक वर्ष 1990-91
के दौरान हिसार और आदम-
पुर के ठेके की निजीमी का
सम्बन्ध है, जो ठेके
1,89,91,000/- तथा
8,93,750/- रुपये में निम्न-
लिखित फर्मों को दिये गये

थे :-

1. म० सिटी वाईन (हिसार
एण्ड क०)

क्र० सं०	संदर्भ	आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
			2. मै धर्मचन्द एण्ड क०	
			13. मै० दिनदयाल एण्ड क०	
			4. मै० जगदीश एण्ड क०	
			5. मै० जगदीश एण्ड क०	
			6. मै० एस० के एण्ड क०	
			7. मै० दर्शन कुमार एण्ड क०	
			8. मै० आर० के एण्ड क०	द्वितीय
			9. मै० श्रीमप्रकाश एण्ड क०	
			10. मै० निके राम एण्ड क०	
			11. मै० रमेश एण्ड क०	
			12. मै० अजीत सिंह एण्ड क०	
			13. मै० दलान क०	
			14. मै० ईश्वर एण्ड क०	

14. मै० रमेश कुमार] आदम-
एण्ड क०] पुर

वर्ष 1990-91 में सभी
डेके प्रलग-प्रलग निलाम किये
गये थे।

वर्ष 1891-92 के दौरान
दिनांक 26-3-91 को हुई
पुनः निलामी के दौरान

4,70,25,000/- तथा
11,17,188/- रुपये में

हिसार और आदमपुर के डेके
निम्नलिखित फर्मों को प्रदान
किये गये थे।

1. मै० हरियाणा
भाईत एण्ड क०

= 1,47,00,000/रुपये-

2. मै० संदीप तया ब्रन्ड
= 1,12,25,000/- हिसार

3. मै० जयसवाल एण्ड
क०

= 1,61,00,000/-

4. मै० रंजीत सिंह
एण्ड क०

= 1,17,188/- आदमपुर

क्र० सं०	संदर्भ	आयवासन	संसार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

इस प्रकार वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इन ठेकों की निलामी की राशि में 2,80,34,000/- तथा 3,23,438/- रुपये की राशि का अन्तर है।

जहाँ तक इन ठेकों की प्रदान करने वाले नियमों का सम्बन्ध है, कोई भी ठेका बेनामी प्रदान नहीं किया जाता है।

22-12-92

(26-10-94)

The Committee would like to know the latest position.

श्री के० एस० नैन, उप आयकारी व कराधान आयुक्त के विरुद्ध जिला सोनीपत पैट्रोलियम डीलरज एसोसिएशन द्वारा दिसम्बर, 1988 में की गई शिकायत को वाच करने हेतु

श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया श्री के० एस० नैन, उप आयकारी व कराधान आयुक्त के विरुद्ध जिला सोनीपत पैट्रोलियम डीलरज एसोसिएशन से दिसम्बर, 1988 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहु पैट्रोल पम्प डीलरज से मुख्य मंत्री राहुत के दौरान मुख्य मंत्री कोष के लिए धनराशि मांग रहा था।

191.

28

प्रशसन के रूप में आवकारी व फरीदाबाद के लघोपपतियों तथा ट्रेडरज की कराधान विभाग के किन्हीं अधि- और से इस अधिकारी द्वारा मुख्य मंत्री कारियों द्वारा लघोपपतियों से घन तथा उनके पुत्र के नाम से चुनाव के लिए इकट्ठा करने का कोई मामला घन इकट्ठा करने बारे एक और शिकायत सरकार के नोटिस में आया है; यदि अगस्त, 1989 में प्राप्त हुई थी। मामला ऐसा है, तो उसका जिलावार व्यौरा छातवीन प्रधीन है।

क्या है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या जानी प्रस्तावित है?

18

चौकसी विभाग से अनुरोध किया गया था। अब चौकसी विभाग ने सूचित किया है कि शिकायत में लगाने गये आरोपों की सम्भीरता को देखते हुए श्री के० एस० नैन, उप आवकारी व कराधान आयुक्त के विरुद्ध मुकदमा नं० 5 दिनांक 10-2-94 धाराधीन 384/385 आई० पी०सी० या ना राज्य चौकसी व्यूरो, करनाल में दर्ज किया गया है।

श्री के० एस० नैन, उप आवकारी व कराधान आयुक्त के विरुद्ध फरीदाबाद के उद्योग-पतियों तथा ट्रेडर्स की ओर से अगस्त, 1989 में प्राप्त शिकायत चौकसी विभाग को जांच हेतु भेजी गई थी। चौकसी विभाग ने

पत्र दिनांक 30-9-94 द्वारा यह सूचित किया है कि इस

क्र० सं०	संदर्भ	आवधान	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
1	2	3	4	5

गारे पुनः विस्तृत जांच करने के लिए महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हथियाणा को लिखा गया है और अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है।

(26-10-94)

11-3-93

172. वर्ष 1993-94 के बजट अनुदानों के बजट अनुदानों व्यापारियों को टेक्स रिलीफ देने के लिए की मांगों को चर्चा पर स्तर देते हमने एक कमेटी बनायी उसका भी हम हुए। बहुत जल्दी रिपोर्ट आने पर करेंगे।

19

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Note:—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्रमिक संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4
173.	23-2-1989	तारांकित प्रश्न संख्या 746 पर श्री योगेश चन्द शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—“स्वीकर साहब, मंत्री जी ने फरीदाबाद में महिलाओं के लिए पोलिटैकनिक खोलने के बारे में बताया है मैं आप के द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसकी बिल्डिंग बनाने का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?	इस बहुलक्षणी की को स्थापित करने हेतु इसके लिए भूमि का हुड्डा द्वारा नियतन पत्र जारी किया जा चुका है। इस भूमि का इस विभाग द्वारा फिजिकल पोजीशन नहीं लिया जा सका है क्योंकि इस संस्था की साईट हर झुग्गी-झोपड़ी वालों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जिसे तुरन्त खाली करवाने के लिए इस विभाग द्वारा उचित पग लगाए जा रहे हैं।
174.	2-9-93	तारांकित प्रश्न संख्या 632 पर डा० राम प्रकाश द्वारा पूछा अनुपूरक प्रश्न अश्वेश महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री महोदय से यह	The Committee is not satisfied with the reply given by the Government. The Committee desires that immediate steps be taken to take the possession of the land in question and the steps taken by the Government in this behalf may be intimated to the Committee as early as possible. (6-11-92)

130

जानना चाहूंगा कि कुश्नौर जिले के उमरी गांव में लोगों ने स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्य स्मृति में एक देहाती पोलिटैक्नीक बनाने का प्रस्ताव पास करके भेजा है, गांधवाली के पास घन राशि भी है। 24.11.1991 को मुख्य मंत्री जी वहाँ पर पधारे थे और इस बारे में मैंने उनसे चर्चा भी की थी, जैसे उन्होंने निर्देश दिए उसी तरह से किया गया है। मैं राज्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव पास करके भेजा है कि वहाँ पर पोलिटैक्नीक बनाया जाए, उसका क्या बना ?

स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी अपने पत्र दिनांक 17.6.94 द्वारा इस गांव में बहुतकनीकी की स्थापना हेतु चार कोंसे 1. मकेनोकल इंजी० 2. कैमीकल इंजी० 3. कम्प्यूटर साइंस 4. इलेक्ट्रोडिक्स एण्ड कम्पनी-केबल इंजी० 30-30 छात्रों को प्रवेश-क्षमता से शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस बारे में इस कार्यालय के यादों क्रमांक 1154 दिनांक 8-8-94, द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नामजें अनुसार 26 एकड़ भूमि जो प्रदूषण से मुक्त हो तथा जहां-पर बिजली तथा पानी का उचित प्रबन्ध हो उपलब्ध करवाने बारे उपायुक्त कुरुक्षेत्रको पत्र लिखा गया है। जमीन का प्रबन्ध होने पर इस

क्रमांक	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	टिप्पणी
1	2	3	5

गांव में बहुतकनीकी को स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यहां यह भी सूचित करना उचित होगा कि उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने अपने यादों क्रमांक 12403 दिनांक 31-8-94 द्वारा निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा खण्डीगढ़ से ग्राम पंचायत उमरी के प्रस्ताव नुसार प्रस्तावित ग्रामलात भूमि बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु उपहार में देने को स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है जिसकी प्रति इस विभाग को भी सूचनाएं प्रेषित की गई है।

(22-9-94)

10/10/51

10/10/51

OUTSTANDING ASSURANCE

Relating to the

WAKF BOARD DEPARTMENT

Note:— In the case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

201

10/10/51

10/10/51

क्र० सं०	संदर्भ	आधवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

10-3-92

175. श्री अजमत खां द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 188—क्या वक्फ राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि ईदगाह पानीपत से संबंधित भूमि पिछले तीन वर्षों से किसी के अवैध कब्जे में है ; यदि ऐसा है, तो उक्त भूमि को अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड द्वारा क्या पग उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित है ?

* * * * *
बोर्ड द्वारा सक्षम न्यायालय से अवैध कब्जे हटाने बारे आदेश प्राप्त किए जाने हैं और ज्यों ही बोर्ड द्वारा कानूनी आदेश प्राप्त कर लिए जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी ।

91

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the DEVELOPMENT & PANCHAYAT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	कार्यवासी	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

176. बि हरियाणा एग्रीकल्चर (नं० 2) बिल 92 पर हुई डिस्कशन के संदर्भ में।

***अगर कोई हरिजन ऐसा रह गया है जिसको कि 100 गज का प्लॉट नहीं मिला है तो उसको 100 गज का प्लॉट जरूर देना। हर हरिजन को 100 गज का प्लॉट देना हमारी सरकार ने प्लॉट देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है।

सरकार की हिदायतें दिनांक 28-1-74 अनुसार हरिजनों/ पिछड़ी जाति तथा भूमिहीन मजदूरों को प्लॉट दिये जाते हैं जिनके अनुसार अब तक 2,83,088 प्लॉट दिये जा चुके हैं जिनका ब्योरा नीचे अनुबन्ध 'क' पर रखा जाता है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (4-10-93)

(14-9-93)

एक प्रकाशित पत्र श्री गुरुनाम सिंह सरपंच ग्राम पंचायत, मलिकपुर (सिगापुर) के विशद निदेशक पंचायत के कार्यालय में दिनांक

13/7/79. तारांकित प्रश्न सं० 389 के संदर्भ में श्री रमेश कुमार खटक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न--

23

“यथा गांव मलिकपुर (सिंगापुर) ब्लाक थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र की पंचायत भूमि पर उक्त गांव के सरपंच द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के बारे में कोई शिकायत सरकार को अक्तूबर/नवम्बर, 1992 मास में मिली है।”

16-11-92 को प्राप्त हुआ था। शिकायत कर्ताओं ने सरपंच के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि सरपंच ने पंचायत की गतियों के निर्माण तथा स्कूल भवन बनाने के कार्यों के दौरान राशि का गबन किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच ने खसरा नं० 618 जो कि आबादी देह है, पर अपने भाई-भतीजों का राजायज कब्जा करवा दिया है। निदेशालय के एक अधिकारी को सरपंच के विरुद्ध शिकायत की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

OUTSTANDING ASSURANCE

Relating to the

ENVIRONMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	दिनांक/आश्वसन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

13-3-92

178. श्री राजेन्द्र सिंह विसला, एस० एल० ए० द्वारा पृष्ठा तथा तारोक्ति प्रश्न सं०--

234 क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बताएंगे कि--

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि फरीदाबाद की निकटवर्ती वस्तियां प्रदूषित पानी तथा वाहनों और उद्योगों से हुए प्रदूषण के कारण बुरी तरह प्रभावित है; तथा

(ख) यदि हां, तो ऊपर के भाग (क) में यदुनिदिश प्रदूषण से पूर्वोक्त वस्तियों को बचाने के लिए यदि कोई पग उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित है, तो क्या?

(क) जी हां।
(ख) इस क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनका ब्योरा अनुवर्ध 1 पर के **उत्तर के अनुवर्ध 1 का पैरा-3 फरीदाबाद विजली तालाब की दूसरी इकाई पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिग्रेटिक (ई० एस० पी०) लगा दिया है जो सीधे ही चालू कर दिया जाएगा। पहली यूनिट पर ई० एस० पी० से पहले से ही चालू व्यवस्था में है।

On unit II ESP's have already been installed and are working properly. However on Unit No. 1, installation of ESP on left path has already been completed and for right path, ESP is yet to be installed and same/expected to be completed by 31-12-95

(20-9-94)

कमरे इस बारे में लेटेस्ट पो-जिशन जानना चाहती है (3-10-94)

1308

25-1-96

24

13

179. ताराकित प्रश्न 234 के संदर्भ में श्री

राजन्दा सिंह विसला द्वारा पूछा गया

मनुष्यक प्रश्न :-

***क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे

कि इन्होंने कभी स्वयं जाकर यूनिट्स को

देखा है कि नहीं ? आया से प्लांट्स

(फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट्स)

वाकई वर्किंग कंडीशन में हैं कि नहीं ?

कभी इस बात का मंत्री महोदय ने

निरीक्षण किया है ? यह कोई दो बार या

दस केसिज में ऐसी बात हुई हो ? अगर

किसी को सजा हुई है तो उनका तम्बर

कितना है ? मैं यह जानना चाहता हूँ ।"

179

स्पीकर महोदय, सारी की सारी जगहें

चैक नहीं की जा सकती लेकिन एक दो

यूनिट्स मैंने चैक किए हैं और उनके

अन्दर सारा काम ठीक है जहाँ तक

इन्होंने यह बात कही कि हमारे डिपार्टमेंट

ने कितने आदिमियों को प्रोसिक््यूट करके

सजा दिया है उसके बारे में मैं बता

चाहता हूँ कि हम 'बुद्ध' किसी को सजा

नहीं दे सकते । हम तो प्रोसिक््यूशन

लॉज कर सकते हैं । आगे कोर्ट पर निर्भर

करता है कि कितने दिनों में फँसला होता

है । आम तौर पर देखने में आया है कि

प्रोसिक््यूशन लॉज करने के बाद डिले हो

जाती है उसके लिए हम कोई रास्ता निकाल

रहे हैं ताकि जल्दी फँसला हो सके इस बारे

में स्पेशल एन्वायरमेंटल कोर्ट्स बनाने की

बात सरकार के विचारधीन है जिसके तहत

जोडिले होती है उसके ऊपर हम काबू

पा सकेंगे और फँसला जल्दी जल्दी हो

सकेगा ।

जहाँ तक, स्पेशल एन्वायरमेंट
कोर्ट्स स्थापित करने का
संबंध है के बारे में व्यक्त किया
जाता है, कि इस बारे में
माननीय पंजाब एवं हरियाणा
उच्च न्यायालय का न्यायधीन
नियुक्त करने के लिए उनकी सह-
मति हेतु लिखा हुआ है जोकि
अभी अपेक्षित है । यह स्कीम
इस विभाग की योजना वर्ष
1994-95 में शामिल की
हुई है । जिसके अन्तर्गत
17.00 लाख रुपये की राशि
का प्रावधान है । जिसकी
प्रशासनिक स्वीकृति हेतु
प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति
हेतु भेजा हुआ है माननीय
पंजाब एवं हरियाणा उच्च
न्यायालय से सहमति एवं
सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति
प्राप्त होने पर इन भ्यायलयों
की स्थापना की जा सकेगी ।

(3-10-94)

25/10/96

क्रमिक संदर्भ

वित्तिक/आवासन

टिप्पणी

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

1

2

3

4

5

13-7-92

180. तारकित पत्र संख्या 305 के संदर्भ में श्रीमती चन्द्रावती द्वारा पठा गया अनुपूरक पत्र -

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के ध्यान में कोई इस तरह के प्लॉट्स है जो गन्दगी पदा करते हो, वातावरण जो मौल्युट कर रहे हों ? अगर ऐसे प्लॉट्स है तो क्या सरकार उन सब को आदेश जारी करेगी कि वे जल्दी से जल्दी अपने अपने एफ्लूएंट ड्रीटमेंट प्लॉट्स लगाए ताकि गहरों में जो इस तरह का मौल्युट है, गन्दगी है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, इस पर रोक लगाई जा सके ? इस बारे में, मैं सरकार को स्पष्ट तौर पर नीति जानना चाहती हूँ कि सरकार

स्पीकर साहब, सरकार पहले ही इस बात के लिए पर्यवेक्षण है और हम यह महसूस भी करते हैं कि हरियाणा के अन्दर जो जो इण्डस्ट्रीज मौल्युट फैलाती है, उनके ऊपर कोई न कोई अंकुश अवश्य लगाया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े अध्यक्ष महोदय, जो इण्डस्ट्रीज 1982 से पहले लगी हुई थी, बुकि उन का मैनुफैक्चरिंग फोर्स पराना हो चुका है और उनको भियाम की वित्ति 31 दिसम्बर, 1983 तक हमने दे रखा है कि अगर आप इस तारीख तक अपना एफ्लूएंट ड्रीटमेंट प्लॉट न लगाओगे तो हम आपके खिलाफ ऐक्शन लेने और आपकी इण्डस्ट्रीज को बन्द करने पर सरकार मजबूर हो जायेगी। जो 42 इण्डस्ट्रीज ऐसी है

Under special action plan, 43 (22 pre 81 and 21 post 81) industrial units had been identified in the State of Haryana. Out of which 33 Nos industrial units have already installed proper pollution control measures 7 Nos. are in the process of installation and 3 units are lying closed.

(20-9-94)

(3-10-94)

कमेटी इस बारे में, सेट्टेड पो-जिशन जानना चाहती है।

F-0
25-1-96

इस बारे में क्या पता चला रही है ?

जिनकी टेकनीक नई होने के कारण हमने उनकी मियाद घटाकर 31 दिसम्बर, 1992 तक की है, उन्हें हमने कहा है कि अगर वे इस डेट तक अपना ऐफ लुऐट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाये तो पेरामीटर के अनुसार उनके खिलाफ हम ऐक्शन लेंगे। ऐसे घोषित को बन्द करने के लिए सरकार पहले ही वचनबद्ध है।

13-7-92

181. ताराकित प्रश्न संख्या 305 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—

“ग्राम्य महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले में भी करीब 70% फैक्टरीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं। इनके महकें से किसी प्रकार की उनको परमिशन नहीं है। नतीजा यह है कि गांव के गांव खाली होने की नीवत आ गई है। हमारे पलवल में भी दो ऐसी फैक्टरीज हैं जिनका पोल्यूशन बहुत जबरस्त है। इसी तरह से हथौन में मोदी के नाम से एक शराब की फैक्टरी है, उस

M/s Ashoka Distillery, Hathin have already undertaken the execution of work of bio-methanisation plant as per time phased programme which is the latest technology to control the pollution caused by the Distillery unit and same as likely to be completed by 12/95. (30-10-94)

कमेटी इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है।

12/5/96

26

कर्मिक	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	138	3-3-93	4	5

का पोल्यान भी बहुत ज्यादा है। क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

138. 182. व्यानाकृष्ण प्रस्ताव संख्या 11 के संदर्भ में साणी लहरी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न * * * दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी हैलथ डिपार्टमेंट से और फ्यू पालन विभाग से भी इन्होंने सर्टीफिकेशन ले लिए हैं कि अब जान-माल का कोई खतरा नहीं है। दूसरे जिलों की तुलना में यहाँ पर (रादोर म्युनिसिपल कमिटी के एरिया में) कोई ज्यादा बीमारी नहीं हुई है। मैं सरकार के नोटिस में लगना चाहता हूँ कि वहाँ पर नलके से जो पानी निकलता है वह जहरीला होता है और पानी को लोग

* * * * * स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि इस कौशल के अन्तर जिस समय डिस्चार्ज नहीं होता उस समय पानी खड़ा होता है और उस में गंदगी हो जाती है। इस तरह सरकार का ध्यान है। गंदा पानी खड़ा हो जाता है लेकिन अभी तक पानी गंदा होने कारण कोई भी नहीं हुई है। हम इस काम को टेक अप कर रहे हैं और सिवरेज ऐंफुलेट प्लांट लगाकर इस समस्या को हल करेंगे। * * *

100-1-96
27

पी नहीं सकते । आप 10 दिन तक अपने डंगरों को पानी पिलाकर देखें या दस दिन तक स्वयं पीकर देखें तो आप की सेहत पर कोई न कोई अवश्य फर्क पड़ जायेगा । मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जिनका प्रोसीक्यूशन चल रहा है उनका क्या इन्तजाम कर रहे हैं और वह कब तक पूरा हो जाएगा ? वहाँ पर जहरीला पानी है और इस से प्रदूषण फैल रहा है । इस नजरिए को सामने रखकर उन फैक्टरीज को बंद कर दिया जाए, चाहे वह इंडस्ट्रीज हिमाचल में हैं, चाहे वह हरियाणा में हैं, जहरीला पानी लोगों को नहीं मिलना चाहिए । स्वच्छ पानी का इन्तजाम करना आवश्यक है । स्पीकर साहब बैस्टन जमुना कैनाल में साफ पानी डाला जाए जिससे कि वह साफ पानी पीने के लिए तथा खेती के लिए काम आ सके ।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

DAIRY DEVELOPMENT DEPARTMENT

Note :—In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to, the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० सं०	संदर्भ	आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

26-2-93

183. तारांकित प्रश्न 405 पर प्रो० छत्तर सिंह चौहान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न * * * * * यह छः लाख रुपए की बात है। यह छः लाख रुपए हम किसी और रास्ते से उत्तरी देने चाहेंगे हमें यह वैसे रिलीफ फण्ड में से देने पड़ेंगे।
- मंत्री महोदय के नोटिस में यह भी लाना चाहता हूँ कि भिवानी में इंडिविजुअल का जो छः लाख रुपया है मिल्क यूनियन वालों को किसानों ने वह उनकी मिलना चाहिए और वह पैसा लगभग 6 लाख रुपया का दूब दिया हुआ है और उनकी पैमेंट अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पैमेंट का भुगतान करने के लिए वे क्या इंतजाम करेंगे ?

184. तारांकित प्रश्न संख्या 398 पर साथी लहरी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना
- अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है परन्तु हम एक नया प्लॉट सिरस में लगाने जा रहे हैं।

Noted
25-8-95

चाहता हूँ कि जैसे यमुना नगर है
 या हरियाणा के ओर बहुत से इलाके
 हैं जहाँ पर बहुत दूध है वहाँ पर
 कोई मिल्क प्लांट नहीं है । क्या
 वहाँ पर कोई मिल्क प्लांट लगाने का
 प्रोपोजल सरकार के पास है ?

26273—H.V.S.—H.G.P., Chd.